छत्तीसगढ़ विधान सभा

(षष्ठम्)

खण्ड – 4

फरवरी–मार्च, 2025 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 14 जुलाई, 2025 को सदन में प्रस्तुत)

(एक)

(प्रस्तावना)

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय–7 के नियम–51 के अनुसार इस संकलन में फरवरी–मार्च, 2025 सत्र हेतु नियत बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों का संकलन सम्मिलित किया गया है। साथ ही यथासमय प्राप्त पृथक वितरित एवं पुनरीक्षित उत्तरों को भी मुद्रित कराया गया है ।

दिनांक 21 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तरी में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या–34 (क्र.–2033) का वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उक्त प्रश्न के उत्तर के स्थान पर त्रुटिवश किसी अन्य प्रश्न का उत्तर ऑनलाईन अपलोड किया गया था, फलस्वरूप उक्त असंबद्ध उत्तर प्रश्नोत्तर सूची में भी मुद्रित हो गया था। पश्चात् मान. सदस्य द्वारा गलत उत्तर संबंधी प्राप्त आवेदन के आधार पर विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त किए जाने के उपरांत सही उत्तर प्राप्त कर इस संकलन में मुद्रित कराया गया है।

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्टक [.....] के अंदर मुद्रित है । इस संकलन में सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, खेलकूद एवं युवा कल्याण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वाणिज्य एवं उद्योग, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागों के प्रश्न एवं यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित की गयी है।

रायपुर,
दिनांक : 11 जुलाई, 2025.

दिनेश शर्मा
सचिव

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	फरवरी–मार्च, 2025 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1–22
2.	फरवरी–मार्च, 2025 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	23–112
3.	फरवरी–मार्च, 2025 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची	113–143

फरवरी -मार्च, 2025 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में भारतमाला परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (क्र. 226) डॉ. चरण दास महंत : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतमाला परियोजना हेतु जिला रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा में अर्जित निजी, शासकीय एवं वनभूमि के भू-स्वामी का नाम, खसरा नंबर, रकबा, सिंचित, असिंचित सहित तहसीलवार विवरण दें? मुआवजे की दरें क्या हैं? तीनों प्रकार की भूमि में कितने-कितने पेड़ों की कटाई हो रही है ? इस हेतु मुआवजा की दरें क्या है? कितनी राशि जमा की गई है ? (ख) कितने भू-स्वामियों और शासकीय भूमि का मुआवजा वितरण कर दिया गया है? कितना वितरण किया जाना शेष है? वितरण में विलम्ब का कारण क्या है ? (ग) क्या रायपुर जिले के ग्राम नायक बांधा में किसानों के 32 खाते को 247 छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण किया गया है? कलेक्टर रायपुर द्वारा संस्थित जांच का निष्कर्ष तथा लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण बताएं ? (घ) कार्य एजेंसी का नाम, पता, अनुबंध की तिथि, लागत राशि तथा कार्य पूर्णता अवधि भी बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [(क) **जानकारी एकत्रित** की जा रही है। (ख) **जानकारी एकत्रित** की जा रही है। (ग**) जानकारी एकत्रित** की जा रही है। (घ) **जानकारी एकत्रित** की जा रही है।**]** (क) **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।** (ख) शेषांश की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।** (ग) कलेक्टर, रायपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 26.04.2024 जांच प्रतिवेदन (की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' भाग के साथ) के अनुसार ग्राम नायकबांधा में 13 मूल खसरों को 53 छोटे-छोटे भू-खण्डों में बंटाकन करके मुआवजा वितरण किये जाने का लेख किया गया है। कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूमि अर्जन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत क्रय-विक्रय के प्रकरणों को शामिल किए जाने तथा पूर्व दिनांक के फर्जी नामांतरण प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किए जाने से शासन को आर्थिक क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है। जिला कलेक्टर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा श्री लखेश्वर प्रसाद किरण तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा, श्री जितेन्द्र साहू तत्कालीन हल्का पटवारी क्र. 49 नायकबांधा, श्री दिनेश पटेल, वर्तमान पटवारी हल्का 49 नायकाबांधा, श्री लेखराम देवांगन तत्कालीन हल्का पटवारी 24 टोकरो, निलंबित किया गया है। शेष व्यक्तियों श्री निर्भय साहू, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं सक्षम अधिकारी (भू-अर्जन), श्री शशिकांत कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर, तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। (घ) शेषांश की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''स'' अनुसार है।** **[पृथक वितरित उत्तर]**

जलजीवन मिशन अंतर्गत स्त्रोत विहीन स्थानों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. (क्र. 271) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश के कुल कितने ग्रामों के कितने घरों में नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है तथा लक्ष्य के अनुरूप कितने ग्रामों के, कितने घरों में नल कनेक्शन कार्य पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत्/अप्रारंभ की स्थिति में हैं तथा निर्धारित समायावधि कब तक है? कितनी बार समय वृद्धि की गयी तथा नवीन समयावधि कब तक निर्धारित की गयी है? कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और निर्धारित लक्ष्य से कितना आगे/पीछे चल रहा है? (ख) उक्त योजनांतर्गत ऐसे कितने ग्रामों के घरों में, कितनी लागत का नल कनेक्शन लगाया जा चुका है जहां जल स्त्रोत विहीन व पर्याप्त जल स्त्रोत विहीन

हैं? क्या इन स्थानों में नल कनेक्शन से संबंधित कार्य पूर्ण करने के पूर्व जल स्त्रोत का परीक्षण कराया गया था? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में किसके निर्देश पर कनेक्शन लगाने की मंजूरी दी गयी? यदि परीक्षण नहीं किया गया है तो किस आधार पर नल कनेक्शन लगाया गया? इन एजेंसियों के नाम, मालिक का नाम व पता सहित बतायें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : [(क) जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश के कुल 19656 ग्रामों में 50.03 लाख घरों में नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के अनुरूप 19656 ग्रामों के 44 लाख 37 हजार घरों में नल कनेक्शन कार्य पूर्ण/अपूर्ण/ प्रगतिरत्/अप्रारंभ की स्थिति में है। निर्धारित समायावधि वर्ष 2024 थी। 80.3 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन कार्य पूर्ण हो चुका है। लक्ष्य के विरूद्ध समानुपातिक प्रगति लक्ष्य से आगे/पीछे चल रही है। (ख) योजनांर्तगत स्त्रोत विहीन व पर्याप्त जल स्त्रोत विहीन 3907 ग्रामों के 808411 घरों में नल कनेक्शन लगाये गये। लागत रू. 208666.7 लाख। जी हां। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कार्य स्वीकृत किये गये। प्रश्न ही उपस्थित नही होता है। जल स्त्रोत विहीन व पर्याप्त जल स्त्रोत विहीन ग्रामों में कार्यरत एजेंसियों के नाम, मालिक का नाम व पता सहित जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।**]** (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश के कुल 19656 ग्रामों के 50,03,519 घरों में नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के अनुरूप 5291 ग्रामों के 12,80,808 घरों में नल कनेक्शनकार्य पूर्ण, 14,079 ग्रामों के 37,00,064 घरों में नल कनेक्शन कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत एवं 286 ग्रामों के 22,647 घरों में नल कनेक्शन कार्य अप्रारंभ की स्थिति है। निर्धारित समयावधि वर्ष 2024 थी। एक बार समयावृद्धि की जाकर नवीन समयावधि वर्ष 2028 लक्ष्य के विरूद्ध 80.3 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन कार्य पूर्ण हो चुका है। लक्ष्य के विरूद्ध 19.7 प्रतिशत पीछे चल रही है। (ख) योजनांतर्गत स्त्रोंत विहीन व पर्याप्त जल स्त्रोंत विहीन 39.07 ग्रामों के 8,08,411 घरों में नल कनेक्शन लगाये गये। लागत रू. 208666.7 लाख। जी हां। नल कनेक्शन लगाने की मंजूरी जिला जल एवं स्वच्छता मिशन से अनुमोदन पश्चात् कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई है। प्रश्न ही उपस्थित नही होता। जल स्त्रोंत विहीन व पर्याप्त जल स्त्रोंत विहीन ग्रामों में कार्यरत एजेंसियों के नाम, मालिक का नाम व पता सहित जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

प्रदेश में बंद पड़े इन्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिलों के कर्मचारियों नियोजन
[वाणिज्य एवं उद्योग]

3. (क्र. 432) डॉ. चरण दास महंत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर, 2023 तक प्रदेश में कितने इन्डक्शनफर्नेस (मिनी स्टील प्लान्ट) और रोलिंग मिल उत्पादनरत थे ? जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कितनों में उत्पादन कार्य बंद है ? बन्द होने का कारण उद्योग के नाम सहित बतावें ? बन्द होने के कारण उत्पादन कितना कम हो रहा है ? (ख) उक्त बन्द हुए उद्योगों में कितने-कितने कर्मचारी, तकनीशियन, इंजीनियर, प्रबंधक कार्यरत थे ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : [(क) जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योगों को जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र अनुसार दिसम्बर 2023 तक प्रदेश में 228 इन्डक्शन फर्नेस (मिनी स्टील प्लान्ट) और रोलिंग मिल विभाग में पंजीकृत थे, जिसका **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ''** में दर्शित है। जनवरी, 2024 से जनवरी 2025 तक उक्त इकाईयों में से 01 इकाई मेसर्स ओरियेण्ट इस्पात प्रा.लि., ग्राम-टेडेसरा, जिला राजनांदगांव में उत्पादन कार्य बन्द है। इकाई से प्राप्त जानकारी अनुसार इकाई में परिचालन घाटा के कारण उत्पादन कार्य बन्द है, जिसके कारण एच.आर. स्ट्रिप्स का उत्पादन 36000 मे.टन कम हो रहा है। बंद इकाई की **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ब''** में दर्शित है। (ख) इकाई को जारी ई.एम. पार्ट-2 अनुसार इकाई में 07 प्रबंधकीय, 16 कुशल एवं 135 अकुशल श्रमिक नियोजित थे। इकाई से प्राप्त जानकारी अनुसार बन्द होने से पूर्व उद्योग में कुल 06 कर्मचारी, 23 तकनीशियन, 01 इंजीनियर, 03 प्रबंधक कार्यरत थे, जिसकी **विस्तृत**

विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ब'' में दर्शित है।**]** (क) जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योगों को जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र अनुसार दिसम्बर 2023 तक प्रदेश में 232 इन्डक्शनफर्नेस (मिनी स्टील प्लान्ट) और रोलिंग मिल विभाग में पंजीकृत थे। जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक 05 इकाईयों में उत्पादन कार्य बन्द है। बन्द होने के कारण उत्पादन कुल 3,10,860 टन (तीन लाख दस हजार आठ सौ साठ) कम हो रहा है। बन्द होने का कारण की जानकारी उद्योग के नाम सहित**विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है। (ख) उक्त बन्द हुए उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी, तकनीशियन, इंजीनियर, प्रबंधक की **विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

परिशिष्ट - एक

अभनपुर नगर अंतर्गत गौरव पथ निर्माण योजना

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

4. (क्र. 479) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभनपुर नगर पालिका में मुख्य मार्ग पर गौरव पथ निर्माण कार्य की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो कितने किलोमीटर लंबाई के कितनी राशि के निर्माण की योजना है? (ख) वर्तमान में अभनपुर नगर गौरव पथ योजना किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : [(क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभनपुर नगर पालिका में मुख्य मार्ग पर गौरव पथ निर्माण कार्य की कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है। प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **]** (क) जी हॉ, लोक निर्माण विभाग द्वारा अभनपुर नगर पालिका क्षेत्र में पुराने नेशनल हाईवे में गौरवपथ निर्माण कार्य 2.8 कि.मी. राशि रूपये 2640.51 लाख की प्रस्तावित की गई है। (ख) लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता, नवा रायपुर अटल नगर को संशोधित प्राक्कलन कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

डिजिटल एरेस्ट/साईबर काईम प्रकरणों पर कृत कार्यवाही

[गृह]

5. (क्र. 507) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023-2024 एवं 2024-2025 अंतर्गत प्रदेश में जिलावार कुल कितने-कितने डिजिटल एरेस्ट/साईबर क्राईम के माध्यम से राशि हड़पने के प्रकरण दर्ज हुए हैं? इनमें से कितने पीड़ितों से कितनी राशि अवैध रूप से वसूली गई है और कितनी राशि पीड़ितो को वापस कराई गई है और कितनी वापस होना बाकी है? जिलावार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका (क) अंतर्गत अवधि में से कितने आरोपी चिन्हाकित किये गए हैं ? कितने गिरफ्तार किये गए हैं तथा कितनों की गिरफ्तारी शेष है व कब तक गिरफ्तार किये जावेंगे? (ग) कंडिका 'क' अनुसार अपराध हेतु कुल कितने खातों में अवैध रूप से राशि स्थानांतरित कराई गई है तथा इनमें से कितने खाते अभी बंद हो गए हैं और कितने खाते अभी भी चालू हैं और इन्हें अभी तक बंद क्यों नहीं कराया गया है? कितने खातों को बंद कराने का अनुरोध करने के बाद भी दिनांक 31/01/2025 तक बैंक प्रबंधन द्वारा खाते बंद नहीं कराये गए ? इनमें से कितने खाते ऐसे हैं, जिनमें 2 या अधिक पीड़ितों की राशि उनमें से एक ही खाते में अलग-अलग समय में हस्तांतरित की गई है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [(क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलावार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे ''प्रपत्र'' अनुसार है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे ''प्रपत्र'' अनुसार है। (ग) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे ''प्रपत्र'' अनुसार है। **]** (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। (ग) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''स'' अनुसार** है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा में अमानक खाद, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक के वितरण के सम्बंध में।

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

6. (क्र. 564) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला- बलौदा-बाजार-भाटापारा में वर्ष 2022-23 से 31.01.2025, तक कृषकों को अमानक खाद, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का वितरण होने की जानकारी प्राप्त हुई है, यदि हां तो इन्हें प्रतिबंधित करने एवं संम्बंधितों के विरूद्ध जांच के लिए विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) जिला स्तर पर खाद, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक के अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस सक्षम अधिकारी को दिया गया है? नाम एवं पदनाम सहित बतायें? प्रतिबंध किन-किन धाराओं के तहत किया जाता है? जानकारी देवें, (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नावधि तक में कई प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा न नमूना लिया गया है, न ही प्रतिबंध लगाया गया है क्यों? प्रतिबंध लगाने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ख) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ग) **जानकारी संकलित** की जा रही है। **]** (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्ष 2022-23 से 31/01/2025 तक कृषकों को विभिन्न स्त्रोतों से विक्रय हेतु भण्डारित कृषि आदान (उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक) के गुणनियंत्रण के उद्देश्य से यादृच्छिक रूप से लियें गये नमूनों में से अमानक पाये गये नमूनों तथा इस परिपेक्ष्य में कृत कार्यवाही की जानकारी प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, एवं प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) जिला स्तर पर खाद, बीज एवं कीटनाशक के अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक निरीक्षक को दिया गया है। नाम, पदनाम एवं प्रतिबंध हेतु उपयोग की गई धाराओं की **जानकारी प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, एवं प्रपत्र-स** अनुसार है। (ग) जी नहीं। जिले में प्रश्नावधि तक में समस्त प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा ही नमूना लिया गया है, तथा परिणाम अमानक पाये जाने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा ही प्रतिबंधात्मक की कार्यवाही किया गया है। उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु सक्षम प्राधिकारी उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षक है।

परिशिष्ट - दो

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रायपुर के अन्तर्गत सामग्री खरीदी में आर्थिक अनियमितता की शिकायतों पर कार्यवाही ।

[सहकारिता]

7. (क्र. 567) श्री संदीप साहू : क्या वन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2025 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रायपुर द्वारा बैंक की विभिन्न शाखाओं/समितियों के लिए किन-किन उपयोगी वस्तु, सामग्री की खरीदी की गई है? क्या उपयोगी वस्तु एवं सामग्री का क्रय जेम पोर्टल/निविदा के माध्यम से तथा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमों का पालन कर की गई है? यदि हां तो कार्यादेश मात्रावार, दर एवं फर्म का नाम सहित वर्षवार जानकारी बतावें? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रायपुर को बैंक की विभिन्न शाखाओं/समितियों से वस्तु/सामग्री क्रय करने की मांग पत्र /इंन्डेंट कब-कब प्राप्त हुए हैं ? मात्रावार एवं वस्तु/सामग्री का नाम सहित जानकारी देवें? (ग)क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रायपुर के विरूद्ध आर्थिक अनियमितता करने संबंधी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो शिकायतों की जांच कब-कब की गई है तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [(क) (ख) एवं **(ग) जानकारी एकत्रित** की जा रही है।**] (क)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।**

मुंगेली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खाद एवं बीज का प्रदाय
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (क्र. 595) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 से मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 31.01.2025 तक खरीफ एवं रबी फसल हेतु किस-किस प्रकार के कितनी मात्रा मे रासायनिक खाद एवं बीज की मांग के विरूद्व केन्द्र शासन द्वारा कितनी मात्रा में आबंटन दिया गया, राशि बतावें? (ख) प्रश्नांक अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के कृषकों द्वारा किस-किस प्रकार के बीज एवं किस-किस प्रकार की रासायनिक खाद की मांग के विरुध्द कितनी मात्रा में खाद एवं बीज का प्रदाय किया गया? क्या राज्य शासन द्वारा किन्ही अन्य माध्यम/एजेंसी से भी रासायनिक खाद एवं बीज की खरीदी की गई? यदि हां तो कितनी मात्रा में कितनी राशि की, वर्षवार विकासखण्डवार बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक मुंगेली विधानसभा से संबद्ध विकासखण्डों मुंगेली एवं पथरिया हेतु आंकलित उर्वरक मांग का विकासखण्डवार, वर्षवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है ।** केन्द्र सरकार से उर्वरक आपूर्ति हेतु जिलेवार मांग प्रेषित नही की जाती, अपितु संपूर्ण राज्य की आवश्यकता हेतु मांग केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाती है।प्रश्नाधीन अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उर्वरकों में से मुंगेली एवं पथरिया विकासखण्डों में की गई आपूर्ति का विवरण **संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है ।** इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की राशि नही दी जाती है। अतः शेष जानकारी निरंक है।मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्डों हेतु बीज की मांग केन्द्र सरकार से नही की गई थी अतःशेष जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरकों एवं बीज की आंकलित मांग के विरूद्ध भण्डारित एवं वितरित मात्रा का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** विभाग द्वारा जिला मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्डों में किसी अन्य माध्यम/एजेंसी से रासायनिक खाद एवं बीज की खरीदी नहीं की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।**]** (क) वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक मुंगेली विधानसभा से संबद्ध विकासखण्डों मुंगेली एवं पथरिया हेतु आंकलित उर्वरक मांग का विकासखण्डवार, वर्षवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है ।** केन्द्र सरकार से उर्वरक आपूर्ति हेतु जिलेवार मांग प्रेषित नही की जाती, अपितु संपूर्ण राज्य की आवश्यकता हेतु मांग केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाती है।प्रश्नाधीन अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उर्वरकों में से मुंगेली एवं पथरिया विकासखण्डों में की गई आपूर्ति का विवरण **संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है ।** इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की राशि नही दी जाती है। अतः शेष जानकारी निरंक है।मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्डों हेतु बीज की मांग केन्द्र सरकार से नही की गई थी अतःशेष जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरकों एवं बीज की आंकलित मांग के विरूद्ध भण्डारित एवं वितरित मात्रा का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** विभाग द्वारा जिला मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्डों में किसी अन्य माध्यम/एजेंसी से रासायनिक खाद एवं बीज की खरीदी नहीं की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

परिशिष्ट -तीन

रामपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग के पूर्ण/अपूर्ण निर्माण कार्यों का भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. (क्र. 615) श्री फूलसिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) , यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सत्र 2022 से 2024 तक किस-किस योजना/मद से कितने-कितने निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई ? सूची उपलब्ध करावें ? इनमें कितने कार्य अपूर्ण हैं ? ऐसे कितने निर्माण कार्य हैं, जिनका कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, किन्तु राशि भुगतान शेष है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है।**]**
जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

पंडरिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़को हेतु जारी निविदायें
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

10. (क्र. 677) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कौन-कौन सी और कितनी सड़कें आती हैं ?उनकी कुल लंबाई कितनी है ? (ख) वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक इनमें से कितनी सड़कों हेतु टेंडर जारी किया गया है ? टेंडर जारी करने पश्चात कितने सड़कों का कार्य पूर्ण किया गया है एवं कितनी सड़कों का निर्माण जारी है ? (ग) शेष सड़कों हेतु कब तक टेंडर जारी किए जाएंगे ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [(क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। (ख) वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक उक्त सड़कों में से 04 सड़कों हेतु टेंडर जारी किया गया है। टेंडर जारी करने पश्चात पूर्ण कार्यों की संख्या **निरंक** है एवं 04 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगतिरत् है। (ग) टेंडर जारी किये जाने हेतु शेष सड़कों की संख्या **निरंक** है। **]** (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। (ख) वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक उक्त सड़कों में से 04 सड़कों हेतु टेंडर जारी किया गया है। टेंडर जारी करने पश्चात पूर्ण कार्यों की संख्या **निरंक** है एवं 04 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगतिरत् है। (ग) टेंडर जारी किये जाने हेतु शेष सड़कों की संख्या **निरंक** है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

परिशिष्ट - चार

बस्तर संभाग में पहुंच विहीन ग्रामों, बसाहटों में स्वीकृत कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

11. (क्र. 695) श्री विक्रम मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में कुल कितने ग्राम /बसाहट हैं? कितने ग्रामों/ग्राम पंचायतों, बसाहटों तक आवागमन हेतु पहुंच-मार्ग एवं पुलिया निर्माण नहीं हैं? जिलेवार जानकारी बतावें? (ख) बीजापुर जिले के अंतर्गत कितने ग्राम, बसाहट में दिसम्बर 2023 तक आवागमन हेतु पहुंच-मार्ग एवं पुलिया निर्माण नहीं किया गया था? जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2025 तक कितने ग्रामों/बसाहटो में आवागमन हेतु पहुंच-मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है? ग्राम, बसाहट का नाम एवं स्वीकृति राशि की जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [(क) बस्तर संभाग में कुल 3628 ग्राम/10165 बसाहटें है। 1006 ग्रामों के 1302 बसाहटों तक आवागमन हेतु पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण नहीं है, की जिलेवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। (ख) बीजापुर जिले के अंर्तगत 374 ग्राम बसाहटों में दिसम्बर 2023 तक आवागमन हेतु पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण नहीं किया गया था। जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2025 तक ग्रामों/बसाहटों में आवागमन हेतु पहंुच मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत की जानकारी **निरंक** है। ग्राम, बसाहट का नाम एवं स्वीकृति राशि की जानकारी **निरंक** है। **]** (क) बस्तर संभाग में कई क्षेत्र गंभीर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अब तक जहॉ सर्वेक्षण संभव हो पाया है वहॉ कुल 1772 ग्राम पंचायतों/7156 बसाहटें है। 77 ग्राम पंचायतों के 1124 बसाहटों में पहुंच मार्ग एवं 106 ग्राम पंचायतों के 336 बसाहटों में पुलिया निर्माण नहीं है, की जिलेवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' मे दिये गये उत्तर क अनुक्रम में बिजापुर जिले के अंतर्गत 33 ग्राम पंचायतों के 427 बसाहटों मे दिसंबर

2023 तक आवागमन हेतु पहुंच मार्ग एवं 60 ग्राम पंचायतो के 74 बसाहटों मे पुल-पुलिया निर्माण नहीं किया गया था। जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2025 तक 41 ग्राम पंचायतों/बसाहटों मे आवागमन हेतु पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। ग्राम/बसाहट एवं स्वीकृति राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

परिशिष्ट - पांच

प्रदेश में आर्थिक अपराध के दर्ज प्रकरण व कृत कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

12. (क्र. 701) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर, 2023 से 31.01.2025 तक आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रदेश में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को पकड़ा गया? कितने अपराध पंजीबद्ध किए गए? कितनी राशि जब्त की गई? अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य के नाम/पदनाम/जब्त की गई राशि/कार्यालय का पता सहित जानकारी तिथिवार देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार आर्थिक अपराध में पकड़े गए अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? आरोपी अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में सेवा मे हैं या सेवा से पृथक अथवा दण्डित किया गया है, समुचित जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : [(क) दिसम्बर, 2023 से 31.01.2025 तक आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रदेश में 78 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य 36 लोगों को पकड़ा गया । 71 अपराध पंजीबद्ध किए गए । कुल राशि रूपये 32,14,380/-(बत्तीस लाख चौदह हजार तीन सौ अस्सी) जब्त की गई । जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र "अ" के अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार आर्थिक अपराध में पकड़े गए अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र "अ" के कॉलम नं.-7 में उल्लेखित है। प्रश्नांश "ख" के शेष बिंदु के संबंध में संबंधित विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है । **]** (क) दिसम्बर, 2023 से 31.01.2025 तक आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रदेश में 78 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य 36 लोगों को पकड़ा गया । 71 अपराध पंजीबद्ध किए गए । कुल राशि रूपये 32,14,380/-(बत्तीस लाख चौदह हजार तीन सौ अस्सी) जब्त की गई । जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"** के अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार आर्थिक अपराध में पकड़े गए अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"** के कॉलम नं.-7 में उल्लेखित है।आरोपी अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में सेवा में हैं या सेवा से पृथक अथवा दण्डित किया गया है, की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

परिशिष्ट -छ:

जिला कोंडागांव अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. (क्र. 715) सुश्री लता उसेंडी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोंडागांव जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 10 नवंबर 2024 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना अंतर्गत किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई, स्वीकृत कार्य हेतु कब-कब निविदा आमंत्रित की गयी एवं निविदा/अनुबंधों हेतु नियम शर्तें क्या थीं ? प्रश्नअधीन अवधि में स्वीकृत कार्य हेतु किन-किन संस्थानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया, क्या प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत कार्यों में निविदा शर्तों के पालन नहीं करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां तो इस पर किस-किस संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई, वर्षवार जानकारी प्रदाय की जाए? (ख) वर्ष 2021-22 एवं 2022- 23 के अंतर्गत एनएचएम द्वारा प्रिंटिंग कार्य हेतु जारी निविदा में कितनी फर्मो ने निविदा में भाग लिया? किन किन फर्म का चयन कर आबंटित कार्य देकर कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया, जानकारी प्रदान

करें । (ग) जिला अस्पताल, कोंडागांव अंतर्गत कितने पदों का सेटअप स्वीकृत हैं तथा स्वीकृति के अनुरूप कितने कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत हैं तथा कितने पद, कब से खाली हैं, जानकारी देवें । (घ) क्या जिला हॉस्पिटल, कोंडागांव अंतर्गत रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवाएं हेतु आवश्यक उपकरण एवं विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता है तथा विगत 03 वर्षों में रात्रिकालीन समय में कितने प्रसव केस दर्ज हुए हैं तथा उसमें क्या कार्यवाही की गई, वर्ष वार जानकारी प्रदान करें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : [(क) जानकारी संलग्न **प्रपत्र ''अ'' अनुसार।** (ख) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के अंतर्गत एनएचएम द्वारा प्रिंटिंग कार्य हेतु जारी निविदा में 08 फर्मो ने निविदा में भाग लिया। जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार।** (ग) जिला अस्पताल, कोंडागांव अंतर्गत 210 पदों का सेटअप स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदो के विरूद्व 130 कार्यरत हैं एवं 80 पद रिक्त है। विगत तीन वर्ष से खाली है। (घ) जी हॉ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार।]** (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' अनुसार है**। (ख) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के अंतर्गत एनएचएम द्वारा प्रिंटिंग कार्य हेतु जारी निविदा में 08 फर्मो ने निविदा में भाग लिया । जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ब'' अनुसार।** (ग) जिला अस्पताल ,कोंडागांव अंतर्गत 210 पदों का सेटअप स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदो के विरूद्ध 130 कार्यरत हैं एव 80 पद रिक्त है। विगत तीन वर्ष से खाली है। (घ) जी हॉ। **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र ''स'' अनुसार।** **[पुनरीक्षित उत्तर]**

गौण वनोपज के स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 का क्रियान्वयन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

14. (क्र. 827) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा को गौण वनोपज के स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 में मान्य किया जा रहा हैं ? भूमि अर्जन करते समय या भूमि का व्यपवर्तन करते समय जो पेड काटे जाते हैं उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जोअधिकार प्रभावित होते हैं उसका मुआवजा ग्राम सभा को दिए जाने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं, या क्या निर्देश प्रसारित किए गए हैं? ऐसे मुआवजा देने हेतु गाँव वनोपज के मूल्य की गणना कैसे की जाती है? यदि इस हेतु प्रावधान नहीं है तो कब तक बना लिए जाएंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [जी हां, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के धारा 3(1)(ग) के अनुसार ''गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, स्वामित्व संग्रह के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है'' पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किए जाने का प्रावधान है। जिसके आधार पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किया जा रहा है। भूमि अर्जन करते समय जो पेड काटे जाते हैं उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं उसका मुआवजा ग्राम सभा को दिए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.02.2025 के कंडिका क्र. 04 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act, 2013) के अनुसार ग्रामसभा को मुआवजा देने के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वनभूमि अर्जन करते समय जो पेड काटे जाते हैं उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं, ऐसे प्रकरणों में मुआवजा हेतु वनोपज के मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया का उल्लेख भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन मे उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में है। उक्त अधिनियम में वर्णित संबंधित प्रावधानों का उल्लेख उपर्युक्त उल्लेखित विभागीय पत्र की कंडिका 04(घ) में भी किया गया है। जबकी वनभूमि के व्यपवर्तन के संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त उत्तर अनुसार भूमि व्यपवर्तन करते समय ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं सहमति

लिये जाने के पश्चात ही व्यपवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अतः जो पेड़ काटे जाते हैं एवं उसके कारण ग्रामसभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं उसका मुआवजा ग्रामसभा को दिए जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है, न ही कोई दिशा-निर्देश प्रसारित किया गया है। **]** जी हां, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के धारा 3(1)(ग) के अनुसार ''गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, स्वामित्व संग्रह के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है'' पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किए जाने का प्रावधान है। जिसके आधार पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किया जा रहा है। भूमि अर्जन करते समय जो पेड काटे जाते हैं उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं उसका मुआवजा ग्राम सभा को दिए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.02.2025 के कंडिका क्र. 04 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act, 2013) के अनुसार ग्रामसभा को मुआवजा देने के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वनभूमि अर्जन करते समय जो पेड काटे जाते हैं उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं, ऐसे प्रकरणों में मुआवजा हेतु वनोपज के मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया का उल्लेख भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन मे उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में है। उक्त अधिनियम में वर्णित संबंधित प्रावधानों का उल्लेख उपर्युक्त उल्लेखित विभागीय पत्र की कंडिका 04 (घ) में भी किया गया है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने का लक्ष्य
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

15. (क्र. 838) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ0ग0 राज्य के जिलों में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में दर्ज छात्र-छात्राओं का आय, जाति एवं निवास प्रमाण बनाये जाने का क्या लक्ष्य निर्धारित था? अद्यतन स्थिति क्या है ? इसे कब तक पूरा किया जाना था? आगे क्या समय-सीमा तय की गई है? (ख) क्या इस कार्य में लापरवाही, उदासीनता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? स्पष्ट करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ख) **जानकारी संकलित** की जा रही है। **]**

(क)

क्र.	**प्रमाण पत्र का प्रकार**	**लक्ष्य**	**अघतन स्थिति (उपलब्धि)**
1.	जाति प्रमाण पत्र	2242445	1876842
2.	निवास प्रमाण पत्र	2095714	1750467
3.	आय प्रमाण पत्र	2107557	1645437

विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। लक्ष्य पूरा किये जाने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - सात

विधानसभा सीतापुर अंतर्गत गौठानों में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट खाद का भुगतान
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (क्र. 886) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में जनवरी, 2021–दिसंबर, 2024 तक कितने गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया गया है ? गौठानों का नाम व वर्मी कम्पोस्ट बनाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह का नाम सहित विवरण ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार प्रदान करें ? (ख) कंडिका ' क ' अनुसार उक्त गौठानों में कितना वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादित व बिक्री हुआ ? (ग) कंडिका ' क ' अनुसार वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को क्या कार्य का भुगतान किया गया है ? यदि हां तो किस महिला स्वयं सहायता समूह को कितना भुगतान किया गया ? जानकारी प्रदान करें ? (घ) अगर भुगतान शेष है तो कितनी राशि ? भुगतान कब तक किया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क), (ख), (ग) एवं (घ) की **जानकारी संकलित** की जा रही है**]** (क) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर से संबद्ध विकासखण्डों अंबिकापुर, बतौली, मैनपाट एवं सीतापुर में जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2024 तक कुल 142 गौठानों में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित वर्मी कम्पोस्ट खाद का गोठानवार,महिला स्वयं सहायता समूहवार, विकासखंडवार, ग्राम पंचायतवार विवरण **संलग्न प्रपत्रअनुसार है।** (ख) कंडिका "क" अनुसार उक्त गौठानों में कुल 55,402.42 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाकर कुल 41,847.01 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय किया गया है। (ग) कंडिका "क" अनुसार वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को कार्य का भुगतान किया गया है, भुगतान किये गये राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (घ) भुगतान हेतु कुल राशि रू. 12.81 लाख शेष है, भुगतान किये जाने की अवधि के संबंध में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[पृथक वितरित उत्तर]

परिशिष्ट - आठ

धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता।
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

17. (क्र. 931) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में खरीफ तथा रबी में धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता की जिलावार जानकारी दीजिए ? (ख) 2022-23 से 2024-25 तक प्रमाणित धान बीज उत्पादन हेतु पंजीकृत किसान संख्या, रकबा, उपार्जित बीज की मात्रा जिलावार तथा वर्षवार बताए? इसी अवधि में धान बीज की आवश्यकता जिलावार कितनी-कितनी थी और राज्य के बाहर से कितनी मात्रा में धान बीज किन दरों पर क्रय किया गया? स्त्रोत सहित बताएं? (ग) धान बीज उत्पादन में राज्य के आत्मनिर्भर नहीं हो पाने के कारण क्या-क्या हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी संकलित** की जा रही है।(ख) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ग) **जानकारी संकलित** की जा रही है। **]** (क) वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में खरीफ में धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता की जिलावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। वर्ष 2023-24 में रबी ग्रीष्मकालीन धान के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता की जिलावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -ब** अनुसार है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ें माह 30 जून 2025 की स्थिति में संग्रहित किये जायेगें, अतः वर्तमान में दिया जाना संभव नहीं है। (आंकड़ों का स्त्रोत कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़) (ख) वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक प्रमाणित धान बीज उत्पादन हेतु पंजीकृत किसान संख्या, रकबा, उपार्जित बीज की मात्रा जिलावार एवं वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में जिलेवार धान बीज की आंकलित मांग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द** अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में राज्य के बाहर से क्रय किये गये धान बीज मात्रा

एवं दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ** अनुसार है। (ग) प्रपत्र- 'स' में वर्णित स्थिती के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष धान बीज की आंकलित मांग की तुलना में उपलब्धता अधिक रही है, अतः शेष प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता ।

डोंगरगांव विधानसभा के ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केन्द्र हेतु भवन निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

18. (क्र. 942) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा के ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केन्द्र हेतु भवन निर्माण आरईएस के माध्यम से किया गया है?यदि हां, तो जनवरी, 2025 तक निर्मित किसान सुविधा केन्द्र के भवन का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? उक्त केन्द्र में लगने वाले उपकरणों की खरीदी के संबंध में उपसंचालक, कृषि, राजनांदगांव व शासन के मध्य कब-कब पत्राचार किया गया है? उपकरणों की खरीदी में विलंब का क्या कारण है? किसान सुविधा केन्द्र में उपकरणों की खरीदी पूर्ण कर केन्द्र कब तक प्रांरभ कर लिया जावेगा ? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [जानकारी संकलित की जा रही है।**]** राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा के ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केन्द्र के नाम से भवन निर्माण नहीं कराया गया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

L.W.E. (Left Wing Extremism) की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[गृह]

19. (क्र. 981) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में कितने जिले या क्षेत्र L.W.E. (Left Wing Extremism) प्रभावित या घोषित हैं? (ख) S.R.E. (Security Related Expenditure) (सुरक्षा संबंधी व्यय) योजनांतर्गत वर्ष 2019 से 2023 तक भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी? उनके परीक्षण उपरांत किन-किन कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी? (ग) उक्त योजनांतर्गत केन्द्र सरकार से 1 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर 2023 तक कितनी राशि प्राप्त हुयी तथा उक्त स्वीकृत किन-किन कार्यों में, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी तथा कितनी राशि व्यय नहीं कर पायें? वर्षवार बतायें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [(क) एसआरई स्कीम अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 15 जिले क्रमशः जगदलपुर (बस्तर), नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, सुकमा, राजनांदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, धमतरी, महासमुन्द, गरियाबंद, मानपुर-मोहला-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिले है। (ख) एसआरई स्कीम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रेषित कार्ययोजना राशि 1,73,801.84 लाख रूपये एवं स्वीकृत कार्ययोजना राशि 98,288.12 लाख रूपये है, विवरण प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है। **]** (क) भारत सरकार की एसआरई स्कीम अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 15 जिले क्रमशः जगदलपुर (बस्तर), नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, सुकमा, राजनांदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, धमतरी, महासमुन्द, गरियाबंद, मानपुर-मोहला-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिले है तथा 01 जिला बलरामपुर लिगेसी एण्ड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है। (ख) भारत सरकार की एसआरई स्कीम अंतर्गत कार्ययोजना वित्तीय वर्षानुसार प्रेषित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रेषित कार्ययोजना राशि 1,73,801.84 लाख रूपये एवं स्वीकृत कार्ययोजना राशि 98,288.12 लाख रूपये है। विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) भारत सरकार की एसआरई स्कीम अंतर्गत केन्द्र सरकार से 01 दिसम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल राशि 55,766.09 लाख रूपये प्राप्त हुई है। जानकारी **पुस्तकालय** में

रखे प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। योजनांतर्गत राशि व्यय होने के उपरांत प्रतिपूर्ति के रूप में राशि प्राप्त होती है तथा प्राप्त राशि मदवार प्राप्त न होकर किश्तों में प्राप्त होती है। प्रश्नाधीन अवधि में भारत सरकार से विभिन्न तिथियों को प्राप्त राशि आबंटन संबंधी आदेश की छायाप्रति व व्यय एवं प्राप्ति शेष की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-''स'' अनुसार है। उक्त अवधि में केन्द्र सरकार से प्राप्त संपूर्ण राशि का उपयोग किया गया हैं, अतः राशि शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। उक्त अवधि में पुलिस विभाग द्वारा एसआरई मद अंतर्गत लगभग राशि रू. 99897,32 लाख व्यय किया गया है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

सी.वीड जेल और उसके समकक्ष उत्पादों की दरें निर्धारित किए जाने हेतु बीज निगम को प्रेषित मांग

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

20. (क्र. 1023) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कृषि विभाग के किन अधिकारियों द्वारा बीज निगम को सी. वीड जेल और उसके समकक्ष उत्पादों की दरें निर्धारित किये जाने के लिए मांग प्रेषित की गई है? (ख) उक्त सामग्री के क्रय हेतु बीज निगम और राज्य शासन के किन अधिकारियों की समिति बनाई गई और उनके द्वारा क्या अनुशंसा की गई? (ग) यदि उक्त सामग्री की राज्य और केंद्र की योजनाओं में वितरण हेतु अनुमति नहीं थी तो बीज निगम को इस सामग्री की दर निर्धारण हेतु पत्र प्रेषित करने वाले अधिकारियों और अनुमत सामग्री न होने पर भी इसके क्रय की अनुशंसा करने वाले तकनीकी समिति के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ख) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ग) **जानकारी संकलित** की जा रही है। **]** (क) संचालनालय कृषि तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के किसी भी अधिकारी द्वारा इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. को कोई मांग प्रेषित नहीं की गई है और न ही बीज निगम को इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है। (ख) सी.वीड जेल एवं उनके समकक्ष उत्पादों के क्रय हेतु किसी समिति का गठन नही किया गया है। अतः अनुशंसा संबंधी जानकारी निरंक है। प्रश्नाधीन सामग्रियों के प्रथम बार दर निर्धारण के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार हैः-

''बीज निगम के पत्र क्र/मुख्या./एम.एस.-1/2013-14/1160-61 दिनांक 25.03.2013 द्वारा ''प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर'' हेतु जारी निविदा के परिपेक्ष्य में दर संविदा आंमत्रण पत्र के ऑनलाईन प्राप्त तकनीकी बिड का 08 निर्धारित पात्रता बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण हेतु दिनांक 25.03.2013 को समिति की बैठक सम्पन्न हुई, समिति द्वारा कुल 6 निविदाकर्ताओं के टेक्निकल बिड का परीक्षण किया गया। जिसमें 6 निविदाकर्ता कम्पनी को उपयुक्त दस्तावेजों के आधार पर मान्य करते हुए इनकी फाईनेशियल बिड खोलने की अनुशंसा की गई। जिसके उपरांत दिनांक 06.06.2013 को फाईनेशियल बिड समिति द्वारा विचार उपरांत काऊंटर ऑफर जारी करने हेतु दर की अनुशंसा की गई।''

(ग) चूंकि इन सामग्रियों की दर निर्धारण हेतु संचालनालय कृषि तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के किसी भी अधिकारी द्वारा पत्र प्रेषित नहीं किया गया है तथा किसी तकनीकी समिति द्वारा क्रय हेतु अनुशंसा भी नहीं की गई है, अतः शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[महिला एवं बाल विकास]

21. (क्र. 1126) श्री किरण देव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2025 तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कितनी परियोजनाएं संचालित हैं ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश 'क' की परियोजनाओं में कितने

पर्यवेक्षक /कार्यकर्ता/मितानिन के पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कार्यरत एवं कितने रिक्त हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? वर्तमान में पर्यवेक्षक/कार्यकर्ता/मितानिन के पदों हेतु कितना-कितना वेतन/मानदेय प्रतिमाह दिया जाता है ? देय वेतन/मानदेय में राज्यांश एवं केन्द्रांश राशि पृथक पृथक बतावें ? (ग) प्रश्नांश 'क' की अवधि में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का मरम्मत कार्य/नवीन भवन निर्माण हेतु कितनी -कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : [(क) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजनाएं निम्नांकित है:-

क्र.	विकासखण्ड	परियोजना का नाम
1	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण
2		जगदलपुर शहरी
3	दरभा	दरभा (आंशिक)

(ख) प्रश्नांश 'ख' अनुसार विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर में 19 पर्यवेक्षक के तथा 477 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 16 पर्यवेक्षक एवं 477 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है। पर्यवेक्षक के रिक्त पद की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देय मानदेय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसारहै।**

- मितानिन के पद की स्वीकृति विभाग द्वारा नही दी जाती है। अतः जानकारी निरंक है।
- पर्यवेक्षकों को सातवें वेतनमान के लेबल-6 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है।**]**

(क) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजनाएं निम्नांकित है:-

क्र.	विकासखण्ड	परियोजना का नाम
1	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण
2		जगदलपुर शहरी
3	दरभा	दरभा (आंशिक)

(ख) प्रश्नांश 'ख' अनुसार विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर में 19 पर्यवेक्षक के तथा 477 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 16 पर्यवेक्षक एवं 477 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है। पर्यवेक्षक के रिक्त पद की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देय मानदेय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसारहै।

- मितानिन के पद की स्वीकृति विभाग द्वारा नही दी जाती है। अतः जानकारी निरंक है।
- पर्यवेक्षकों को सातवें वेतनमान के लेबल-6 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है।

(ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब' एवं 'स'** अनुसारहै। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

परिशिष्ट - नौ

प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिये संचालित योजनायें।

[समाज कल्याण]

22. (क्र. 1146) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश मे कितने दिव्यांगजन हैं? क्या इनकी दर्ज संख्या के लिये किसी प्रकार का सर्वे किया गया है? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो इनकी दर्ज संख्या का आकलन किस प्रकार किया जाता है? (ख) वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक दिव्यांग कल्याण अंतर्गत दिव्यांगों के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं व उसके अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है? किन-किन योजनांतर्गत कितने दिव्यांगों द्वारा लाभ हेतु आवेदन किया गया है? उनमें से कितने को लाभ दिया गया है व कितने, लंबित हैं? योजनावार वर्षवार बतायें? (ग) उक्त वर्ष में ट्रायसाईकिल व इलेक्ट्रिक ट्रायसाईकिल हेतु कितने दिव्यांगों द्वारा आवेदन किये गये हैं? उनमें से कितने को प्रदाय किये गये?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : [(क) प्रदेश में जनगणना 2011 अनुसार 6,24,937 दिव्यांगजन हैं । समाज कल्याण विभाग द्वारा पृथक से डोर-टू-डोर सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 में कराया गया है ।(ख) **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है** । (ग) वर्ष **2021-22** से **2024-25** तक ट्रायसायकल एवं इलेक्ट्रिक ट्रायसायकल हेतु 9,435 दिव्यांगजनों के आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें 8,893 दिव्यांगजनों को प्रदाय किए गए हैं ।**]** (क) प्रदेश में जनगणना 2011 अनुसार 6,24,937 दिव्यांगजन हैं । समाज कल्याण विभाग द्वारा पृथक से डोर-टू-डोर सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 में कराया गया है ।(ख) **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है** । (ग) वर्ष **2021-22** से **2024-25** तक ट्रायसायकल एवं इलेक्ट्रिक ट्रायसायकल हेतु 9,435 दिव्यांगजनों के आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें 8,893 दिव्यांगजनों को प्रदाय किए गए हैं । **[पुनरीक्षित उत्तर]**

परिशिष्ट - दस

सर्पदंश से हुई मृत्यु का प्रदत्त मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

23. (क्र. 1188) श्री सुशांत शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर एवं जशपुर जिले में वर्ष 2022 से 31.01.2025 तक कुल कितने व्यक्तियों की सर्पदंश / जहरीले जन्तु के काटने से अकाल मृत्यु हुई ? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी उपलब्ध करावें । (ख) प्रश्नांश "क" के प्रकरणों में शासन द्वारा अकाल मृत्यु पर कितनी राशि प्रदाय किए जाने का प्रावधान है? किस-किस को, कब-कब, कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई ? कितने प्रकरणों में मुआवजा राशि लंबित है ? कितने प्रकरणों को निरस्त अथवा अपात्र घोषित किया गया ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश "क" के सर्पदंश के कितने प्रकरणों में मृतक को स्नेक एन्टीवेनिन इंजेक्शन नहीं लगाया जा सका और क्यों ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [(क) प्रश्नाधीन अवधि में बिलासपुर एवं जशपुर जिले में सर्पदंश/जहरीले जन्तु के काटने से कुल 527 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वर्षवार एवं विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। (ख)शासन द्वारा मृत व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 4.00 लाख प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है। किस-किस को कब-कब राशि प्रदान की गई, लंबित, निरस्त अथवा अपात्र घोषित के संबंध में वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है। (ग) सर्पदंश से मृत व्यक्तियों को जिन्हें स्नेक एन्टीवेनिन इंजेक्शन नहीं लगाया गया है, के संबंध में जानकारी विकासखण्डवार संलग्न ''प्रपत्र-स'' अनुसार है। **]** (क) प्रश्नाधीन अवधि में बिलासपुर एवं जशपुर जिले में सर्पदंश/जहरीले जन्तु के काटने से कुल 547 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वर्षवार एवं विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** ''अनुसार है। (ख) शासन द्वारा मृत व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 4.00 लाख प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है। किस-किस को कब-कब राशि प्रदान की गई, लंबित, निरस्त अथवा अपात्र घोषित के

संबंध में वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) सर्पदंश से मृत व्यक्तियों को जिन्हें स्नेक एन्टीवेनिन इंजेक्शन नहीं लगायागया है, के संबंध में जानकारी **विकासखण्डवार पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** **[पुनरीक्षित उत्तर]**

प्रदेश में पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट की लेखा संपरीक्षा
[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

24. (क्र. 1236) श्री राजेश मूणत : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने पब्लिक ट्रस्ट पंजीकृत हैं ? नाम सहित विवरण देवें ? (ख) कंडिका "क" में उल्लेखित इन पब्लिक ट्रस्टों में से कितने ट्रस्टों ने वर्ष 2023-24 व 2024-25 में अपने ट्रस्ट की लेखा संपरीक्षा कराई ? जिनने नहीं कराई, उनके विरुद्ध नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई ? विवरण देवें ? (ग़) कंडिका "क" एवं "ख" में उल्लेखित जिन पब्लिक ट्रस्टों के द्वारा संपरीक्षा अपने ट्रस्ट लेखे की नहीं कराई, उनके विरुद्ध कब तक दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) प्रदेश में कुल 1134 पंजीकृत ट्रस्ट है। नाम सहित विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है। (ख) एवं (ग) **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

अनुसूचित जाति घटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट के अंतर्गत व्यय।
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (क्र. 1289) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट की वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक शत्-प्रतिशत लाभ मूलक लक्षित उद्देश्यों में की गई खर्च की जानकारी वर्षवार, प्रोजेक्टवार / स्कीमवार प्रदान करेंगे। यदि बीते 03 वर्षों में खर्च नहीं की गई तो क्या अभी के बजट में इसे शामिल किया गया है? यदि हां तो कितना और नहीं, तो क्यों नही जानकारी देंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [जानकारी संकलित की जा रही है। **]** नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट की वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक शत-प्रतिशत लाभ मूलक लक्षित उद्देश्यों में की गई खर्च की वर्षवार, प्रोजेक्टरवार/स्कीमवार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, ब, स** एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द, ई एवं फ** अनुसार है। अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट अंतर्गत राज्य आयोजना मद की अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लैप्स हो जाती है जबकि केन्द्रीय योजनाओं की प्राप्त राशि लैप्स नहीं होती है अपितु बजट प्रावधान लैप्स होता है। वित्तीय वर्ष में अव्ययित केन्द्रीय योजनाओं की राशि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान के विरूद्ध व्यय की जाती है।

अनुसूचित जाति घटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना में अंतर्गत बजट
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

26. (क्र. 1498) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक{एस सी पी} एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना{टी एस पी} बजट अंतर्गत बीते 03 वर्षों में खर्च नहीं की गई राशि को क्या अगले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया गया है? यदि हाँ तो कितनी राशि एवं नहीं तो क्यों नहीं किया गया? जानकारी प्रदान करेंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [जानकारी संकलित की जा रही है। **]** अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट अंतर्गत राज्य आयोजना मद की अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लैप्स हो जाती है जबकि केन्द्रीय योजनाओ की प्राप्त राशि लैप्स नहीं होती है अपितु बजट प्रावधान लैप्स होता है। वित्तीय वर्ष मे अव्ययित क्रेन्दीय योजनाओं की राशि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान के विरूद्ध व्यय की जाती है। प्रश्नानुसार वांछित विभागवार जानकारी अनुसूचित जाति विशेष घटक (एससीपी) हेतु जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टीएसपी) हेतु जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार हैं।

जिला- राजनांदगांव अंतर्गत रूरल इण्डस्ट्रीयल पार्क (रीपा) की स्थापना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. (क्र. 1530) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव अंतर्गत कितने रूरल इण्डस्ट्रीयल पार्क (रीपा) की स्थापना की गई है एवं क्या वर्तमान में ये रूरल इण्डस्ट्रीयल पार्क संचालित हैं ? (ख) उक्त योजना अंतर्गत किन-किन मदों द्वारा कौन-कौन सी संरचनाओं का निर्माण किया गया है? रीपावार, संरचनावार,व्ययवार, मूल्यांकन सत्यापन सहित जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [(क) एवं (ख) की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ एवं ब''** अनुसार है। **]** (क) जिला राजनांदगांव अंतर्गत कुल 08 रूरल इण्डस्ट्रीयल पार्क (रीपा) की स्थापना की गई है वर्तमान में 07 रूरल इण्डस्ट्रीयल पार्क (रीपा) संचालित एवं 01 असंचालित हैं। (ख) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है ।

[पुनरीक्षित उत्तर]

परिशिष्ट - ग्यारह

जिला बालोद के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा क्रय किये गये सामग्री व उपकरण
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

28. (क्र. 1590) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक की अवधि में कृषि तथा उद्यानिकी विभाग, जिला बालोद के द्वारा किन-किन मदों से कितनी राशि की सामग्रियॉं व उपकरण किन-किन संस्थां/फर्म/एजेंसी से कितनी मात्रा में क्रय किया गया है? क्रय किये गये सामग्री/उपकरणों का वर्षवार, फर्मवार विवरण देवें. (ख) कण्डिका 'क' के संस्था/फर्म/एजेंसी का चयन/निर्धारण किस आधार पर किया गया? क्रय किये सामग्री/उपकरणों से जिले के कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? इसके अलावा उक्तावधि में विभाग द्वारा संचालित अन्य किन-किन योजनाओं का लाभ जिले के कितने हितग्राहियों को दिया गया है? वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ख) **जानकारी संकलित** की जा रही है। **]** (क) दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी 2025 तक की अवधि में उपसंचालक कृषि जिला बालोद द्वारा "शत् प्रतिशत अनुदान" तथा ''अनुदान सह कृषक अंश" पर क्रय की गयी सामग्रियों/उपकरणों का वर्गवार, मात्रावार, फर्मवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** उक्त अवधि में सहायक संचालक उद्यान, जिला बालोद द्वारा क्रय की गयी सामग्रियों का वर्षवार, मात्रावार, फर्मवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स, प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।** (ख) उपसंचालक कृषि जिला बालोद द्वारा "शत् प्रतिशत अनुदान" पर वितरण हेतु क्रय की गयी सामग्री/उपकरण दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना, बालोद को उपलब्ध कराया

गया जो कृषकों को आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता है, अतः लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या बताया जाना संभव नहीं है। क्रय से संबंधित संस्थाओं के चयन का आधार तथा लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।** उक्त योजनाओं के अतिरिक्त जिले में संचालित अन्य योजनाओं से लाभान्वित कृषकों का विकासखण्डवार, योजनावार संख्यात्मक विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क एवं प्रपत्र-ख अनुसार है।** **[पृथक वितरित उत्तर]**

आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्राप्त एवं व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

29. (क्र. 1634) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक राज्य मद, केन्द्रांश एवं विशेष केन्द्रीय सहायता मद में कुल कितना बजट प्रावधान था? कितना केन्द्रांश मिला? विशेष केन्द्रीय सहायता मद से कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त समस्त राशि कितने कार्यों में कितनी-कितनी व्यय हुई? कितनी शेष है? वर्षवार, मदवार, कार्यवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार बीजापुर जिले को कितनी राशि प्रदान की गई? कितनी व्यय हुई है? कितनी शेष है? वर्षवार, मदवार, कार्य का नाम सहित, विकासखण्डवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) एवं (ख) **जानकारी संकलित** की जा रही है। **]** (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र -अ एवं ब अनुसार** है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र -**स** अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक राशि प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट - बारह

अनुसूचित जाति घटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट अंतर्गत प्रचार-प्रसार में व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

30. (क्र. 1671) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (SCP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) बजट अंतर्गत बीते 03 वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों को योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रचार-प्रसार हेतु अलॉट बजट एवं खर्च की गई बजट की जानकारी दें ? (ख) पिछले 03 वित्तीय वर्ष में कितनी प्रचार प्रसार/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ? जिलावार, वर्षवार जानकारी प्रदान करेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ख) **जानकारी संकलित** की जा रही है। **]** (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -अ एवं प्रपत्र -ब** अनुसार है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -स एवं प्रपत्र -द** अनुसार है। **[पृथक वितरित उत्तर]**

ए.सी.बी./ ई.ओ.डब्लू. के दर्ज प्रकरणों में कृत कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

31. (क्र. 1841) डॉ. चरण दास महंत : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर 2023 से जनवरी 2025 तक ए.सी.बी./आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) द्वारा प्रदेश में कितने लोक सेवकों एवं अन्य को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया ? कितने अपराध पंजीबद्ध किए गए? कितनी राशि जब्त की गई? लोक सेवकों एवं अन्य के नाम/पदनाम/जब्त की गई राशि/कार्यालय का पता सहित जानकारी तिथिवार देंवे ? (ख) इन प्रकरणों में लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया है ? आरोपी

लोक सेवक वर्तमान में सेवा मे है या निलंबित हैं या दण्डित किया गया है ? (ग) भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कितने-कितने प्रकरण, किस-किस स्टेज/स्थिति में हैं ? कितने प्रकरणों में खात्मा किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : [(क) दिसम्बर, 2023 से जनवरी 2025 तक ए.सी.बी./ आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (EOW) द्वारा प्रदेश में 66 लोक सेवकों एवं अन्य 04 को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया । 51 अपराध पंजीबद्ध किए गए । कुल राशि रूपये 12,83,000/- (बारह लाख तिरासी हजार मात्र) जब्त की गई । जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) इन प्रकरणों में लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्ध 51 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल निरूद्ध किया गया । 35 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है । कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम नं.-8 में उल्लेखित है। प्रश्नांश "ख" के शेष बिंदु के संबंध में संबंधित विभागों से **जानकारी एकत्रित की जा रही है ।** (ग) भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण किस-किस स्टेट/स्थिति में हैं तथा कितने प्रकरणों में खात्मा किया गया है, उसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	प्रकरणों में कार्यवाही का विवरण स्टेज/स्थिति
01.	विवेचना जारी प्रकरणों की संख्या 28
02.	चालान पेश उपरांत धारा-173(8) दं0प्र0सं0 के तहत विवेचना जारी प्रकरणों की सख्या 03
03.	चालान पेश प्रकरणों की संख्या 35
04.	अभियोजन स्वीकृति आदेश लंबित (शासन से अप्राप्त) प्रकरणों की संख्या 03
05.	सी.बी.आई. को स्थानांतरित प्रकरणों की संख्या 02
06.	खात्मा किये गये प्रकरणों की संख्या 00

कुल पंजीबद्ध प्रकरणो की संख्या 71**]**

(क) दिसम्बर, 2023 से जनवरी 2025 तक ए.सी.बी./ आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (EOW) द्वारा प्रदेश में 66 लोक सेवकों एवं अन्य 04 को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया । 51 अपराध पंजीबद्ध किए गए । कुल राशि रूपये 12,83,000/- (बारह लाख तिरासी हजार मात्र) जब्त की गई । जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) इन प्रकरणों में लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्ध 51 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल निरूद्ध किया गया । 35 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है । कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम नं.-8 में उल्लेखित है।आरोपी लोक सेवक वर्तमान में सेवा में है या निलंबित हैं या दण्डित किया है, की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण किस-किस स्टेट/स्थिति में हैं तथा कितने प्रकरणों में खात्मा किया गया है, उसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	प्रकरणों में कार्यवाही का विवरण स्टेज/स्थिति
01.	विवेचना जारी प्रकरणों की संख्या 28
02.	चालान पेश उपरांत धारा-173(8) दं0प्र0सं0 के तहत विवेचना जारी प्रकरणों की सख्या 03
03.	चालान पेश प्रकरणों की संख्या 35
04.	अभियोजन स्वीकृति आदेश लंबित (शासन से अप्राप्त) प्रकरणों की संख्या 03
05.	सी.बी.आई. को स्थानांतरित प्रकरणों की संख्या 02
06.	खात्मा किये गये प्रकरणों की संख्या 00

कुल पंजीबद्ध प्रकरणो की संख्या 71

<u>परिशिष्ट - तेरह</u>

बिगड़े वनों के सुधार योंजना के अंतर्गत कार्यों की अद्यतन स्थिति
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

32. (क्र. 2033) श्री भोलाराम साहू : क्या वन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले में पिछले तीन वर्ष से दिनांक 31.01.2025 तक किन-किन वन परिक्षेत्र अंतर्गत, कितनी-कितनी लागत से बिगड़े वनों के सुधार योंजना के अंतर्गत कितने पौधे कहॉ-कहॉ पर किस प्रजाति के लगाए गए हैं ? वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार, स्थलवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक ''क'' के अवधि में रोपे गए कितने पौधे सुरक्षित हैं ? वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [(क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नावधि में हाथियों के हमले से सूरजपुर वनमण्डल में 25, बलरामपुर वनमण्डल में 03 एवं एलिफेंट रिजर्व सरगुजा में 03 कुल 31 जनहानि के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। (ख) उक्त पंजीबद्ध 31 जनहानि के प्रकरणों प्रभावितों के आश्रितों को कुल रूपये 1,80,25,000/- का मुआवजा वितरण किया गया है। मुआवजा राशि सहित प्रभावितों की **सूची संलग्न प्रपत्र 'अ'एवं 'ब'में दर्शित है।** (ग) सूरजपुर वनमण्डल अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनहानि के 01 प्रकरण वैद्य उत्तराधिकारी में विवाद के कारण माननीय तहसील न्यायालय प्रतापपुर में प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण निराकृत होने पर तत्काल मुआवजा भुगतान की कार्यवाही किया जावेगा।(घ) जनहानि के 01 प्रकरण में वैद्य उत्तराधिकारी में विवाद होने के कारण प्रकरण माननीय तहसील न्यायालय प्रतापपुर में विचाराधीन होने के कारण लंबित है। **]** (क) मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला नवम्बर 2023 से अपने अस्तित्व में आया है। उसके उपरांत बिगड़े वनों का सुधार योजनांतर्गत रोपण का कार्य 31.01.2025 तक नहीं कराया गया है। राजनांदगांव जिले में पिछले तीन वर्ष से दिनांक 31.01.2025 तक बिगड़े वनों के सुधार योजना के अंतर्गत रोपे गए पौधों की परिक्षेत्रवार, लागतवार, स्थलवार, पौधा संख्या तथा रोपित प्रजातियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।** (ख) प्रश्नांश 'क' के अवधि में रोपे गए पौधों में से सुरक्षित पौधों की वर्षवार, परिक्षेत्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।**

परिशिष्ट - चौदह

मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी का लंबित क्षतिपूर्ति मानदेय भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. (क्र. 2040) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला - रायगढ़ अंतर्गत मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत कितने मितानिन , मितानिन प्रशिक्षक, ब्लाक समन्वयक, स्वस्थ पंचायत समन्वयक, एरिया क्वार्डीनेटर, हेल्पडेक्स फेसिलेटर कार्यरत हैं विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) इनका पदवार कितना-कितना राशि क्षतिपूर्ति (प्रोत्साहन राशि) मानदेय के रूप में दी जाती है जनवरी, 2025 की स्थिति में कितने माह का क्षति पूर्ति (प्रोत्साहन राशि) मानदेय भुगतान लम्बित है ? भुगतान कब तक कर लिया जाएगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : [(क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है**। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है**। क्षतिपूर्ति (प्रोत्साहन राशि) माह जनवरी 2025 का मानदेय भुगतान लम्बित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **]** (क) **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है**। (ख) **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है**। क्षतिपूर्ति (प्रोत्साहन राशि) माह जनवरी 2025 एवं फरवरी 2025 का मानदेय भुगतान लम्बित है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

परिशिष्ट - पन्द्रह

फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों पर कृत कार्यवाही

[समाज कल्याण]

34. (क्र. 2187) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह-फरवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी प्राप्त करने के कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त प्रकरण/शिकायत पर जांच उपरांत कितने प्रकरणों में शिकायत सही पाई गई? जानकारी देवें ? (ग) दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : [(क), (ख) एवं (ग) **जानकारी संकलित** की जा रही है।**]** प्रश्नांश क, ख एवं ग की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

परिशिष्ट - सोलह

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित आश्रम/छात्रावासों में हुई मौतें

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

35. (क्र. 2271) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित किन-किन शासकीय आश्रम/छात्रावासों में विगत् 03 वर्षों में हुई मौतों की जानकारी कारण सहित बतावें? (ख) क्या इन प्रकरणों के लिए विभागीय स्तर अथवा जिला प्रशासन के स्तर पर जांच की गई? जांच का निष्कर्ष क्या आया? संक्षिप्त में बतावें? (ग) क्या इन प्रकरणों में कोई अधिकारी व कर्मचारी का अपने कर्तव्य के प्रति विपरीत आचरण करना पाया गया? यदि हां तो की गई कार्यवाही बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित शासकीय आश्रम/छात्रावासों में विगत् 03 वर्षों में हुई मौंतों का कारण सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रकरणों के लिए विभागीय स्तर अथवा जिला प्रशासन के स्तर कराई गई जांच के निष्कर्ष की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) उक्त प्रकरणों में अपने कर्तव्य के प्रति विपरीत आचरण के दोषी पाये जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी पर की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **]** (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित शासकीय आश्रम/छात्रावासों में विगत् 03 वर्षों में हुई मौंतों का कारण सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रकरणों के लिए विभागीय स्तर अथवा जिला प्रशासन के स्तर कराई गई जांच के निष्कर्ष की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) उक्त प्रकरणों में अपने कर्तव्य के प्रति विपरीत आचरण के दोषी पाये जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी पर की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

परिशिष्ट - सत्रह

कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त आधार/प्रमाणित बीज का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

36. (क्र. 2290) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त आधार/प्रमाणित बीज का वितरण शासन की कौन-कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है एवं क्या इसके लिए शासन के पास कोई प्रमाणीकरण संस्था हैं, हां तो कौन-कौन? (ख) क्या निजी कंपनियों के द्वारा भी कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त आधार/प्रमाणित बीज वितरण करने की अनुमति शासन द्वारा दी जाती है ? यदि हां, तो छ.ग. की कौन-कौन सी संस्था को अधिकृत किया गया है? (ग) विगत 03 वर्षों में गुणवत्ताहीन बीजों से संबंधित कितने मामले सामने आए हैं एवं उसके ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है एवं गुणवत्ताहीन बीज देने वाले संस्थानों/कंपनियों के ऊपर नकेल कसने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ख) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ग) **जानकारी संकलित** की जा रही है। **]** (क) संचालनालय कृषि एवं उद्यानिकी के अधीनस्थ जिला एवं विकासखण्ड़ स्तरीय कार्यालयों, शासकीय रोपणियों तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत जिलों में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं में प्रावधान अनुसार कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्तआधार/प्रमाणित बीजों का निःशुल्क/अनुदान पर वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त शासकीय संस्थाओं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि,निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स द्वारा यथा स्थिति राज्य/जिला अनुज्ञापन अधिकारी से बीज विक्रय अनुज्ञा प्राप्त कर निर्धारित विक्रय केंद्रों के माध्यम से कृषकों को आधार एवं प्रमाणित श्रेणी के बीजों का विक्रय किया जाता है। राज्य में उत्पादित बीजों के प्रमाणीकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था रायपुर शासन द्वारा अधिकृत है, इस संस्था द्वारा बीज विक्रय अथवा वितरण का कार्य संपादित नही किया जाता है। (ख) निजी कंपनियों/संस्थाओं द्वारा राज्य में बीज भण्डारण एवं विक्रय हेतु राज्य अथवा जिला अनुज्ञापन अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर निर्धारित स्थलों पर बीज भण्डारण एवं विक्रय किया जा सकता है। छ.ग. राज्य से संबंधित बीज उत्पादक संस्थाओं/निजी कंपनियों जिनके द्वारा राज्य में बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा प्राप्त की गई है, का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) विगत 03 वर्षों में गुणवत्ताहीन बीजोंसे संबंधित मामले एवं संबंधित संस्थानों/ कंपनियों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** **[पृथक वितरित उत्तर]**

पदक विजेता खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति ।

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

37. (क्र. 2473) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के मान्यता प्राप्त संगठनों में विगत 05 वर्षों में विभिन्न खेलों में कुल कितने पदक विजेता खिलाड़ी हैं? वर्षवार एवं नामवार विवरण देवें? (ख) खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति देने क्या नीति एवं नियम हैं? यदि हां, तो विस्तृत विवरण देवें? (ग) कंडिका "क" के कौन-कौन से पदक विजेता खिलाड़ियों को कौन-कौन से विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गयी है ? शेष पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति देने के लिए क्या कार्य योजना है ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [(क) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ख) खिलाड़ियों का शासकीय सेवा मे नियुक्ति देने हेतु शासन मे उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति-2007 एवं नियम 2010 प्रचलित है/विवरण हेतु नियम की **प्रति पुस्कालय में रखे अनुसार है।** (ग) **जानकारी संकलित** की जा रही है। **]** (क) **जानकारी पुस्कालय में रखें प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) खिलाड़ियों का शासकीय सेवा मे नियुक्ति देने हेतु शासन मे उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति-2007 एवं नियम 2010 प्रचलित है/विवरण हेतु नियम की **प्रति पुस्कालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ग) **जानकारी पुस्कालय में रखें प्रपत्र ब अनुसार है।** सीनियर वर्ग में पदक विजेता खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति-2007 एवं नियम-2010 के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने के उपरान्त शासकीय सेवा में नियुक्ति के प्रावधान है।

राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाडीयों

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

38. (क्र. 2493) श्री सुशांत शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से फरवरी, 2025 तक प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने किन-किन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया? किन-किन खिलाडियों ने उक्त प्रतिस्पर्धाओं में किन-किन खेलों में पदक हासिल किया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन के क्या-क्या नियम हैं? उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन हेतु प्रश्नांकित (क) अवधि में कब-कब

आवेदन लिये गये? कितनों ने आवेदन किया? कितने पात्र एवं अपात्र पाये गये? यदि आवेदन नहीं लिये गये तो कारण बतावें? (ग) किन-किन सरकारी विभागों में खेल कोटे के तहत कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? पदों में चयन हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता क्या निर्धारित है? पात्र कितने खिलाड़ियों को प्रश्नांकित अवधि में खेल कोटे से किन-किन पदों पर सरकारी नौकरी दी गई? वर्तमान में कितने पद इस कोटे के तहत किन-किन विभागों में रिक्त हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [(क) **जानकारी संकलित** की जा रही है। (ख) प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति 2007 एवं नियम 2010 प्रावधानित है। प्रश्नाधीन अवधि में 18 मई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किये गये जिसमें 439 ने आवेदन किया। पात्रता एवं अपात्रता का पुर्नपरीक्षण प्रक्रियागत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) खेल कोटे के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम 2010 अंतर्गत सभी शासकीय विभागों में 2 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये है। पदों में चयन हेतु विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों के लिए पृथक-पृथक योग्यता/अर्हता निर्धारित है। प्रश्नाधीन अवधि में पात्रता का निर्धारण प्रक्रियागत होने से सरकारी नौकरी दिये जाने संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) **जानकारी पुस्कालय में रखें प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति 2007 एवं नियम 2010 प्रावधानित है। प्रश्नाधीन अवधि में 18 मई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किये गये जिसमें 439 ने आवेदन किया। पात्रता एवं अपात्रता का पुर्नपरीक्षण प्रक्रियागत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) खेल कोटे के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम 2010 अंतर्गत सभी शासकीय विभागों में 2 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये है। पदों में चयन हेतु विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों के लिए पृथक-पृथक योग्यता/अर्हता निर्धारित है। प्रश्नाधीन अवधि में पात्रता का निर्धारण प्रक्रियागत होने से सरकारी नौकरी दिये जाने संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में खेल कोटे के तहत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की **जानकारी पुस्कालय में रखें प्रपत्र-ब अनुसार है।**

(जनवरी, 2024 से जनवरी 2025 तक बंद इण्डक्शनफर्नेस (मिनी स्टील प्लांट) और रोलिंग मिल की जानकारी)

क्र	जिले का नाम	इकाई का नाम व पता	उत्पाद का नाम	उत्पादन क्षमता में कमी (मे. टन)	बंद होने के पूर्व नियोजित				बंद होने का कारण
					कर्मचारी	तकनीशियन/इंजीनियर	प्रबंधक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजनांदगांव	मे. ओरियेण्ट इस्पात प्रा.लि., टेडेसरा तह. व जिला– राजनांदगांव	एच आर स्ट्रिप	36000	6	24	3	33	परिचालन घाटा
2	रायपुर	मेसर्स श्री श्याम इंगाट एण्ड कॉस्टिंग प्रा. लि., भूखण्ड क्र. 103 पार्ट, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस–2, रायपुर	एम.एस. इंगॉट	18000	12	8	3	23	वित्तीय कारणों से बंद है।
3	रायपुर	मेसर्स श्री राम रोलिंग मिल, (एस.एम.एस. डिविजन), औ. क्षेत्र रावाभाठा, जिला रायपुर	एंगल्स सेप्स एण्ड सेक्सन ऑफ फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्, इंगॉट आयरन, माईल्ड स्टील बिलेट्स ब्लूम्स	49360	35	6	5	46	वित्तीय कारणों से बंद है।
4	रायपुर	मेसर्स लक्ष्मीरूप प्रा.लि., युनिट–2, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला रायपुर	एम.एस. इंगाट एण्ड रि–रोल्ड प्रोडक्ट	148000	35	64	8	107	वित्तीय कारणों से बंद है।
5	रायपुर	मेसर्स प्रयास स्टील, भूखण्ड क. 5–8, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस–2, जिला रायपुर	इंगाट आयरन	59500	27	28	10	65	वित्तीय कारणों से बंद है।
			योग	**310860**	**115**	**130**	**29**	**274**	

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

अनुबंध-अ

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में अमानक खाद, उर्वरक के वितरण के संबंध में (रासायनिक उर्वरक)

क्र.	वर्ष	प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित उर्वरक नमूना संख्या (रसायनिक उर्वरक)	प्राप्त परिणाम		अमानक पाये जाने पर की गयी कार्यवाही			क्या अमानक खाद कृषकों को वितरित किया गया हॉ/नहीं	विश्लेषण परिणाम प्राप्ति दिनांक	अमानक पाये जाने पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दिनांक	यदि हॉ तो			अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही		प्रतिबंध नहीं लगाने जाने की स्थिति में		यदि नमूना नहीं लिया गया	
			मानक	अमानक	संस्था/विक्रय केन्द्रों का नाम	की गयी कार्यवाही	प्रतिबंधित उर्वरक की मात्रा (मे.टन में)				कृषकों की संख्या	अमानक उर्वरक की वितरित मात्रा (मे. टन में)	अमानक उर्वरक वितरण प्रकरण की जांच की कार्यवाही	प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम /पदनाम	उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2022–23	228	222	3	डबल लॉक, सिमगा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	12.00	नहीं	10/05/2022	18/05/2022	-	-	-	श्री अखिलेश दत्त दुबे, वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					डबल लॉक, सिमगा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	34.80	नहीं	17/05/2022	19/05/2022	-	-	-	श्री अखिलेश दत्त दुबे, वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, सिंगारपुर	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	5.00	नहीं	23.02.2023	23/02/2023	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
2	2023–24	218	209	5	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, पलारी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	30.00	नहीं	10/07/2023	12/07/2023	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					डबल लॉक, पलारी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	20.00	नहीं	10/02/2024	15/02/2024	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
					डबल लॉक, पलारी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	0.70	नहीं	15/02/2024	15/02/2024	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
					डबल लॉक, कसडोल	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	0.50	नहीं	09.02.2024	09/02/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
					आचार्य कृषि सेवा केंद्र, कसडोल	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	1.00	नहीं	05/02/2024	06/02/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर राय, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
3	2024–25 (31.01. 2025 तक)	236	220	6	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बलौदाबाजार	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	0.50	नहीं	23/10/2024	25/10/2024	-	-	-	श्री राजेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					जैन लोहा बाड़, भाटापारा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	7.50	नहीं	22/09/2024	25/09/2024	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
					न्यू साहू कृषि केन्द्र, तरेंगा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	0.50	नहीं	23/11/2024	26/11/2024	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
					कृषि सेवा केंद्र, पलारी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	2.00	नहीं	10/01/2025	15/01/2025	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
					जैन लोहा बाड़ा भाटापारा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	1.00	नहीं	19.02.2025	21.02.2025	-	-	-	श्री अवधेश उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-
					कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पलारी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	0.02	नहीं	05/10/2024	10/10/2024	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी		-	-	-	-

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग.रायपुर

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में अमानक खाद, उर्वरक के वितरण के संबंध में (जैव/कार्बनिक उर्वरक)

क्र.	वर्ष	प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित उर्वरक नमूना संख्या (जैव/कार्बनिक उर्वरक)	प्राप्त परिणाम		अमानक पाये जाने पर की गयी कार्यवाही				क्या अमानक खाद कृषकों को वितरित किया गया (हाँ/नहीं)	विश्लेषण परिणाम प्राप्ति दिनांक	अमानक पाये जाने पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दिनांक	यदि हाँ तो			अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही		प्रतिबंध नहीं लगाने जाने की स्थिति में		यदि नमूना नहीं लिया गया	
			मानक	अमानक	संस्था/विक्रय केन्द्रों का नाम	की गयी कार्यवाही	प्रतिबंधित उर्वरक की मात्रा (लीटर में)	प्रतिबंधित उर्वरक की मात्रा (मे. टन)				कृषकों की संख्या	अमानक उर्वरक की वितरित मात्रा (मे. टन में)	अमानक उर्वरक वितरण प्रकरण की जांच की कार्यवाही	प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम/पदनाम	उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा	कारण	राक्षम अधिकारी का नाम	कारण	राक्षम अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2022–23	5	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2023–24	47	34	8	वर्मा कृषि सेवा केन्द्र, सण्डी पलारी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	-	0.02	नहीं	25/10/2023	25/10/2023	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					वर्मा ट्रेडर्स, हथबंद	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	-	0.9	नहीं	03/09/2023	12/09/2023	-	-	-	श्री रामअवतार राठौर, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					गुप्ता कृषि केन्द्र, सिमगा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	-	0.048	नहीं	19.10.2023	20/10/2023	-	-	-	श्री रामअवतार राठौर, कृषि विकास अधिकारी	उउर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					पटेल कृषि सेवा केन्द्र, करहीबाजार	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	-	0.012	नहीं	11/10/2023	13/10/2023	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) D के तहत	-	-	-	-
					चन्द्रेश कृषि सेवा केन्द्र, छड़िया पलारी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	17 लीटर	-	नहीं	15/12/2023	21/12/2023	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					चन्द्राकर कृषि सेवा केन्द्र, बटगन	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	-	0.06	नहीं	15/12/2023	21/12/2023	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					कार्या.वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.ख. भाटापारा, द्वारा छ0ग0 राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, बलौदाबाजार	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	15 लीटर (100 मि. ली.x150)	-	नहीं	14/12/2023	21/12/2023	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					कार्या.वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.ख. भाटापारा, द्वारा छ0ग0 राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, बलौदाबाजार	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	-	0.12	नहीं	17/01/2024	17/01/2024	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
3	2024–25 (31.01. 2025 तक)	26	15	2	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	-	63.5	नही	20/11/2024	25/11/2024	-	-	-	धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-
					अतुल इटरप्रेजेस, भाटापारा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	-	0.08	नहीं	08/08/2024	12/08/2024	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) डी	-	-	-	-

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग.रायपुर

प्रपत्र-क

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में अमानक बीज के वितरण के संबंध में

क्र.	वर्ष	प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित बीज नमूना संख्या	प्राप्त परिणाम		अमानक पाये जाने पर की गयी कार्यवाही			क्या अमानक बीज कृषकों को वितरित किया गया (हॉ/नही)	विश्लेषण परिणाम प्राप्ति दिनांक	अगानक पाये जाने पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दिनांक	यदि हॉ तो			अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही		प्रतिबंध नहीं लगाने जाने की स्थिति में		यदि नमूना नहीं लिया गया	
			मानक	अमानक	संस्था /विक्रय केन्द्रों का नाम	की गयी कार्यवाही	प्रतिबंधित बीज की मात्रा (क्विं.)				कृषकों की संख्या	अमानक बीज की वितरित मात्रा (क्विं. में)	अमानक बीज वितरण प्रकरण की जांच की कार्यवाही	प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम /पदनाम	बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2022-23	348	331	15	कार्यालय.व.कृ.वि.अ. सिमगा	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	5.00	नहीं	26/04/2022	29/04/2022	-	-	-	श्री अखिलेश दत्त दुबे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					ग्रामीण सेवा सहकारी समिति, सकलोर	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	39.00	नहीं	04/07/2022	08/07/2022	-	-	-	श्री पी.एल. अहिरवार, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, तरेंगा	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	67.50	नहीं	07/06/2022	16/06/2022	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लेवई	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	81.00	नहीं	07/06/2022	16/06/2022	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, देवरी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	30.00	नहीं	07/06/2022	16/06/2022	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, साराडीह	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	43.80	नहीं	05/07/2022	11/07/2022	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, रेंगाडीह	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	58.80	नहीं	29/07/2022	01/08/2022	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					कार्यालय.व.कृ.वि.अ. पलारी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	25.20	नहीं	01/09/2022	05/09/2022	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, भरसेला	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	59.70	नहीं	04/07/2022	11/07/2022	-	-	-	श्री राजेन्द्र कुमार पटेल कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, भरसेला	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	7.20	नहीं	04/07/2022	11/07/2022	-	-	-	श्री राजेन्द्र कुमार पटेल कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, भरसेला	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	23.10	नहीं	04/07/2022	11/07/2022	-	-	-	श्री राजेन्द्र कुमार पटेल कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-

क्र.	वर्ष	प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित बीज नमूना संख्या	प्राप्त परिणाम		अमानक पाये जाने पर की गयी कार्यवाही			क्या अमानक बीज कृषकों को वितरित किया गया (हाँ/नहीं)	विश्लेषण परिणाम प्राप्ति दिनांक	अमानक पाये जाने पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दिनांक	यदि हाँ तो			अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही		प्रतिबंध नहीं लगाने जाने की स्थिति में		यदि नमूना नहीं लिया गया	
			मानक	अमानक	संस्था /विक्रय केन्द्रों का नाम	की गयी कार्यवाही	प्रतिबंधित बीज की मात्रा (क्विं.)				कृषकों की संख्या	अगानक बीज की वितरित मात्रा (क्विं. में)	अमानक बीज वितरण प्रकरण की जांच की कार्यवाही	प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम /पदनाम	बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2022-23				कार्यालय.व.कृ.वि.अ. पलारी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	7.65	नहीं	05/01/2023	12/01/2023	-	-	-	श्री सुधिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					कार्यालय.व.कृ.वि.अ. कसडोल	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	5.00	नहीं	10/01/2023	19/01/2023	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					जोगी कृषि सेवा केंद्र, कसडोल	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	6.00	नहीं	10/01/2023	19/01/2023	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					कार्यालय.व.कृ.वि.अ. बलौदाबाजार	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	17.20	नहीं	20/12/2022	27/12/2022	-	-	-	श्री राजेन्द्र कुमार पटेल, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
2	2023-24	449	434	10	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लेवई	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	40.20	नहीं	10.05.2023	11/05/2023	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, खोखली	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	30.00	नहीं	09/05/2023	11/05/2023	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, अर्जुनी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	40.20	नहीं	07/06/2023	09/06/2023	-	-	-	श्री राजेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लवन	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	3.60	नहीं	20/11/2023	22/11/2023	-	-	-	श्री राजेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लवन	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	40.40	नहीं	20/11/2023	22/11/2023	-	-	-	श्री राजेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लवन	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	6.00	नहीं	20/11/2023	22/11/2023	-	-	-	श्री राजेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लवन	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	10.00	नहीं	20/11/2023	22/11/2023	-	-	-	श्री राजेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, रोहरा	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	10.20	नहीं	23/12/2023	05/01/2024	-	-	-	श्री रामावतार राठौर, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-

क्रं.	वर्ष	प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित बीज नमूना संख्या	प्राप्त परिणाम		अमानक पाये जाने पर की गयी कार्यवाही			क्या अमानक बीज कृषकों को वितरित किया गया (हाँ/नही)	विश्लेषण परिणाम प्राप्ति दिनांक	अमानक पाये जाने पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दिनांक	यदि हाँ तो			अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही		प्रतिबंध नहीं लगाने जाने की स्थिति में		यदि नमूना नहीं लिया गया	
			मानक	अमानक	संस्था /विक्रय केन्द्रों का नाम	की गयी कार्यवाही	प्रतिबंधित बीज की मात्रा (क्विं.)				कृषकों की संख्या	अमानक बीज की वितरित मात्रा (क्विं. में)	अमानक बीज वितरण प्रकरण की जांच की कार्यवाही	प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम /पदनाम	बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2023-24				प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कोसमंदी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	24.40	नहीं	12/12/2022	15/12/2023	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पलारी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	50.00	नहीं	28/12/2023	31/01/2024	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
3	2024-25 (31-01-2025 तक)	475	450	20	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, अमेरा	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	60.00	नहीं	02/05/2024	13/05/2024	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कोसमंदी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	36.90	नहीं	02/05/2024	13/05/2024	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, दामाखेड़ा	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	30.00	नहीं	14/05/2024	24/05/2024	-	-	-	श्री रामावतार राठौर, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, गोढ़ी–टी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	175.80	नहीं	09/07/2024	11/07/2024	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, अर्जुनी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	75.00	नहीं	27/06/2024	28/06/2024	-	-	-	श्री राजेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, चौरेंगा	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	53.10	नहीं	22/06/2024	25/06/2024	-	-	-	श्री रामावतार राठौर, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, चौरेंगा	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	49.80	नहीं	09/07/2024	15/07/2024	-	-	-	श्री रामावतार राठौर, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					सौरभ कृषि केंद्र, हथबंद	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	10.00	नहीं	25/06/2024	28/06/2024	-	-	-	श्री रामावतार राठौर, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, दामाखेड़ा	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	0.60	नहीं	23/07/2024	24/07/2024	-	-	-	श्री रामावतार राठौर, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, तुलसी	भण्डारण/विक्रय/ वितरण प्रतिबंध	0.90	नहीं	23/07/2024	24/07/2024	-	-	-	श्री रामावतार राठौर, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-

क्र.	वर्ष	प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित बीज नमूना संख्या	प्राप्त परिणाम		अमानक पाये जाने पर की गयी कार्यवाही			क्या अमानक बीज कृषकों को वितरित किया गया (हाँ/नही)	विश्लेषण परिणाम प्राप्ति दिनांक	अमानक पाये जाने पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दिनांक	यदि हाँ तो			अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही		प्रतिबंध नहीं लगाने जाने की स्थिति में		यदि नमूना नहीं लिया गया	
			मानक	अमानक	संस्था /विक्रय केन्द्रो का नाम	की गयी कार्यवाही	प्रतिबंधित बीज की मात्रा (क्विं.)				कृषकों की संख्या	अमानक बीज की वितरित मात्रा (क्विं. में)	अमानक बीज वितरण प्रकरण की जांच की कार्यवाही	प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम /पदनाम	बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम	कारण	सक्षम अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, बार	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	14.40	नहीं	25/06/2024	27/06/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, बार	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	5.70	नहीं	25/06/2024	27/06/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कुसुमसरा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	105.00	नहीं	25/06/2024	27/06/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कुसुमसरा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	45.00	नहीं	25/06/2024	27/06/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, बया	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	30.00	नहीं	25/06/2024	27/06/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बलौदाबाज़ार	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	90.00	नहीं	25/07/2024	30/07/2024	-	-	-	श्री राजेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बलौदाबाज़ार	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	10.00	नहीं	25/07/2024	30/07/2024	-	-	-	श्री राजेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	30.00	नहीं	07/12/2024	12/12/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	7.70	नहीं	16/12/2024	19/12/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-
					कार्यालय, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, छेरकापुर (पलारी)	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	30.00	नहीं	12/12/2024	12/12/2024	-	-	-	श्री सुचिन कुमार वर्मा, कृषि विकास अधिकारी	बीज अधिनियम 1966, की धारा 14(सी) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 13 (डी)	-	-	-	-

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

नोडल अधिकारी (वि.सं.)
संचालनालय कृषि
छ.ग.रायपुर

प्रपत्र-स

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में अमानक कीटनाशक के वितरण के संबंध में

क्र.	वर्ष	प्रयोगशाला मे परीक्षण हेतु प्रेषित कीटनाशक नमूना संख्या	प्राप्त परिणाम		अमानक पाये जाने पर की गयी कार्यवाही			क्या अमानक कीटनाशक कृषकों को वितरित किया गया (हाँ/नही)	विश्लेषण परिणाम प्राप्ति दिनांक	अमानक पाये जाने पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दिनांक	यदि हाँ तो			अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही		प्रतिबंध नहीं लगाने जाने की स्थिति में		यदि नमूना नहीं लिया गया	
			मानक	अमानक	संस्था /विक्रय केन्द्रों का नाम	की गयी कार्यवाही	प्रतिबंधित कीटनाशक की मात्रा				कृषकों की संख्या	अमानक कीटनाशक की वितरित मात्रा (लीटर/किं. में)	अमानक कीटनाशक वितरण प्रकरण की जांच की कार्यवाही	प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम /पदनाम	कीटनाशी अधिनियम, 1968, की धारा	कारण	राक्षम अधिकारी का नाम	कारण	राक्षम अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2022-23	27	18	4	आनंद कृषि केंद्र, अचानकपुर	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	50 ली.	नहीं	05/09/2022	12/09/2022	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					साहू कृषि केंद्र , देवरी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	2.50 ली.	नहीं	20/12/2022	21/12/2022	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					मदन ट्रेडर्स, बिटकुली	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	3.00 ली.	नहीं	20/12/2022	21/12/2022	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					विकास कृषि केंद्र, भाटापारा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	3.00 ली.	नहीं	20/12/2022	21/12/2022	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
2	2023-24	54	31	5	न्यू किसान ट्रेडर्स,अर्जुनी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	5.250 ली.	नहीं	01/12/2023	11/12/2023	-	-	-	श्री राजेन्द्र कुमार पटेल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					कार्यालय. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	1.0 ली.	नहीं	06-03-22024	14/03/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					कार्यालय. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भाटापारा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	2.5 ली.	नहीं	21/02/2024	27/02/2024	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					कार्यालय. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भाटापारा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	15 ली.	नहीं	09/02/2024	15/02/2024	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी				
					कार्यालय. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भाटापारा	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	0.1 विव.	नहीं	20/02/2024	27/02/2024	-	-	-	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी				
3	2024-25 (31-01-2025 तक)	46	28	5	जोगी कृषि केंद्र, कसडोल	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	5.0 ली.	नहीं	30/05/2024	30/05/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					अन्नपूर्ण कृषि केंद्र, गिधौरी	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	10.0 ली.	नहीं	05/09/2024	12/09/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					मदन ट्रेडर्स, बिटकुली	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	3.5 ली.	नहीं	27/08/2024	10/09/2024	-	-	-	श्री अवधेश उपाध्याय कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					जायसवाल ट्रेडर्स, बलौदा बाजार	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	1.70 ली.	नहीं	22/07/2024	30/07/2024	-	-	-	श्री राजेन्द्र कुमार पटेल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-
					कार्यालय. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल	भण्डारण/विक्रय/वितरण प्रतिबंध	27.00 विव.	नहीं	09/09/2024	17/09/2024	-	-	-	श्री धनेश्वर साय कृषि विकास अधिकारी	कीटनाशी अधिनियम 1968, की धारा 21 (1) डी	-	-	-	-

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग.रायपुर

परिशिष्ट–तीन
प्रश्न संख्या 8 (क्र. 595) की जानकारी

प्रपत्र–अ

रासायनिक उर्वरकों की मांग / लक्ष्य

इकाई मे.टन

क्र.	मुंगेली विधानसभा अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड	वर्ष	मौसम	युरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	एसएसपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुंगेली	2022–23	खरीफ	10449	2666	1161	946	8256	**23478**
			रबी	2580	1075	301	172	3010	**7138**
		योग		**13029**	**3741**	**1462**	**1118**	**11266**	**30616**
		2023–24	खरीफ	10965	1806	409	473	6665	**20318**
			रबी	2494	478	172	237	946	**4327**
		योग		**13459**	**2284**	**581**	**710**	**7611**	**24645**
		2024–25	खरीफ	11094	2537	645	1720	6708	**22704**
		रबी (31.01.2025 तक)		3440	602	129	774	2021	**6966**
		योग		**14534**	**3139**	**774**	**2494**	**8729**	**29670**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

रासायनिक उर्वरकों की मांग / लक्ष्य

इकाई मे.टन

क्र.	मुंगेली विधानसभा अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड	वर्ष	मौसम	युरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	एसएसपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	पथरिया	2022–23	खरीफ	6804	1736	756	616	5376	**15288**
			रबी	1680	700	196	112	1960	**4648**
		योग		8484	2436	952	728	7336	**19936**
		2023–24	खरीफ	7140	1176	266	308	4340	**13230**
			रबी	1624	252	112	154	616	**2758**
		योग		8764	1428	378	462	4956	**15988**
		2024–25	खरीफ	7224	1652	420	1120	4368	**14784**
		रबी (31.01.2025 तक)		2400	420	90	540	1410	**4860**
		योग		**9624**	**2072**	**510**	**1660**	**5778**	**19644**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

(इकाई मे. टन)

क्र.	मुंगेली विधानसभा अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड	वर्ष	मौसम	भण्डारण / आपूर्ति						वितरण					
				रासायनिक उर्वरक का नाम						रासायनिक उर्वरक का नाम					
				युरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	एसएसपी	योग	युरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	एसएसपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	मुंगेली	2022–23	खरीफ	11092.43	2519.18	479.00	2177.20	6571.67	22839.48	9030.36	1803.00	436.95	1280.25	6101.55	18652.11
			रबी	4808.08	962.18	339.05	1697.95	3054.12	10861.38	2015.15	103.20	261.65	486.56	644.05	3510.61
			योग	**15900.51**	**3481.36**	**818.05**	**3875.15**	**9625.79**	**33700.86**	**11045.51**	**1906.20**	**698.60**	**1766.81**	**6745.60**	**22162.72**
		2023–24	खरीफ	10683.93	2199.98	630.40	3527.39	6613.07	23654.77	9686.16	1592.18	537.28	2531.97	5434.11	19781.69
			रबी	5272.76	1144.81	1488.13	2054.42	3649.97	13610.08	3920.99	324.35	170.25	1410.07	1820.70	7646.36
			योग	**15956.69**	**3344.79**	**2118.53**	**5581.81**	**10263.04**	**37264.85**	**13607.15**	**1916.53**	**707.53**	**3942.04**	**7254.81**	**27428.05**
		2024–25	खरीफ	14430.78	2973.46	2183.88	4855.35	9010.26	33453.72	11672.00	1913.00	687.00	2737.00	6294.00	23303.00
			रबी (31.01.2025 तक)	4504.78	1782.46	1618.88	3111.35	3575.26	14592.72	324.00	779.60	452.00	1955.24	78.92	3589.76
			योग	**18935.55**	**4755.91**	**3802.75**	**7966.70**	**12585.53**	**48046.44**	**11996.00**	**2692.60**	**1139.00**	**4692.24**	**6372.92**	**26892.76**
2	पथरिया	2022–23	खरीफ	6840.00	1479.00	313.00	752.00	3577.00	12961.00	5032.41	1176.55	175.50	603.40	3113.10	10100.96
			रबी	3215.59	462.45	223.50	571.60	1699.91	6173.05	978.09	42.60	45.75	205.47	299.65	1571.56
			योग	**10055.59**	**1941.45**	**536.50**	**1323.60**	**5276.91**	**19134.05**	**6010.50**	**1219.15**	**221.25**	**808.87**	**3412.75**	**11672.52**
		2023–24	खरीफ	7147.50	1246.85	411.75	1249.90	3514.26	13570.25	4064.97	884.10	198.85	1060.30	1981.50	8189.72
			रबी	4186.53	684.75	272.90	1022.60	2533.76	8700.53	1820.79	199.05	44.70	691.55	553.30	3309.39
			योग	**11334.02**	**1931.60**	**684.65**	**2272.50**	**6048.01**	**22270.78**	**5885.76**	**1083.15**	**243.55**	**1751.85**	**2534.80**	**11499.11**
		2024–25	खरीफ	11490.74	1987.70	763.20	3269.05	6990.46	24501.14	8143.00	1335.00	479.00	1909.00	4392.00	16258.00
			रबी (31.01.2025 तक)	4565.74	765.70	369.20	2053.05	3198.46	10952.14	227.00	24.00	26.00	78.00	56.00	411.00
			योग	**16056.48**	**2753.40**	**1132.40**	**5322.10**	**10188.91**	**35453.29**	**8370.00**	**1359.00**	**505.00**	**1987.00**	**4448.00**	**16669.00**

(विकास मिश्रा)
उप-सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

बीज आपूर्ति की विधानसभा क्षेत्र मुंगेली की जानकारी

क	वर्ष	मुंगेली विधानसभा अन्तर्गत सम्मिलित विकासखण्ड	फसल का नाम	बीज निगम के माध्यम से (क्विं. में)		
				मांग	भण्डारण	वितरण
1	2	3	4	5	6	7
1	खरीफ वर्ष 2022	मुंगेली	धान	5600.00	6188.20	6188.20
			कोदो	50.00	2.52	2.52
			सोयाबीन	3200.00	299.70	299.70
			अरहर	40.00	31.04	31.04
			उड़द	30.00	3.00	3.00
			मूंग	20.00	2.00	2.00
			तिल	13.00	0.08	0.08
			मूगफली	50.00	0.00	0.00
			ढेंचा	0.00	0.00	0.00
			योग	**9003.00**	**6526.54**	**6526.54**
		पथरिया	धान	5200.00	4728.90	4728.90
			सोयाबीन	250.00	114.00	114.00
			कोदो–कुटकी	40.00	1.00	1.00
			अरहर	40.00	13.04	13.04
			उड़द	20.00	3.00	3.00
			मूंग	2.00	2.00	2.00
			तिल	6.00	0.09	0.09
			मूगफली	40.00	30.00	30.00
			ढेंचा	100.00	0.00	0.00
			सन	5.00	0.00	0.00
			योग	**5703.00**	**4892.03**	**4892.03**

क	वर्ष	मुंगेली विधानसभा अन्तर्गत सम्मिलित विकासखण्ड	फसल का नाम	बीज निगम के माध्यम से (क्विं. में)		
				मांग	भण्डारण	वितरण
1	2	3	4	5	6	7
2	रबी 2022–23	मुंगेली	गेहूँ	1237.00	872.80	872.80
			रागी	0.00	0.00	0.00
			चना	1825.00	1124.00	1124.00
			तिवड़ा	3.30	17.40	17.40
			मटर	0.00	2.51	2.51
			मसूर	0.00	23.96	23.96
			मूंग	0.00	35.04	35.04
			उड़द	37.00	4.00	4.00
			सरसों	42.00	5.80	5.80
			कुसुम	10.00	8.20	8.20
			अलसी	35.00	0.32	0.32
			मूंगफली	40.00	78.00	78.00
			योग	**3229.30**	**2172.03**	**2172.03**
		पथरिया	गेहूँ	1119.00	625.20	625.20
			चना	1775.00	535.80	535.80
			तिवड़ा	192.00	15.00	15.00
			मटर	249.00	0.00	0.00
			मसूर	276.00	26.80	26.80
			मूंग	32.00	23.04	23.04
			उड़द	32.00	4.00	4.00
			सरसों	28.00	10.57	10.57
			कुसुम	6.00	4.40	4.40
			अलसी	17.00	0.40	0.40
			मूंगफली	22.00	0.00	0.00
			योग	**3748.00**	**1245.21**	**1245.21**

क	वर्ष	मुंगेली विधानसभा अन्तर्गत सम्मिलित विकासखण्ड	फसल का नाम	बीज निगम के माध्यम से (क्विं. में)		
				मांग	भण्डारण	वितरण
1	2	3	4	5	6	7
3	खरीफ वर्ष 2023	मुंगेली	धान	5860.00	5463.80	5463.80
			कोदो–कुटकी	50.00	32.60	32.60
			सोयाबीन	2800.00	218.40	218.40
			अरहर	35.00	38.44	38.44
			उडद	31.00	14.00	14.00
			मूंग	1.50	12.00	12.00
			तिल	13.00	0.00	0.00
			मूगफली	50.00	0.00	0.00
			ढेंचा	0.00	0.00	0.00
			रागी	0.00	0.00	0.00
			योग	**8840.50**	**5779.24**	**5779.24**
		पथरिया	धान	5500.00	4916.70	4916.70
			कोदो–कुटकी	40.00	14.00	14.00
			सोयाबीन	60.00	40.00	40.00
			अरहर	30.00	16.00	16.00
			उड़द	20.00	4.00	4.00
			मूंग	2.00	4.00	4.00
			तिल	6.00	0.00	0.00
			मूगफली	40.00	0.00	0.00
			ढेंचा	100.00	110.10	110.10
			सन	5.00	0.00	0.00
			योग	**5803.00**	**5104.80**	**5104.80**

क	वर्ष	मुंगेली विधानसभा अन्तर्गत सम्मिलित विकासखण्ड	फसल का नाम	बीज निगम के माध्यम से (क्विं. में)		
				मांग	भण्डारण	वितरण
1	2	3	4	5	6	7
4	रबी 2023–24	मुंगेली	गेहूँ	1955.00	645.20	645.20
			रागी	20.00	0.00	0.00
			कोदो–कुटकी	9.50	0.00	0.00
			चना	3248.00	450.90	450.90
			तिवड़ा	228.00	34.00	34.00
			मटर	240.00	5.20	5.20
			मसूर	139.00	2.00	2.00
			मूंग	45.00	0.56	0.56
			उड़द	38.00	2.00	2.00
			सरसों	31.00	3.47	3.47
			तोरिया	1.00	0.00	0.00
			कुसुम	13.00	0.00	0.00
			अलसी	31.00	14.06	14.06
			मूंगफली	50.00	24.00	24.00
			योग	**6048.50**	**1181.39**	**1181.39**
		पथरिया	गेहूँ	1661.00	747.20	747.20
			रागी	14.00	0.00	0.00
			कोदो–कुटकी	8.00	0.00	0.00
			चना	2365.00	444.00	444.00
			तिवड़ा	173.00	15.00	15.00
			मटर	179.00	10.00	10.00
			मसूर	121.00	4.00	4.00
			मूंग	37.00	0.00	0.00
			उड़द	30.00	10.00	10.00
			सरसों	30.00	10.00	10.00
			तोरिया	2.00	0.00	0.00
			कुसुम	2.00	1.00	1.00
			अलसी	14.00	1.00	1.00
			मूंगफली	30.00	0.00	0.00
			योग	**4666.00**	**1242.20**	**1242.20**

क	वर्ष	मुंगेली विधानसभा अन्तर्गत सम्मिलित विकासखण्ड	फसल का नाम	बीज निगम के माध्यम से (क्विं. में)		
				मांग	भण्डारण	वितरण
1	2	3	4	5	6	7
5	खरीफ वर्ष 2024	मुंगेली	धान	6066.00	5660.90	5660.90
			सोयाबीन	905.00	136.60	136.60
			अरहर	49.00	37.48	37.48
			उड़द	35.00	8.00	8.00
			मूंग	31.00	0.00	0.00
			तिल	1.50	0.00	0.00
			मूगफली	13.00	32.50	32.50
			ढेंचा	50.00	0.00	0.00
			रागी	57.00	0.00	0.00
			कोदो	4.00	23.64	23.64
			योग	**7211.50**	**5899.12**	**5899.12**
		पथरिया	धान	5762.00	5102.70	5102.70
			सोयाबीन	785.00	0.00	0.00
			अरहर	68.00	25.20	25.20
			उड़द	27.00	0.00	0.00
			मूंग	20.00	0.00	0.00
			तिल	2.00	0.00	0.00
			मूगफली	6.00	0.00	0.00
			ढेंचा / सन्	40.00	110.00	110.00
			रागी	20.00	0.00	0.00
			कोदो–कुटकी	5.00	0.60	0.60
			योग	**6735.00**	**5238.50**	**5238.50**

क	वर्ष	मुंगेली विधानसभा अन्तर्गत सम्मिलित विकासखण्ड	फसल का नाम	बीज निगम के माध्यम से (क्विं. में)		
				मांग	भण्डारण	वितरण
1	2	3	4	5	6	7
6	रबी 2024–25 (दि. 31.01.2025 तक)	मुंगेली	चना	450.00	1129.50	1129.50
			गेहूँ	500.20	985.90	985.90
			तिवड़ा	45.00	15.80	15.80
			सरसों	12.50	9.46	9.46
			कुसुम	4.50	1.40	1.40
			मटर	15.00	8.00	8.00
			मसूर	3.00	0.32	0.32
			मूंग	6.00	6.00	6.00
			उड़द	7.00	0.00	0.00
			अलसी	7.50	3.08	3.08
			मूंगफली	56.00	47.60	47.60
			योग	**1106.70**	**2207.06**	**2207.06**
		पथरिया	चना	445.00	652.60	652.60
			गेहूँ	500.00	724.40	724.40
			तिवड़ा	44.00	0.00	0.00
			सरसों	12.00	19.22	19.22
			कुसुम	1.00	4.80	4.80
			मटर	10.00	8.80	8.80
			मसूर	2.00	0.00	0.00
			मूंग	7.00	7.00	7.00
			उड़द	6.00	0.00	0.00
			अलसी	3.00	0.00	0.00
			मूंगफली	27.00	27.40	27.40
			योग	**1057.00**	**1444.22**	**1444.22**

टीप :– बीज मांग, भण्डारण एवं वितरण के आंकड़े केवल बीज निगम का लिया गया है।

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट–चार

प्रश्न संख्या 10 (क्र. 677) की जानकारी **प्रपत्र**

पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत सड़कों की जानकारी

स.क्र.	सड़क का नाम	विकासखण्ड	सड़क की लंबाई	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5
1	कामठी से दैहानटोला	पण्डरिया	4.30	पूर्ण
2	बरगांव से मोहगांव	स.लोहारा	1.10	पूर्ण
3	उड़ियाखुर्द से बनिया	स.लोहारा	2.84	पूर्ण
4	मेनरोड से छिरपानी, छिंदीपारा, सड़क	पण्डरिया	4.93	पूर्ण
5	अचानकपुर से मोहनपुर	स.लोहारा	1.80	पूर्ण
6	मेनरोड से (खर्रापारा) डुमरिया	स.लोहारा	2.50	पूर्ण
7	खाम्ही से रोखनी सडक	पण्डरिया	2.35	पूर्ण
8	सिंघनपुरी से बोरदेही गुढ़ा सड़क	कवर्धा	2.51	पूर्ण
9	गांगीबहरा से बिरनपुर खुर्द	स.लोहारा	4.39	पूर्ण
10	मेनरोड से छीरपानी,बाघरायटोला निहालपुर सड़क	पण्डरिया	5.47	पूर्ण
11	नवांगांव (टिकैत) से सोमनापुर	पण्डरिया	1.70	पूर्ण
12	महली खुर्द से बनियाकुबा, डोमसरा सड़क	पण्डरिया	4.50	पूर्ण
13	मेनरोड से नवापरा पेन्ड्री सड़क	पण्डरिया	1.35	पूर्ण
14	भाटकुंडेरा से कड़कड़ा	स.लोहारा	2.90	पूर्ण
15	ढोरली से मोहभट्टा सड़क	स.लोहारा	2.03	पूर्ण
16	मेनरोड से भीखमपुर सड़क	स.लोहारा	2.06	पूर्ण

स.क्र	सड़क का नाम	विकासखण्ड	सड़क की लंबाई	कार्य की ....क स्थिति
1	2	3	4	5
17	गेंदपुर से कौड़िया	स.लोहारा	2.78	पूर्ण
18	बंधी से खैरा	स.लोहारा	2.71	पूर्ण
19	मुंगेलीडीह से ठकुराईनटोला	स.लोहारा	3.45	पूर्ण
20	चचेड़ी से फांदातोड़ बिटकुली सड़क	कवर्धा	3.75	पूर्ण
21	मुख्य मार्ग महली से नानापुरी	पण्डरिया	4.02	पूर्ण
22	इंदौरी बस स्टैड से छोटे रगरा व्हाया बड़े रगरा बहरमुड़ा	कवर्धा	1.79	पूर्ण
23	गोछिया से मोहतरा	स.लोहारा	2.85	पूर्ण
24	राजपुर से दरिगंवा	स.लोहारा	2.90	पूर्ण
25	दानीघटोली से उलटबगदई	स.लोहारा	3.70	पूर्ण
26	रमपुरा से बाजार चारभाठा	स.लोहारा	2.75	पूर्ण
27	सैहामालगी से कोदवाकला	पण्डरिया	4.05	पूर्ण
28	कोसमंदा से हीरापुर	कवर्धा	4.15	पूर्ण
29	लालपुर से नरसिंहपुर पहुंच मार्ग	पण्डरिया	0.80	पूर्ण
30	कुम्ही से कोयलारी कांपा	पण्डरिया	0.55	GSB कार्य पूर्ण कर यथास्थिति अनुबंध समाप्त
31	बकेला से खाम्ही	पण्डरिया	2.05	पूर्ण
32	खैरवार से बोड़तरा	पण्डरिया	2.25	पूर्ण
33	बांधा से पौनी मार्ग	पण्डरिया	1.80	पूर्ण
34	महली से तोरला पहुंच मार्ग	पण्डरिया	1.90	पूर्ण

क्र.	सड़क का नाम	विकासखण्ड	सड़क की लंबाई	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5
35	कोसमंदा से मिरमिट्टी	कवर्धा	2.88	पूर्ण
36	मुख्य मार्ग से कूबाखुर्द	पण्डरिया	1.70	पूर्ण
37	बिरनपुर से दनियाखुर्द तक	स.लोहारा	1.63	पूर्ण
38	कोलेगांव से अमली मालगी	पण्डरिया	2.55	पूर्ण
39	देवसरा से कुई	पण्डरिया	7.40	पूर्ण
40	देवदाहरा से गोरखपुरकला– उमराव नगर	स.लोहारा	4.20	पूर्ण
41	नवांगांव मुसउ से कोड़ापुरी मार्ग	पण्डरिया	2.90	पूर्ण
42	कोड़ापुरी हाईस्कूल से नरोली	पण्डरिया	3.60	पूर्ण
43	ग्राम पंचायत डेहरी मेनरोड रो पण्डरिया मेन रोड तक	कवर्धा	1.70	पूर्ण
44	महावीर चौंक से नेउरगांव तक रोड	पण्डरिया	4.60	पूर्ण
45	नवापारा ठाठापुर से मोहभट्टा	स.लोहारा	1.18	मिट्टी कार्य प्रगतिरत
46	मोहभट्टा से भीखमपुर	स.लोहारा	0.40	मिट्टी कार्य प्रगतिरत
47	रगरा से गौरमाटी	स.लोहारा	2.40	मिट्टी कार्य प्रगतिरत
48	ग्राम करपीकला के बाजार चौक से ग्राम पंचायत अमलडीहा तक	पण्डरिया	2.47	मिट्टी कार्य प्रगतिरत
योग			**134.59**	

(हरिओम शर्मा)
मुख्य अभियंता,
मु.मं.ग्रा.स.वि.यो. प्रकोष्ठ,
रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र–'अ'

बस्तर संभाग में पहुंच विहीन ग्रामों, बसाहटों की जानकारी

स.क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड	कुल ग्राम पंचायत	कुल आश्रित ग्राम/ बसाहट की संख्या	पहुंच मार्ग नहीं है		पुलिया नहीं है	
					ग्राम पंचायत	ग्राम/बसाहट	ग्राम पंचायत	ग्राम/बसाहट
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	कांकेर	कांकेर	64	149	0	17	0	3
2		नरहरपुर	73	158	0	20	0	5
3		चारामा	65	140	0	21	0	1
4		अंतागढ़	57	303	0	28	0	28
5		भानुप्रतापपुर	52	125	0	13	0	3
6		दुर्गूकोन्दल	44	157	0	19	0	15
7		कोयलीबेड़ा	103	389	0	50	0	28
योग			**458**	**1421**	**0**	**168**	**0**	**83**
1	कोण्डागांव	कोण्डागांव	125	301	0	37	0	2
2		माकड़ी	67	243	0	2	0	0
4		फरसगांव	73	157	0	2	0	4
5		केशकाल	69	143	0	16	0	1
6		बड़ेराजपुर	49	124	0	3	0	0
योग			**383**	**968**	**0**	**60**	**0**	**7**

स.क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड	कुल ग्राम पंचायत	कुल आश्रित ग्राम/ बसाहट की संख्या	पहुंच मार्ग नहीं है		पुलिया नहीं है	
					ग्राम पंचायत	ग्राम/बसाहट	ग्राम पंचायत	ग्राम/बसाहट
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	नारायणपुर	नारायणपुर	68	383	0	25	0	0
2		ओरछा	36	238	25	204	25	42
योग :–			**104**	**621**	**25**	**229**	**25**	**42**
1	बस्तर	बकावण्ड	78	475	2	2	1	1
2		बस्तर	79	513	1	1	0	0
3		बास्तानार	31	142	1	1	0	0
4		दरभा	32	151	1	1	0	0
5		लोहण्डीगुड़ा	42	161	2	2	0	0
6		तोकापाल	40	228	0	0	0	0
7		जगदलपुर	60	378	2	2	1	1
योग :–			**362**	**2048**	**9**	**9**	**2**	**2**
1	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	38	233	0	12	0	19
2		गीदम	46	185	3	18	3	21
3		कुआकोण्डा	33	116	1	24	1	29
4		कटेकल्याण	26	196	1	38	1	42
योग :–			**143**	**730**	**5**	**92**	**5**	**111**

स.क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड	कुल ग्राम पंचायत	कुल आश्रित ग्राम/ बसाहट की संख्या	पहुंच मार्ग नहीं है		पुलिया नहीं है	
					ग्राम पंचायत	ग्राम/बसाहट	ग्राम पंचायत	ग्राम/बसाहट
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	सुकमा	सुकमा	33	149	1	12	1	1
2		छिन्दगढ	59	192	1	8	3	4
3		कोंटा	61	331	3	119	10	12
योग :–			**153**	**672**	**5**	**139**	**14**	**17**
1	बीजापुर	बीजापुर	36	97	8	47	7	9
2		भैरमगढ़	59	283	12	193	21	27
3		भेपालपटनम	35	184	3	112	12	17
4		उसूर	39	132	10	75	20	21
योग :–			**169**	**696**	**33**	**427**	**60**	**74**
महायोग :–			**1772**	**7156**	**77**	**1124**	**106**	**336**

प्रपत्र–'ब'

(जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2025 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी)

स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	ग्राम/बसाहट का नाम	
			ग्राम	बसाहट
1	2	3	4	5
स्वीकृत सड़क कार्य				
1	ओ–बेन्दरे नगुर कोन्डे रोड़	730.83	हुर्रागावली	नगुर, कोंडे, हिंगमेटा
2	ओ–फरसेगढ़ सेन्द्रा चेरपल्ली	4148.22	–	एडसगांदी, कतुर, तडिगुट्टा
3	इल्मागुन्डा–दुलेर–मेटागुडाम–इरापल्ली–गुंडराजगुडेम–पल्लीगुड़ा–मिनागुदेम–गमगुरा–भीमापुरम–रायगुरम–(जब्बागटटा) तुम्मालपुर–पुवर्ती	6566.48	–	इल्मागुन्डा, दुलेर, इरापल्ली
4	मीनागुडम–कंचल–कोर्रागेटा	1577.92	–	कंचल, कावरगटटा
5	हिरोली से कवड़गांव	173.1	–	हिरोली
6	कवड़गांव से मुतवेन्दी	222.16	–	कावडगांव
7	समुदाय के लिए मिट्टी मुरूम रोड़ का निर्माण 1300 मी. केशकुतुल से हल्लूर के मध्य	10.04	–	हल्लूर
8	ग्रा. पं. तालनार द्वितीय श्रेणी सडक 2.80 किमी. मिरतुर मुख्य सडक से मुण्डापारा होते हुए चिडरापाल तक	19.35	तल्नार	चिड्रापाल

स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	ग्राम/बसाहट का नाम	
			ग्राम	बसाहट
1	2	3	4	5
9	ग्रा. पं. मंगनार मिटर्ट सडक निर्माण कार्य बोधघाट से गुफा निरारिग तक 02 किनी.	18.63376	मंगगानार	बोधघाट गुफा
10	ग्रा. पं. रानीबोदली द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य 2.80 किमी. चिंगेर से टुंगेली तक	19.35	रानीबोड़ली	चिंगेर
11	केरपे - समुदाय के लिए मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य 2000 मी. गोंडनुगूर चौक से मरकुड़ मार्ग तक	18.06	केरपे	मरकुड
12	बारेगुड़ा - मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य 1500 मी. रेड्डीपल्ली चौक से सकनापल्ली पटेलपारा तक	15.93	–	स्कनापल्ली
13	दम्मूर - समुदाय के लिए मिट्टी मुर्रम रोड़ निर्माण कार्य 02 कि.मी. मट्टीमरका से दुगलमगुड़ा तक	19.96	–	दुगलमगुडा
14	गुन्लापेंटा - मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य 1500 मी. भोपालपटनम सड़क से गुन्लापेंटा तक	15.93	–	गुन्लापेंटा
15	अंगमपल्ली - मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य 1500 मी. कोनागुड़ा से धनगोल तक	15.99	अगमपल्ली	धनगोल
16	मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य 1500 मी. कोनागुड़ा से गौरारम मार्ग तक	15.97	तमलापल्ली	गौराराम

स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	ग्राम/बसाहट का नाम	
			ग्राम	बसाहट
1	2	3	4	5
17	अटुकपल्ली - समुदाय के लिए मिट्टी मुरूम रोड़ की मरम्मत और रखरखाव कार्य 2000मी. अटुकपल्ली से रामपेटा तक	19.96	अटुकपल्ली	रामपेटा
18	भद्राकाली - समुदाय के लिए मिट्टी मुरूम रोड़ की मरम्मत और रखरखाव कार्य 2000मी. भद्राकाली से रेगगुड़ा तक	19.96	–	रेगुडा
19	समुदाय के लिए मिटटी मुरूम रोड की मरम्मत और रखरखाव कार्य 2000मी. सेमलडोडी से पेरमपल्ली तक	19.96	सेमालदोदी	पेरमापल्ली
20	समुदाय के लिए मिटटी मुरूम सड़क निर्माण कार्य 1500 मी. मुख्यमार्ग धरमापुर से नदीपारा तक	17.95	मालेपल्ली	मलेमपल्ली धरमापुर
21	द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य 2500 मीटर उसूर से पुट्टापल्ली तक	17.45759	–	पुट्टापल्ली
	योग :–	**13683.21**		
स्वीकृत पुल–पुलिया एवं रपट्टा कार्य				
1	जिला बीजापुर के तर्रेम से चिन्नागेलूर मार्ग के कि.मी. 5/8 तोया नाला पर उच्चस्तरीय एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य। (कार्य वर्ष 2024–25)	225.16	–	चिन्नागेलूर
2	जिला बीजापुर के राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–63 से गोरला–मिन्नुर मार्ग के कि.मी. 2/8 चेंतावागु नदी मे वृहद पुल निर्माण कार्य। (कार्य वर्ष 2023–24)	787.86		

स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	ग्राम/बसाहट का नाम	
			ग्राम	बसाहट
1	2	3	4	5
3	पुलिया का निर्माण (0.00 किमी. से 2.00 किमी. हिरोली से मुतवेन्दी)	48.16	–	मीनूर
4	पुलिया का निर्माण (2.00 किमी. से 4.00 किमी. हिरोली से मुतवेन्दी)	44.42	–	
5	पुलिया का निर्माण (4.00 किमी. से 6.00 किमी. हिरोली से मुतवेन्दी)	44.90	–	हिरोली
6	पुलिया का निर्माण (6.00 किमी. से 8.00 किमी. हिरोली से मुतवेन्दी)	35.44	–	
7	पुलिया का निर्माण (8.00 किमी. से 10.00 किमी. हिरोली से मुतवेन्दी)	52.84	–	
8	आरसीसी स्लैब पुलिया निर्माण अड़ावली मुख्य मार्ग से केतुलानार ग्राम पंचायत अड़ावली	9.47	–	
9	आरसीसी स्लैब पुलिया निर्माण केशकुतुल स्कूलपारा भैरमगढ़	6.60	–	केतुलनार
10	मुर्रापारा मार्ग पर तोयनार में 3.00 मीटर पुलिया निर्माण कार्य।	11.06	–	केशकुतुल
11	आरसीसी स्लैब पुलिया निर्माण कार्य अन्नारम बस्ती मार्ग ग्राम पंचायत कोत्तूर भोपालपटनम	4.26	–	
12	आरसीसी स्लैब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर सकलनारायण पहाड़ मार्ग पर पोषणपल्ली बामनपुर।	4.00	–	मुर्रापारा
13	आरसीसी स्लैब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर मेटलाचेरू बस्ती मार्ग पर ग्राम पंचायत भद्राकाली	4.72	–	अन्नारम
14	आरसीसी स्लैब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर भद्राकाली बस्ती पर।	4.72	–	पोषणपल्ली

स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	ग्राम/बसाहट का नाम	
			ग्राम	बसाहट
1	2	3	4	5
15	आरसीसी स्लैब पुलिया निर्माण कार्य 3.00 मीटर मुख्य मार्ग से बुरकापारा के माध्य ईलमिडी।	9.06	भद्राकाली	–
16	1.50 मीटर स्पान पुलिया का जीर्णोद्धार कार्य रानीबोदली से उरसापारा के मध्य।	1.53		–
17	1.00 मी. स्पान का पुलिया निर्माण, उल्लुर केसकुटुल भैरमगढ़	4.35	–	बुरकापारा
18	गोरगुण्डा भोपालपटनम में चिन्तावागु नदी पर पहुंच मर्ग का निर्माण,	2.31	–	उरसापारा
19	पीडिया बीजापुर में रपट्टा का निर्माण	46.23	–	गोरगुडा
20	पीडिया बीजापुर में रपट्टा का निर्माण	21.01	पिडिया	–
21	पीडिया बीजापुर में रपट्टा का निर्माण (10 रो)	35.11		–
22	टोयनल्ला में रपट्टा का निर्माण	19.86		–
	योग :–	**1423.07**		
	महायोग :–	**15106.28**		

प्रपत्र

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर

दिसम्बर, 2023 से 31.01.2025 तक ईओडब्ल्यू/एसीबी द्वारा

पकड़े गये अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य लोगों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

स.क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य, जिसको पकड़ा गया है।	संबंधित विभाग	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
1.	(1) श्री भागीरथ खाण्डे (बी0आर0खाण्डे), अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर, जिला–सरगुजा (2) श्री कविनाथ सिंह उईके, नगर सैनिक, होमगार्ड लाईन अम्बिकापुर (3) श्री अबीर राम, भृत्य, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर जिला–सरगुजा (मूल विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग) (4) श्री धरमपाल दास, सहायक रीडर, (मूल पद सहायक शिक्षक) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर जिला सरगुजा	(1) सामान्य विभाग (2) गृह विभाग (3) राजस्व विभाग (मूल विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग) (4) स्कूल शिक्षा विभाग	(1) दिनांक 02.08.2024 को निलंबित किया गया है। (2) वर्तमान में विभाग से निलंबित है। (3) दिनांक 22.06.2024 से निलंबित है। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। (4) दिनांक 25.06.2024 द्वारा निलंबित किया गया।
2.	(1) श्री टेकराम माहेश्वरी, एस.डी.एम., कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा, जिला बेमेतरा (2) श्री गौकरण सिंह बघेल, नगर सैनिक, निवासी ग्राम–गाड़ाभाठा, थाना साजा, जिला बेमेतरा	(1) सामान्य प्रशासन विभाग (2) गृह विभाग	(1) दिनांक 07.01.2025 को निलंबित किया गया। (2) वर्तमान में विभाग से निलंबित है।
3.	(1) श्रीमती सौम्या चौरसिया, (राप्रसे) तत्कालीन उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय (2) श्री समीर बिश्नोई, (भाप्रसे) तत्कालीन निदेशक, नू विज्ञान एवं खनिज (3) श्रीमती रानू साहू, (भाप्रसे) तत्कालीन कलेक्टर, जिला कोरबा (4) श्री संदीप कुमार नायक, तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी, जिला कोरबा (5) श्री शिवशंकर नाग, तत्कालीन खनिज अधिकारी, जिला कोरबा अन्य :– (6) श्री सूर्यकांत तिवारी, अनुपम नगर रायपुर (7) श्री लक्ष्मीकांत तिवारी, शंकर नगर महासुमंद (8) श्री निखिल चन्द्राकर, अवंति विहार तेलीबधा रायपुर	(1) सामान्य प्रशासन (2) सामान्य प्रशासन (3) सामान्य प्रशासन (4) खनिज (5) खनिज	(1) दिनांक 15.12.2022 द्वारा निलंबित किया गया। (2) दिनांक 13.10.2022 द्वारा निलंबित किया गया। (3) दिनांक 22.07.2023 द्वारा निलंबित किया गया। (4) दिनांक 25.01.2023 द्वारा निलंबित किया गया। (5) दिनांक 25.01.2023 द्वारा निलंबित किया गया। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

स.क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य, जिसको पकड़ा गया है।	संबंधित विभाग	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
	(9) श्री हेमंत जायसवाल, शांति नगर रायपुर (10) श्री चंद्रप्रकाश जायसवाल, दोरपा रोड़, कोरबा (11) शेख मोईनुद्दीन कुरैशी, प्रियदर्शनी नगर, पचपेड़ी नाका रायपुर (12) श्री रोशन कुमार सिंह, राजीव नगर रायपुर (13) श्री पारेख कुमार कुर्रे, जरहागांव जिला–मुंगेली (14) श्री राहुल सिंह, कंचनपुर, जिला रोहतास, बिहार (15) श्री वीरेन्द्र कुमार जयसवाल, दोरपा रोड कोरबा (16) श्री मनीष उपाध्याय, सूर्या रेंसीडेंसी भिलाई, जिला दुर्ग (17) श्री रजनीकांत तिवारी, राजेन्द्र प्रसाद वार्ड, महासमुंद,		
4.	(1) श्री अनिल टुटेजा, (भाप्रसे) तत्कालीन संयुक्त सचिव, छ0ग शासन वाणिज्य एवं उद्योग (2) श्री अरूणपति त्रिपाठी, (आई0टी0एस0) तत्कालीन प्रबंध संचालक, छ0ग0 मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छ0ग0 अन्य :– (3) श्री अरविंद सिंह, अवंति विहार, रायपुर (4) श्री अनवर ढेबर, रायपुर , ढेबर आर्केट बैरन बाजार रायपुर (5) श्री त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नेहरू नगर भिलाई (6) श्री अनुराग द्विवेदी, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (7) श्री अमित सिंह, अवंती विहार, रायपुर (8) श्री दीपक द्वारी, विधानसभा रोड, रायपुर (9) श्री नीलम पांडे, अटल नगर, नवा रायपुर (10) श्री सुनील दत्त, मावी कालोनी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध्द नगर उत्तर प्रदेश,	(1) सामान्य प्रशासन (2) सामान्य प्रशासन	(1) दिनांक 31.05.2023 को सेवानिवृत्त हुए है। (2) दिनांक 24.07.2023 को निलंबित किया गया। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।
5.	(1) श्री संजय सिंह, अभियांत्रिकी सहायक (सिविल), कार्यालय महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., चिरमिरी (2) श्री व्ही. श्रीनिवास, कार्यालय अधीक्षक (पी.ए.), कार्यालय महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., चिरमिरी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी– भरतपुर	एस०इ०सी०एल०	श्री संजय सिंह एवं श्री व्ही. श्रीनिवास को आरोप पत्र सह–निलंबन पत्र जारी किया गया तत्पश्चात कार्यालय आदेशानुसार जांच समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में जांच प्रकिया लंबित है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

स.क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य, जिसको पकड़ा गया है।	संबंधित विभाग	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
6.	श्री देव कुमार सिंह, संयुक्त संचालक मछली पालन, कार्यालय मत्स्य पालन विभाग, कमरा नं. II/4/33, बी–ब्लॉक, चौथा फ्लोर, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर	मछली पालन विभाग	दिनांक 20.11.2024 से निलंबित किया गया।
7.	(1) श्री दिनेश कुमार, उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा कार्यालय पद्मनाभपुर, दुर्ग (2) श्री होमेन्द्र ठाकुर, सहायक संपरीक्षक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा कार्यालय, पद्मनाभपुर, दुर्ग	वित्त विभाग	(1) वर्तमान में निलंबित है तथा उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है। (2) वर्तमान में निलंबित है तथा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किया गया है।
8.	(1) श्री धर्मेन्द्र साहू, सचिव, ग्राम पंचायत डोमा अन्य – (2) श्री देव सिंग बघेल, सरपंच ग्राम पंचायत डोमा, थाना मुजगहन, तहसील व जिला रायपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निलंबित किया गया। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।
9.	श्री सौरभ ताम्रकार, प्रभारी एस.डी.ओ, जनपद पंचायत छुईखदान, जिला – खैरागढ–छुईखदान–गंडई	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निलंबित किया गया।
10.	श्री नरेन्द्र राउतकर, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत बोड़ला, जिला–कबीरधाम	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निलंबित किया गया।
11.	श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, लोकपाल, जिला पंचायत गौरेला, जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संबंधित की सेवाएं दिनांक 24.10.2024 को समाप्त की दी गई।
12.	श्री सत्येन्द्र सिन्हा, सहा. ग्रेड–2 (लेखापाल), कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ, जिला–एम.सी.वी.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निलंबित किया गया।
13.	श्री संकट मोचन राय, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक, पासपोर्ट सेवा केन्द्र, मुख्य डाक घर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	पासपोर्ट विभाग (गृह)	दिनांक 30.05.2024 से 07.01.2025 तक विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश द्वारा सेवा से निलंबित थे। वर्तमान में प्रकरण कं. 15/2024 जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला सरगुजा में लंबित है तथा श्री संकट मोचन राय, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक, पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद में पदस्थ है।
14.	श्री राम गोपाल साहू, पटवारी, प.ह.नं.–02, ग्राम गोविंदपुर, तहसील रामानुजनगर, जिला सूरजपुर	राजस्व विभाग	निलंबित किया था, वर्तमान में सेवा में है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

स.क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य, जिसको पकड़ा गया है।	संबंधित विभाग	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
15.	श्री संतोष देवांगन, राजस्व निरीक्षक, जूना बिलासपुर	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है।
16.	(1) श्री रमेश कुमार देशलहरे, पटवारी, प0ह0न0–05, भेड़सर, तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0) (2) श्री राजेश्वर दास मानिकपुरी, कोटवार, ग्राम–भेड़सर, तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0)	राजस्व विभाग	(1) निलंबित किया गया है। (2) दिनांक 19.06.2024 को पकड़ा एवं निलंबित किया गया है।
17.	श्री विवेक कुमार परगनिहा, पटवारी, प0ह0न0–11, कार्यालय बढ़ईटोला रा0नि0म0 मुढ़ीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ0ग0)	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है।
18.	श्री विजय कुमार, पटवारी, प0ह0न0–19, ग्राम–पनगॉव–भौवतरा, तहसील– पामगढ़, जिला–जांजगीर चांपा	राजस्व विभाग	दिनांक 02.07.2024 द्वारा निलंबित किया गया था। उक्त पटवारी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा द्वारा दिनांक 16.01.2025 के तहत सेवा में पुनः बहाल किया गया है।
19.	श्री खीर सागर बघेल, नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय धमतरी छ0ग0	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है एवं दिनांक 26.07.2024 से जिला जेल धमतरी में परिरूद्ध है।
20.	श्री संकेर कुमेटी, सहायक ग्रेड–2, कार्यालय एस0डी0एम0, नारायणपुर छ0ग0	राजस्व विभाग	वर्तमान में प्रकरण माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टा. निवा. अधि.) कोण्डागांव के अधीन प्रकियाधीन है।
21.	श्री हरिशंकर राठिया, पटवारी, प.ह.नं. 49, ग्राम छाल, तहसील छाल, जिला–रायगढ़	राजस्व विभाग	दिनांक 07.08.2024 को गिरफतार कर जेल दाखिल किया गया एवं दिनांक 13.08.2024 द्वारा निलंबित किया गया।
22.	श्री वृजेश कुमार मिश्रा, पटवारी, ग्राम पंचायत कुदरू, तिल्दा–नेवरा	राजस्व विभाग	वर्तमान में निलंबित है एवं न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित है।
23.	श्री विरेन्द्र पाण्डेय, पटवारी, प0ह0नं0 31, भिट्ठीकला, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	राजस्व विभाग	दिनांक 23.09.2024 से निलंबित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-21
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

स.क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य, जिसको पकड़ा गया है।	संबंधित विभाग	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
24.	श्री पुरूषोत्तम सिंह गौतम उर्फ गौतम बाबू, सहायक ग्रेड–3, तहसील कार्यालय, आमाबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है।
25.	(1) श्री अश्वनी राठौर, आर.आई., तहसील दर्री, जिला कोरबा (2) श्री धीरेन्द्र लाटा, पटवारी, प.ह.नं. 22, जमनीपाली, जिला कोरबा	राजस्व विभाग	(1) वर्तमान में सेवा से निलंबित है। (2) वर्तमान में सेवा से निलंबित है।
26.	श्री पवन पाण्डेय, पटवारी, प.ह.नं. 17, ग्राम ओंकरा, पतरापारा, तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज	राजस्व विभाग	वर्तमान में सेवा से निलंबित है।
27.	श्री माईकल पीटर, सहायक ग्रेड–2, कानूनगो शाखा, तहसील कार्यालय पिथौरा, जिला–महासमुंद	राजस्व विभाग	दिनांक 20.12.2024 द्वारा निलंबित किया गया है।
28.	(1) श्री चिन्मय अग्रवाल, पिता स्व. श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, पटवारी, प.ह.नं. 54, ग्राम सुरपा, रा. नि.मं. जामगांव (आर), तहसील पाटन, जिला दुर्ग (2) श्री भूषण लाल महार, कोटवार, ग्राम टेमरी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग	राजस्व विभाग	(1) दिनांक 24.12.2024 को पकड़ा एवं निलंबित किया गया है। (2) निलंबित किया गया है।
29.	श्री संतोष कुमार टोप्पो, राजस्व निरीक्षक, दुर्गूकोन्दल, जिला–उत्तर बस्तर, कांकेर	राजस्व विभाग	दिनांक 23.01.2025 द्वारा निलंबित किया गया है।
30.	श्री बद्रीनारायण जांगड़े, पिता स्व. श्री महेत्तर जांगड़े, राजस्व निरीक्षक, कोटराबोड, तहसील–हसौद, जिला–सक्ती	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है।
31.	(1) श्री सुशील जायसवाल, पटवारी, प.ह.नं. 23, मुंगेली अन्य – (2) श्री गुलाब दास मानिकपुरी, पिता दशरथ दास मानिकपुरी, पटवारी सहायक, निवासी बहरमुड़ा, थाना मुंगेली,	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है एवं कर्मचारी सेवा में है। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।
32.	श्री गौतम सिंह आयम, सहायक ग्रेड–2, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 21.08.2024 से निलंबित किया गया।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर

स.क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य, जिसको पकड़ा गया है।	संबंधित विभाग	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
33.	श्री ओम प्रकाश नवरत्न, सहायक ग्रेड–02, शा.उ. मा. शाला, खम्हार, वि.खं. खरसिया, जिला–रायगढ़	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 13.09.2024 से निलंबित किया गया।
34.	श्री अरूण दुबे, सहायक शिक्षक वर्तमान आरटीई प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 29.10.2024 से निलंबित किया गया।
35.	श्री मालिकराम मेहर, प्राचार्य एवं श्री हनी शर्मा, सहायक ग्रेड–3, दोनो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पदमपुर, जिला मुंगेली	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 20.01.2024 से निलंबित किया गया।
36.	(1) मिथिलेश सिंह सेंगर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सीतापुर, जिला सरगुजा (2) श्री राजकुमार प्रसाद, सहायक ग्रेड–02, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सीतापुर जिला सरगुजा एवं सहआरोपी (3) अनुराग बरई, सहा० शिक्षक एल.बी., प्रा०शा० धरमपुर, वि.खं. सीतापुर जिला सरगुजा	स्कूल शिक्षा विभाग	(1) दिनांक 20.01.2024 से निलंबित किया गया। (2) दिनांक 15.01.2024 से निलंबित किया गया। (3) दिनांक 16.01.2025 से निलंबित किया गया।
37.	श्री अरूण सेठिया, लेखापाल, कार्यालय जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, कोण्डागांव	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 04.02.2025 से निलंबित किया गया।
38.	(1) श्री मनोज सोनी, तत्कालीन प्रबंध संचालक, मार्कफेड अन्य – (2) श्री रोशन चंद्राकर, संजय नगर, कुरूद, जिला–धमतरी	खाद्य (सामान्य प्रशासन विभाग)	(1) सामान्य प्रशासन विभाग आदेश कमांक एफ 9–4/2013/1–8, दिनांक 22.12.2023 द्वारा श्री मनोज सोनी को प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग नई दिल्ली को वापस सौंपा गया है। (2) (निजी संस्था)
39.	(1) श्री आशुतोष तिवारी, कैशियर एवं (2) श्री अमित दुबे, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बिलासपुर शाखा पाली जिला कोरबा (छ०ग०)	सहकारिता विभाग	(1) दिनांक 22.04.2024 से निलंबित किया गया। (2) दिनांक 22.04.2024 से निलंबित किया गया।
40.	श्रीमती सौम्या चौरसिया, (राप्रसे) तत्कालीन उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय	सामान्य प्रशासन विभाग	दिनांक 15.12.2022 द्वारा निलंबित किया गया।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, महानदी भवन,

स.क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य, जिसको पकड़ा गया है।	संबंधित विभाग	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
41.	श्री सूरज कुमार नाग, सहायक अधीक्षक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग	निलंबन की कार्यवाही की गई है। प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध है।
42.	डॉ0 वेणुगोपाल राव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, दंतेवाड़ा (छ0ग0)	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग	निलंबन की कार्यवाही की गई है। प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध है।
43.	(1) श्रीमती लिलि पुष्पलता बेक, उप पंजीयक, सरायपाली, जिला–महासमुंद अन्य – (2) श्री शत्रुघन तांडी, पिता श्री फकीर तांडी, निवासी सलडीह, तहसील व थाना सरायपाली, जिला–महासमुंद	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	दिनांक 23.01.2025 द्वारा निलंबित किया गया। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।
44.	श्री मिलन भगत, डिप्टी रेंजर, वन परिक्षेत्र–घरघोड़ा, वन मंडल– रायगढ़, जिला–रायगढ़	वन विभाग	दिनांक 20.05.2024 द्वारा निलंबित किया गया।
45.	श्री टी.आर. मेश्राम, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव	जल संसाधन विभाग	दिनांक 20.05.2024 द्वारा निलंबित किया गया, वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में पारित होने वाले निर्णय के आधार पर दण्ड संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
46.	श्री अरविंद गुप्ता, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पंचायत गौरेला, जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	दिनांक 29.05.2024 से निलंबित किया गया।
47.	(1) श्री डी0सी0 सोनकर, सहायक अभियंता, दर्री जोन, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0) (2) श्री देवेन्द्र स्वर्णकार, प्रभारी उप अभियंता, नगर पालिक निगम दर्री जोन कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0)	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	(1) दिनांक 19.05.2024 से निलंबित किया गया। (2) दिनांक 19.06.2024 से निलंबित किया गया।
48.	श्री रामायण प्रसाद पाण्डेय, पद–सेनेटरी इंस्पेक्टर, प्रभारी सीएमओ, नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर, जिला–रायगढ़	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	दिनांक 11.11.2024 से निलंबित किया गया।
49.	(1) श्री निलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (2) श्री बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	आवास एवं पर्यावरण विभाग	(1) निलंबित किया गया। (2) निलंबित किया गया।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, नायपुर

स.क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य, जिसको पकड़ा गया है।	संबंधित विभाग	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
50.	(1) श्री चंद्रभूषण वर्मा, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, (2) श्री भीम सिंह यादव, तत्कालीन आरक्षक, जिला दुर्ग (3) श्री अर्जुन सिंह यादव, तत्कालीन आरक्षक, जिला दुर्ग (4) श्री सहदेव सिंह यादव, तत्कालीन आरक्षक, जिला दुर्ग अन्य– (5) श्री सतीश चन्द्राकर, वॉलफोर्ट हाईट भाठागांव रायपुर (6) श्री नीतिश दीवान, वैशाली नगर भिलाई, जिला दुर्ग, छ0ग0 (7) श्री सुनील कुमार दम्मानी, शंकर नगर रायपुर, छ0ग0 (8) श्री राहुल वक्टे, विकास नगर रायपुर, छ0ग0 (9) श्री रीतेश कुमार यादव, खुर्सीपार भिलाई, छ0ग0 (10) श्री अमित अग्रवाल, फेस–01 विधानसभा रायपुर, छ0ग0 (11) श्री किशन लाल वर्मा, बलौदाबाजार, भाटापारा, छ0ग0 (12) श्री भारत ज्योति उर्फ गुरू, उर्फ भास्कर, ग्राम मंगीतपुर, पोस्ट सोहगी, थाना नासरीगंज, जिला रोहताश, बिहार (13) श्री विश्वजीत राय चौधरी, न्यू खुर्सीपार भिलाई, छ0ग0 (14) श्री अतुल सिंह, जवाहर नगर भिलाई, जिला दुर्ग	गृह (पुलिस)	(1) दिनांक 22.08.2023 से निलंबित एवं वर्तमान मे जेल में निरूद्ध है। (2) दिनांक 03.11.2023 को गिरफतार किया गया तथा दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से सेवा से पदच्युत (dismissed from service) किया गया। (3) दिनांक 06.02.2024 के माध्यम से सेवा से पदच्युत (dismissed from service) किया गया। (4) दिनांक 11.07.2024 को गिरफतार किया गया तथा दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से सेवा से पदच्युत (dismissed from service) किया गया। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।
51.	(1) श्री माधव सिंह, ए0एस0आई0, थाना रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर ए अन्य – (2) श्री मोहियुद्दीन पिता स्व0 अब्दुल दैयान, निवासी ग्राम–अक्षयपुर दुगुपारा, तहसील व थाना रामानुजनगर, जिला–सूरजपूर (प्राइवेट)	गृह (पुलिस) विभाग	(1) दिनांक 26.06.2024 को गिरफतार कर निलंबित किया गया तथा प्रकरण वर्तमान मे माननीय विशेष न्यायालय सूरजपुर में विचाराधीन है। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।
52.	श्रीमती वेदवती दरीयो, निरीक्षक, महिला थाना प्रभारी, रायपुर, जिला–रायपुर (छ0ग0)	गृह (पुलिस) विभाग	दिनांक 06.07.2024 को गिरफतार कर निलंबित किया गया तथा प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय रायपुर में विचाराधीन है। वर्तमान में जमानत पर है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-
मंत्रालय, जनदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

स.क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य, जिसको पकड़ा गया है।	संबंधित विभाग	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
53.	श्री रामकृष्ण सिन्हा, प्रधान आरक्षक, चौकी, स्मृति नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग	गृह (पुलिस) विभाग	दिनांक 31.01.2025 को निलंबन से बहाल कर रक्षित केन्द्र दुर्ग पदस्थ किया गया।
54.	(1) आरक्षक क्रमांक 303 कमल किशोर महिलाने, पिता श्री भरत लाल महिलाने, थाना सरसींवा (2) प्रधान आरक्षक क्रमांक 56 सुमत राम डहरिया, थाना सरसींवा, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़	गृह (पुलिस) विभाग	आरक्षक क्रमांक 303 कमल किशोर महिलान एवं प्रधान आरक्षक क्रमांक 56 सुमत राम डहरिया को निलंबित किया गया।
55.	श्री हरे कृष्ण चौहान, वरिष्ठ निरीक्षक, कार्यालय सहायक संचालक, हथकरघा विभाग, जिला जांजगीर चांपा	ग्रामोद्योग विभाग	निलंबित किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
56.	श्री राजेश मड़ावे, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छुईखदा. न, जिला–के.सी.जी.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	दिनांक 04.04.2024 से निलंबित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

परिशिष्ट–सात

प्रश्न संख्या 15 (क्र. 838) की जानकारी

प्रपत्र

क.	जिला का नाम	जाति प्रमाण पत्र		निवास प्रमाण पत्र		आय प्रमाण पत्र	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	रायपुर	133668	121232	133668	105585	133668	96023
2	बलौदाबाजार	128579	79945	128579	97986	128579	101380
3	गरियाबंद	104794	90004	42386	32362	42386	30879
4	महासमुंद	34347	16520	35664	24587	37337	30251
5	धमतरी	47980	46076	47980	47442	47980	47980
6	दुर्ग	36186	31372	52186	47495	52186	34553
7	बालोद	37139	25138	45784	34708	30366	13034
8	बेमेतरा	96593	87821	96593	95750	96593	96223
9	राजनांदगांव	76354	65303	76354	67485	76354	62851
10	मोहला–मानपुर–अंबागढ़चौकी	51440	28672	57573	40945	57573	37778
11	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	36581	32135	36581	34292	36581	32874
12	कबीरधाम	79033	78103	79033	78953	79033	78936
13	बिलासपुर	104204	86114	104204	86114	104204	85458
14	मुंगेली	62765	61746	62765	61746	62765	61746
15	गौरेला–पेण्ड्रा– मरवाही	20720	18351	20720	12718	20720	10749
16	रायगढ़	130925	118351	134843	106184	131889	110254
17	सारंगढ़–बिलईगढ़	99178	55669	99178	39784	75093	29717
18	कोरबा	85557	70314	77180	68411	77180	69965
19	जांजगीर–चांपा	67841	63633	33809	33723	86477	86065
20	सक्ती	52330	46058	52330	46058	25361	22337
21	सरगुजा	61744	59889	61744	59492	61744	61038
22	सूरजपुर	84939	82511	81954	81954	84939	82511
23	बलरामपुर	128667	112713	128667	111628	128667	57989
24	कोरिया	16966	13238	16966	14967	16966	15035
25	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	35837	26593	35837	22559	19349	11224
26	जशपुर	64525	53480	58643	46008	45967	28488
27	बस्तर	107417	81358	54310	27164	107417	34277
28	कोण्डागांव	57951	52194	57951	57377	57951	49903
29	नारायणपुर	30330	24330	14377	12683	14377	11570
30	दंतेवाड़ा	40243	40203	40243	40203	40243	38907
31	कांकेर	53674	39786	53674	42596	53674	43175
32	बीजापुर	23472	21332	23472	21821	23472	21821
33	सुकमा	50466	46658	50466	49687	50466	50446
योग		2242445	1876842	2095714	1750467	2107557	1645437

(विभाग प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अनुभाग अधिकारी,
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2024 तक गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादन, विक्रय एवं महिला स्वयं सहायता समूह की जानकारी

क्र.	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्व.सहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्व.सहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अंबिकापुर	सरगवां	सरगवां	महेश्वरी स्वसहायता समूह शुभम स्व सहायता समूह रोशनी स्व सहायता समूह	356.79	135.20	0.59	0.59	0.00
2	अंबिकापुर	नर्मदापारा	नर्मदापारा	सहेली स्वयं सहायता समूह	267.50	174.50	0.68	0.68	0.00
3	अंबिकापुर	मैण्ड्राखुर्द	मैण्ड्राखुर्द	जय शिव शक्ति महिला समूह	235.80	149.40	0.29	0.29	0.00
4	अंबिकापुर	नवाबांध	नवाबांध	सहारा स्वयं सहायता समूह	379.70	339.80	0.47	0.47	0.00
5	अंबिकापुर	केशवपुर	केशवपुर	देवी महिला स्व-सहायता समूह	683.00	624.70	0.99	0.73	0.26
6	अंबिकापुर	थोर	थोर	नर्मदा स्व-सहायता समूह	625.20	595.20	0.76	0.76	0.00
				जय विहान महिला स्व-सहायता समूह			0.08	0.08	0.00
7	अंबिकापुर	सुखरी	सुखरी	जागृति स्व.सहायता समूह मुस्कान स्व.सहायता समूह	2356.40	619.30	0.34	0.34	0.00
				कृषक स्व.सहायता समूह	0.00		0.44	0.44	0.00
8	अंबिकापुर	रामपुर	रामपुर	सती स्व.सहायता समूह	658.05	625.05	0.86	0.86	0.00
9	अंबिकापुर	मैण्ड्राकला	मैण्ड्राकला	सुधा महिला स्व.सहायता समूह	593.20	590.20	0.55	0.47	0.08
10	अंबिकापुर	ससकालो	ससकालो	सरस्वती स्व.सहायता समूह	478.60	478.60	0.75	0.75	0.00
11	अंबिकापुर	नावापारा कला	नावापारा कला	जागृति स्व.सहायता समूह	210.10	210.10	0.54	0.54	0.00
12	अंबिकापुर	बलसेड़ी	बालसेधी	शिव महिला स्व.सहायता समूह	769.02	174.30	0.41	0.4	0.00
13	अंबिकापुर	महुआटिकरा	महुआटिकरा	रानी महिला स्व.सहायता समूह	358.00	358.00	0.63	0.63	0.00
14	अंबिकापुर	कंठी	कंठी	ओम शांति महिला स्व.सहायता समूह	896.40	669.30	0.36	0.36	0.00
				जमुना महिला स्व.सहायता समूह	0.00		0.53	0.53	0.00
15	अंबिकापुर	टपरकेला	टपरकेला	आशा महिला स्व.सहायता समूह	347.30	347.30	0.69	0.69	0.00

क्र.	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्वसहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्वसहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	अंबिकापुर	रनपुरकला	रनपुरकला	विद्या स्वसहायता समूह	796.80	796.80	0.55	0.08	0.47
				गौ माता स्वसहायता समूह	0.00		0.91	0.91	0.00
				तारा स्वसहायता समूह	0.00		0.12	0.12	0.00
17	अंबिकापुर	अड़ची	अड़ची	विकास महिला स्वसहायता समूह	322.10	217.10	0.51	0.51	0.00
18	अंबिकापुर	कांतिप्रकाशपुर	कांतिप्रकाशपुर	गीतांजली एस एच जी	427.10	426.90	0.13	0.13	0.00
				रानी स्व-सहायता समूह	0.00		0.61	0.61	0.00
19	अंबिकापुर	सोहगा	सोहगा	अनिता स्वसहायता समूह प्रेम महिला स्वसहायता समूह	431.70	426.60	1.53	1.53	0.00
20	अंबिकापुर	किशुननगर	किशुननगर	माँ अम्बे स्वसहायता समूह	391.80	136.80	0.43	0.24	0.19
21	अंबिकापुर	जोगीबांध	जोगीबांध	लक्ष्मी स्वसहायता समूह	270.80	270.80	0.97	0.97	0.00
22	अंबिकापुर	भफौली	भफौली	जयरानी महिला स्वसहायता समूह गुलाब महिला स्वयं सहायता समूह	210.90	121.30	0.46	0.46	0.00
23	अंबिकापुर	भिट्टीकला	भिट्टीकला	सरस्वती स्वसहायता समूह	738.50	693.50	2.71	2.71	0.00
24	अंबिकापुर	मोहनपुर	मोहनपुर	प्रीति स्वसहायता समूह सरस्वती स्वसहायता समूह	394.20	364.20	1.43	1.43	0.00
25	अंबिकापुर	सकालो	सकालो	माँ शेरावली स्वसहायता समूह	270.90	138.00	0.48	0.48	0.00
				साक्षी महिला स्वयं सहायता समूह	0.00		0.06	0.06	0.00
26	अंबिकापुर	भकूरा	भकूरा	महमाया जन समिति	249.00	156.60	0.61	0.61	0.00
27	अंबिकापुर	कर्रा	कर्रा	सतरंगी समूह	220.10	207.20	0.81	0.81	0.00
28	अंबिकापुर	अजिरमा	अजिरमा	महिला शक्ति स्वसहायता समूह	370.80	237.90	0.40	0.40	0.00
				ओम शक्ति हरि स्वसहायता समूह	0.00		0.13	0.13	0.00
29	अंबिकापुर	भिट्ठीखुर्द	भिट्ठीखुर्द	प्रगति महिला स्वसहायता समूह	195.00	179.70	0.35	0.12	0.24
30	अंबिकापुर	बकनाखुर्द	बकनाखुर्द	चमेली स्वसहायता समूह	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	अंबिकापुर	खालिबा	खालिबा	संतोषी स्वसहायता समूह	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
32	अंबिकापुर	हर्राटिकरा	हर्राटिकरा	आशा स्वसहायता समूह	60.00	60.00	0.24	0.24	0.00
33	अंबिकापुर	कुनियाकला	कुनियाकला	अनमोल स्वसहायता समूह	225.90	219.90	0.86	0.86	0.00

क्र.	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्वसहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्वसहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	अंबिकापुर	कंचनपुर	कंचनपुर	माँ बागेश्वरी महिला स्वसहायता समूह	111.30	66.00	0.26	0.26	0.00
35	अंबिकापुर	डीगमा	डीगमा	जय माँ लक्ष्मी स्वसहायता समूह	261.00	96.00	0.04	0.00	0.04
				अमृतधारा स्वसहायता समूह	0.00		0.08	0.08	0.00
36	अंबिकापुर	परसा	परसा	गुलाबदल स्वसहायता समूह	1912.50	202.50	0.62	0.62	0.00
37	अंबिकापुर	बरगवा	बरगवा	सरस्वती स्वसहायता समूह	253.80	253.80	1.00	0.84	0.16
38	अंबिकापुर	चठीरमा	चठीरमा	साई बाबा स्वसहायता समूह	100.50	49.20	0.00	0.00	0.00
39	अंबिकापुर	कुबेरपुर	कुबेरपुर	चम्पा स्वसहायता समूह	128.90	126.40	0.06	0.06	0.00
				शांति महिला स्वसहायता समूह	0.00		0.44	0.04	0.40
40	अंबिकापुर	शिवपुर	शिवपुर	कमला महिला स्वसहायता समूह	194.40	177.90	0.70	0.70	0.00
41	अंबिकापुर	घंघरी	घंघरी	पूनम महिला स्वसहायता समूह	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42	अंबिकापुर	दरिमा	दरिमा	एकता महिला स्वसहायता समूह	117.60	98.70	0.39	0.39	0.00
43	अंबिकापुर	करजी	करजी	पल्लवी महिला स्वसहायता समूह	103.20	103.20	0.37	0.37	0.00
44	अंबिकापुर	तिहपटरा	तिहपटरा	चांदनी महिला स्वसहायता समूह	205.80	175.80	0.69	0.23	0.46
45	अंबिकापुर	पोड़ीखुर्द	पोड़ीखुर्द	गीता महिला स्वसहायता समूह	366.50	366.50	0.88	0.88	0.00
46	अंबिकापुर	पोड़ीकला	पोड़ीकला	सोसन महिला स्वसहायता समूह	6.00	6.00	0.02	0.02	0.00
47	अंबिकापुर	बरढ़ोडी	बरढ़ोडी	ज्योति महिला स्वसहायता समूह	283.50	283.50	0.27	0.27	0.00
48	अंबिकापुर	खाला	खाला	महिमा महिला स्वसहायता समूह	164.90	164.90	0.65	0.56	0.09
49	अंबिकापुर	खजूरी	खजूरी	सीता महिला स्वसहायता समूह	60.60	60.60	0.24	0.00	0.24
50	अंबिकापुर	सरईटिकरा	सरईटिकरा	उजाला महिला स्वसहायता समूह	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
51	अंबिकापुर	अंबिकापुर नगर	अंबिकापुर	स्वच्छ अम्बिकापुर सिटी लेवल फेडरेशन	8516.55	7609.88	29.90	24.01	5.89
			योग :–		**27867.81**	**20585.13**	**60.88**	**52.35**	**8.52**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र 886 द्वारा श्री रामकुमार टोप्पो

क्र	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्व. सहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्व.सहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सीतापुर	लिचिरमा	लिचिरमा	ज्योति एसएचजी	551.80	536.80	1.61	1.61	0.00
				आशा एसएचजी			0.02	0.02	0.00
				प्रगति महिला स्व सहायता समूह			0.38	0.38	0.00
2	सीतापुर	बंशीपुर	बंशीपुर	विमला एसएचजी	330.70	285.70	0.05	0.05	0.00
				प्रियंका एसएचजी			1.07	1.07	0.00
3	सीतापुर	सूर	सूर	महामाया एसएचजी	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00
				नवदुर्गा एसएचजी			1.51	1.34	0.18
4	सीतापुर	सोनतरई	सोनतरई	अनु एसएचजी	394.90	394.90	1.53	1.37	0.16
				सुनहरा एसएचजी			0.02	0.02	0.00
5	सीतापुर	भुसू	भुसू	आशा महिला समूह	440.20	172.30	0.22	0.22	0.00
				संगम एसएचजी			0.05	0.05	0.00
				प्रार्थना स्वयं सहायता समुह			0.27	0.27	0.00
6	सीतापुर	बगडाली	बगडाली	चांदनी स्व सहायता समुह	252.50	242.30	0.59	0.59	0.00
				चंदानी स्व सहायता समुः			0.11	0.11	0.00
7	सीतापुर	कुनमेरा	कुनमेरा	ज्योति स्वयं सहायता समूह	271.90	250.30	0.86	0.76	0.10
8	सीतापुर	ढोढागांव	ढोढागांव	चंदानी स्वयं सहायता समुः	254.70	237.60	0.93	0.67	0.26
9	सीतापुर	बेलगांव	बेलगांव	दुर्गा एसएचजी	376.20	376.20	1.46	1.28	0.18
				सतगुरु महिला स्वयं सहायता समूह			0.02	0.02	0.00
10	सीतापुर	राधापुर	राधापुर	दीपिका स्वंय सहायता समूह	563.70	563.70	2.21	1.93	0.28
11	सीतापुर	पेटला	पेटला	ऐस्थर एसएचजी	378.40	378.40	1.21	1.21	0.00
12	सीतापुर	उलकिया	उलकिया	रोशनी स्वमं सहायता समूह	452.60	452.60	1.15	1.15	0.00
				अंजु स्वम सहायता समूह			0.12	0.12	0.00
				इंद्र महिला समुष उलकिया			0.51	0.00	0.51
13	सीतापुर	बनेया	बनेया	गुलाब एसएचजी	321.50	285.50	1.12	1.12	0.00

क्र	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्व. सहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्व.सहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	सीतापुर	भरतपुर	भरतपुर	अंजले एसएचजी	351.80	308.20	0.91	0.91	0.00
15	सीतापुर	शिवनाथपुर	शिवनाथपुर	सरस्वती एसएचजी	353.10	293.40	0.98	0.98	0.00
16	सीतापुर	आरा	आरा	ममता स्व सहायता समूह आरा	379.60	379.60	1.02	1.02	0.00
				चांदनी स्व सहायता समूह आरा			0.00	0.00	0.00
				चंपा एसएचजी आरा			0.26	0.26	0.00
17	सीतापुर	ढेकीडोली	ढेकीडोली	सीता संगता समूह	280.80	280.80	0.18	0.18	0.00
				हमर झुमका स्वयं सहायता समूह			0.38	0.38	0.00
				हमर झुमका स्वयं सहायता समूह			0.21	0.21	0.00
18	सीतापुर	देवगढ़	देवगढ़	जागृति एसएचजी	370.50	370.50	1.45	1.12	0.34
				शांति एसएचजी			0.00	0.00	0.00
19	सीतापुर	गेरसा	गेरसा	अम्बे एसएचजी	244.20	244.20	0.60	0.60	0.00
20	सीतापुर	एरण्ड	एरण्ड	जीवन महिला समूह	208.80	113.70	0.12	0.12	0.00
21	सीतापुर	सहनपुर	सहनपुर	जय बजरंग स्वयं सहायता समुह सहानपुर	142.50	30.00	0.12	0.12	0.00
22	सीतापुर	बमलाया	बमलाया	गीता समूह	211.20	211.20	0.51	0.35	0.16
				गीता समूह			0.32	0.30	0.02
23	सीतापुर	सरगा	सरगा	पार्वती स्वयं सहायता समूह	100.00	100.00	0.16	0.16	0.00
24	सीतापुर	ढेलसरा	ढेलसरा	कमल सुपोषित फार्मर क्लब	35.40	35.40	0.14	0.06	0.08
25	सीतापुर	सीतापुर नगर पंचायत	सीतापुर नगर	स्वच्छ सीतापुर एएलएफ	3314.25	633.32	1.48	1.48	0.00
26	सीतापुर	सीतापुर नगर पंचायत	सीतापुर नगर	देवी स्वयं सहायता समूह			0.89	0.77	0.12
योग :–					**10967.60**	**7562.97**	**26.74**	**24.36**	2.38

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग

क्र	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्व.सहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्व.सहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मैनपाट	कोट	कोट	आँचल स्वयं सहायता समूह	419.70	419.10	1.37	1.37	0.00
				सरस्वती स्वयं सहायता समूह			0.16	0.16	0.00
2	मैनपाट	उडुमकेला	उडुमकेला	सरस्वती सौम्य स्वयं सहायता समूह	239.30	187.70	0.54	0.54	0.00
				सिप्रा स्वयं सहायता समूह			0.03	0.03	0.00
				सौम्य स्वयं सहायता समूह			0.20	0.20	0.00
3	मैनपाट	जजगा	जजगा	भारत माता महिला शग जजगा	435.40	402.70	0.26	0.26	0.00
				आरती स्वयं सहायता समूह			0.16	0.16	0.00
				गंगा महिला एसएचजी			0.22	0.22	0.00
				मेघा एसएचजी			0.26	0.26	0.00
				ज्योति स्वयं सहायता समूह			0.26	0.26	0.00
				सीता शग जजगा स्वयं सहायता समूह			0.20	0.20	0.00
				वेरशा स्वयं सहायता समूह			0.16	0.16	0.00
4	मैनपाट	चिड़ापारा	चिड़ापारा	अंजेला स्व सहायता समूह	325.90	304.60	1.17	1.17	0.00
				पुष्पा स्व सहायता समूह			0.07	0.07	0.00
5	मैनपाट	जामढोढी	जामढोढी	शारदा एसएचजी जामधोधी	349.90	349.90	0.15	0.15	0.00
				दुर्गा एसएचजी जामधोड़ी			1.06	1.06	0.00
				उन्नति स्वयं सहायता समूह			0.16	0.16	0.00
6	मैनपाट	खड़गवा	खड़गवा	सरोजनी स्वयं सहायता समूह	524.20	524.20	2.06	2.06	0.00
7	मैनपाट	डांगबुडा	डांगबुडा	शिव एसएचजी	500.80	500.80	1.71	1.71	0.00
8	मैनपाट	राजापुर	राजापुर	कोमल स्वयं सहायता समूह	381.60	381.60	1.50	1.50	0.00
9	मैनपाट	कुनिया	कुनिया	दुर्गा स्वम सहायता समूह कुनिया	489.30	473.90	0.37	0.21	0.16
				सरस्वती स्वयं सहायता समूह			0.01	0.01	0.00
				सीता स्वयं सहायता समूह			0.12	0.12	0.00
				चंदा शग कुनिया			1.20	0.98	0.21
				ज्योति एसएचजी कुनिया			0.19	0.19	0.00
10	मैनपाट	करम्हा	करम्हा	संतोषी महिला स्वयं सहायता समूह	175.70	175.50	0.69	0.69	0.00
11	मैनपाट	काराबेल	काराबेल	धरती स्वयं सहायता समूह	165.30	157.20	0.41	0.41	0.00
				ज्योति स्वयं सहायता समूह			0.03	0.03	0.00
				रोशनी स्वयं सहायता समूह			0.17	0.17	0.00
12	मैनपाट	कोटछाल	कोटछाल	सरस्वती एसएचजी	686.60	287.30	1.13	1.13	0.00
13	मैनपाट	समनिया	समनिया	गुलाची सोयम सहायता समुह	194.30	193.70	0.38	0.38	0.00
				चंपा महिला सोयाम सहायता समुह समनिया			0.38	0.38	0.00

क्र	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्व सहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्व.सहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	मैनपाट	कलजीवा	कलजीवा	सूरज स्वयं सहायता समूह	255.00	255.00	0.78	0.78	0.00
				फुलवारी महिला एस.एच.जी. कलजीवा (मालतीपुर)			0.22	0.22	0.00
15	मैनपाट	बिसरपानी	बिसरपानी	आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह	152.50	151.70	0.39	0.39	0.00
				ग्रामीण विकास एसएचजी			0.20	0.20	0.00
16	मैनपाट	अमगांव	अमगांव	चांदनी महिला स्वयं सहायता समूह	263.40	63.40	0.25	0.25	0.00
17	मैनपाट	रोपाखार	रोपाखार	जीवन सहारा स्व सहायता समूह	271.90	271.90	1.07	1.07	0.00
18	मैनपाट	बन्दना	बन्दना	चंदन एसएसजी	299.30	299.00	0.33	0.33	0.00
				मनिसा स्वयं सहायता समूह			0.68	0.68	0.00
19	मैनपाट	कतकालो	कतकालो	ईशा महिला एसएचजी	75.00	75.00	0.29	0.29	0.00
20	मैनपाट	सलाई नगर	सलाई नगर	रोशनी स्वयं सहायता समूह	157.20	157.20	0.50	0.50	0.00
21	मैनपाट	हर्रामार	हर्रामार	जमुना स्वयं सहायता समूह	338.70	296.40	1.16	1.16	0.00
22	मैनपाट	केसरा	केसरा	साधना एसएचजी	87.90	87.90	0.34	0.34	0.00
23	मैनपाट	पीडिया	पीडिया	भारती एस.एच.जी.पिडिया	130.80	130.80	0.51	0.51	0.00
24	मैनपाट	पेंट	पेंट	गुलाब महिला एसएचजी	45.00	30.00	0.12	0.12	0.00
25	मैनपाट	कुनकुरीखुर्द	कुनकुरीखुर्द	पार्वती स्वयं सहायता समूह	194.70	194.70	0.76	0.76	0.00
26	मैनपाट	लुरैना	लुरैना	जागरूकता महिला स्वयं सहायता सरह	69.60	69.60	0.04	0.04	0.00
				पीपल महिला स्वयं सहायता समूह			0.24	0.08	0.16
27	मैनपाट	पथरई	पथरई	चांदनी स्वयं सहायता समूह	90.00	51.90	0.04	0.00	0.04
				महामाया महिला एसएचजी			0.17	0.00	0.17
28	मैनपाट	कमलेश्वरपुर	कमलेश्वरपुर	खुशी महिला स्वप सहायता सरह	120.00	101.40	0.20	0.17	0.03
				पूजा महिला स्वयं सहायता समूह			0.20	0.17	0.03
29	मैनपाट	चैनपुर०फॉरेस्ट	चैनपुर०फॉरेस्ट	सहेली संगत स्वयं सहायता समूह	33.00	33.00	0.13	0.13	0.00
30	मैनपाट	महारानीपुर	महारानीपुर	चम्पा स्वयं सहायता समूह	159.00	159.00	0.62	0.62	0.00
31	मैनपाट	जामकानी	जामकानी	चमेली स्वयं सहायता समूह	198.30	198.30	0.78	0.78	0.00
	योग :–				**7829.30**	**6984.40**	**26.79**	**26.00**	**0.79**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग

क्र	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्व.सहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्व.सहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बतौली	टेडगा	टेडगा	आशा स्वयं सहायता समूह	197.20	158.30	0.66	0.66	0.00
2	बतौली	सरमना	सरमना	उजाला स्वयं सहायता समूह	324.10	294.70	0.29	0.29	0.00
				गुज़र स्वयं सहायता समूह			0.51	0.51	0.00
3	बतौली	गोविंदपुर	गोविंदपुर	निर्मला समूह	287.51	273.01	0.83	0.83	0.00
4	बतौली	वासेन	वासेन	ज्योती स्वयं सहायता समूह	352.60	347.00	1.05	1.05	0.00
				गुलाबी स्वयं सहायता समूह			0.08	0.08	0.00
5	बतौली	खडधोवा	खडधोवा	निर्मल समूह	402.20	402.20	0.52	0.52	0.00
				निर्मल स्वयं सहायता समूह			0.24	0.24	0.00
				शी स्वयं सहायता समूह			0.59	0.59	0.00
6	बतौली	झरगवां	झरगवां	गंगा स्वयं सहायता समूह	314.30	231.10	0.54	0.54	0.00
				सवेरा स्वयं सहायता समूह			0.40	0.40	0.00
7	बतौली	बालमपुर	बालमपुर	चांदनी समुह	345.00	342.50	0.20	0.20	0.00
				रोशनी महिला स्वयं सहायता समूह			0.94	0.68	0.26
8	बतौली	टिरंग	टिरंग	चाँदनी समुह	416.70	279.00	0.48	0.44	0.05
				उज्वल स्वयं सहायता समूह			0.50	0.45	0.05
9	बतौली	मंगारी	मंगारी	चम्पा समुह	577.90	403.40	0.87	0.87	0.00
				सूरजमुखी स्वयं सहायता समूह			0.56	0.56	0.00
10	बतौली	बोदा	बोदा	आस्था स्वयं सहायता समूह	271.40	144.40	0.05	0.05	0.00
				एकता स्वयं सहायता समूह			0.46	0.46	0.00
				उन्नति स्वयं सहायता समूह			0.06	0.06	0.00

क्र	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्व.सहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्व.सहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	बतौली	तरागी	तरागी	चंदा स्वयं सहायता समूह	435.60	276.30	0.86	0.86	0.00
				दुर्गा स्वयं सहायता समूह			0.22	0.22	0.00
12	बतौली	बतौली	बतौली	जयोति स्वयं सहायता समूह	235.80	214.50	0.74	0.74	0.00
				दीप आशा स्वयं सहायता समूह			0.10	0.10	0.00
13	बतौली	शिवपुर	शिवपुर	कुंती स्वयं सहायता समूह	271.20	235.20	0.92	0.92	0.00
14	बतौली	म्हेशपुर	महेशपुर	चंद्रपति स्वयं सहायता समूह	253.90	253.90	0.20	0.20	0.00
				तारा स्वयं सहायता समूह			0.50	0.46	0.04
15	बतौली	विशुनपुर	विशुनपुर	मोंगरा स्वयं सहायता समूह	359.10	212.40	0.41	0.41	0.00
				प्रगति स्वयं सहायता समूह			0.43	0.43	0.00
16	बतौली	सुवारपारा	सुवारपारा	नयन ज्योति समुह	264.30	224.00	0.30	0.30	0.00
				संगवारी स्वंय सहायता समूह			0.01	0.01	0.00
				गीता स्वयं सहायता समूह			0.26	0.26	0.00
				सरस्वती स्वयं सहायता समूह			0.09	0.09	0.00
17	बतौली	सेदम	सेदम	दुर्गा स्वम् सहायता समूह	228.50	206.50	0.51	0.51	0.00
				ज्योति स्वयं सहायता समूह			0.30	0.30	0.00
18	बतौली	बटईकेला	बटईकेला	मसीह स्वयं सहायता समूह	207.90	207.90	0.55	0.55	0.00
19	बतौली	कुनकुरी	कुनकुरो	किरण स्वयं सहायता समूह	245.60	214.10	0.27	0.27	0.00
				प्रकाश स्वयं सहायता समूह			0.57	0.57	0.00
20	बतौली	कपाटबहरी	कपाटबहरी	प्रगति स्वयं सहायता समूह	169.30	130.50	0.51	0.51	0.00
21	बतौली	मानपुर	मानपुर	छाया स्वयं सहायता समूह	121.10	118.30	0.35	0.35	0.00
				वर्षा स्वयं सहायत समूह			0.11	0.11	0.00
22	बतौली	तेलाइधार	तेलाइधार	नीलम स्वयं सहायता समूह	187.20	111.10	0.44	0.44	0.00

क्र	वि०स० सीतापुर अंतर्गत सम्मिलित वि०ख०	ग्राम पंचायत का नाम	गोठान का नाम	गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले स्व.सहायता समूहों का नाम	उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट मात्रा क्विंटल में	विक्रय मात्रा क्विंटल में	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्व.सहायता समूहों को किये गये कार्य के विरूद्ध		
							भुगतान योग्य राशि (लाख में)	भुगतान किये गये राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	बतौली	चिपरकाया	चिपरकाया	गुलाबी स्वयं सहायता समूह	355.70	88.50	0.35	0.35	0.00
24	बतौली	घांघरा	घांघरा	तेंदु स्वयं सहायता समूह	169.00	132.70	0.41	0.41	0.00
25	बतौली	नकना	नकना	चम्पा स्वयं सहायता समूह	177.40	175.50	0.22	0.22	0.00
				इंदिरा स्वयं सहायता समूह			0.25	0.22	0.04
26	बतौली	करदना	करदना	चांदनी स्वयं सहायता समूह	348.40	158.80	0.62	0.62	0.00
27	बतौली	बिरेमकेला	बिरिमकेला	सामली स्वयं सहायता समूह	124.60	111.10	0.39	0.39	0.00
28	बतौली	पोपरेंगा	पोपरेंग	फुलवारी स्वयं सहायता समूह	78.80	66.50	0.03	0.03	0.00
				गुलाब स्वयं सहायता समूह			0.23	0.23	0.00
29	बतौली	सिलमा	सिलमा	तोता स्वयं सहायता समूह	81.80	36.30	0.00	0.00	0.00
30	बतौली	घुटारापारा	घुटारापरा	सहेली स्वयं सहायता समूह	260.30	184.30	0.40	0.40	0.00
				माही स्वयं सहायता समूह			0.32	0.32	0.00
31	बतौली	पोकसरी	पोकसरी	दीप स्वयं सहायता समूह	300.00	256.00	0.83	0.13	0.70
32	बतौली	कालीपुर	कालीपुर	छनाद स्वयं सहायता समूह	174.00	107.20	0.22	0.22	0.00
				साक्षी स्वयं सहायता समूह			0.20	0.20	0.00
33	बतौली	ललाती	ललाती फारेस्ट	शूसमा स्वयं सहायता समूह	87.80	60.30	0.24	0.24	0.00
34	बतौली	बिलासपुर	बिलासपुर	अनिता स्वयं सहायता समूह	111.50	57.00	0.06	0.06	0.00
	योग :–				**8737.71**	**6714.51**	**23.30**	**22.17**	**1.12**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट–नौ

प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1126) की जानकारी

प्रपत्र-अ

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देय मानदेय का विवरण

	केंद्रांश राशि (आईसीडीएस प्रावधान अनुसार)	राज्यांश राशि (आईसीडीएस प्रावधान अनुसार)	राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मानदेय	कुल मानदेय
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	2700/-	1800/-	5500/-	10,000/-

प्रपत्र-ब

वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी

क्र0	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख)	व्यय राशि (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कुरंदी 02	डोगरीगुड़ा 01	2021-22	6.45	6.34
2	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	घाटपदमुर	डुरकीगुड़ा	2021-22	6.45	3.25
3	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	घाटपदमुर	नेगीगुड़ा 01	2021-22	6.45	5.84
4	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	नागलसर	नागलसर	2021-22	6.45	5.6
5	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कावापाल	कावापाल 01	2022-23	8.04	6.45
6	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	चितांलगुर	गुड़िया	2022-23	8.04	6.89
7	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	आड़ावल	नयापारा	2022-23	8.04	4.98
8	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	साडगुड़	खुटागुड़ा	2022-23	8.04	7.23
9	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	तिरिया	कालागुड़ा	2022-23	8.04	6.35
10	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	घाटपदमुर	भाटागुड़ा	2022-23	6.45	5.19
11	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कवालीकला	बड़ेकवाली	2022-23	6.45	5.98
12	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कोलावाड़ा	मिलकुलवाड़ा	2022-23	8.04	1.64
13	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	मारकेल	आवासप्लाट	2022-23	8.04	6.25
14	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	खम्हारगांव	खम्हारगांव 03	2022-23	8.04	3.27
15	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	चितांलगुर	पैंगारास	2022-23	6.45	5.2
16	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	बडेमुरमा	खासपारा	2022-23	8.04	6.72

क्र0	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख)	व्यय राशि (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कोलावाड़ा	कोलावाड़ा स्कुलपारा	2024-25	11.69	0.61
19	जगदलपुर	दरभा	दरभा	कोलेंग	कोलेंग 5 उरूकपाल	2022-23	8.04	4.59
20	जगदलपुर	दरभा	दरभा	छिन्दगुर	छिन्दगुर सुण्डीपारा	2024-25	11.69	0.19683
21	जगदलपुर	दरभा	दरभा	केलाउर	केलाउर पेदापारा	2024-25	11.69	0.34263
योगः-					**21**		**172.31**	**93.25946**

प्रपत्र-स

2021-22 से जनवरी 2025 तक आंगनबाड़ी भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी

क्रं.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	परियोजना का नाम	भवन की संख्या	भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर शहरी	1	54000	50000	50000/- रू. में मरम्मत कार्य पूर्ण होने के कारण 4000/- रू आहरित नहीं किया गया।
योग:-				**1**	**54000**	**50000**	

प्रपत्र

वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाएं, आवेदन प्रक्रिया, प्राप्त आवेदन, प्राप्त आवेदन में से लाभान्वित, अपात्र एवं लम्बित आवेदनों की योजनावार, वर्षवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	आवेदन की प्रक्रिया	प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति															
			वर्ष 2021–22				वर्ष 2022–23				वर्ष 2023–24				वर्ष 2024–25			
			प्राप्त	लाभान्वित	अपात्र	लम्बित	प्राप्त	लाभान्वित	अपात्र	लम्बित	प्राप्त	लाभान्वित	अपात्र	लम्बित	प्राप्त	लाभान्वित	अपात्र	लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	निर्धारित प्रारूप में संयुक्त/उप/सहायक संचालक, समाज कल्याण, जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।	5582	5582	0	0	19906	19906	0	0	6534	6533	1	0	5602	5323	0	279
2	सामर्थ्य विकास योजना		10060	10060	0	0	10642	10542	100	0	11702	11702	0	0	6878	6848	0	30
3	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना		472	472	0	0	503	503	0	0	400	400	0	0	301	292	0	9
4	निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना	निर्धारित प्रारूप में संबंधित संस्थानों में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। संबंधित संस्थान समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में अग्रेषित करेंगे।	14360	14360	0	0	13463	13463	0	0	13522	13522	0	0	12962	12548	462	0
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्रान पंचायत/संबंधित निकाय में प्रस्तुत करेंगे। ग्रान पंचायत 07 दिवस के अंदर आवश्यक जांच पश्चात जनपद पंचायत को अग्रेषित करेंगे।	2341	2276	65	0	2912	2684	228	0	2168	2100	68	0	2243	2206	37	0
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		5747	5485	262	0	5774	5603	171	0	4373	4256	117	0	4886	4720	166	0
7	निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	10वीं, 12वी के टॉपर हेतु जिला कार्यालय स्क्रूटनी कर प्रवीण्य सूची तैयार करेंगे। उच्च शिक्षा हेतु आवेदक संबंधित संस्थान में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे।	434	434	0	0	418	418	0	0	471	471	0	0	409	249	0	160

8	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे।	45	45	0	0	15	15	0	0	22	22	0	0	17	14	0	3
9	निःशक्तजन छात्रगृह योजना		1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	3	2	0	1
10	शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रवेश हेतु संबंधित संस्था में आवेदन करेंगे। सीट के उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।	2993	2993	0	0	3703	3703	0	0	3866	3866	0	0	3764	3764	0	0
11	स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे।	0	0	0	0	18	7	11	0	9	0	9	0	9	7	0	2
12	उत्थान सब्सिडी योजना	आवेदन की आवश्यकता नहीं है।	8	8	0	0	22	17	5	0	6	2	4	0	0	0	0	0
13	घरौंदा (आश्रय गृह)	संबंधित संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे।	251	251	0	0	282	282	0	0	299	299	0	0	291	291	0	0
14	हॉफ–वे–होम	मानसिक रोगी का उपचार उपरांत मानसिक चिकित्सालय द्वारा अग्रेषित।	190	190	0	0	330	330	0	0	364	364	0	0	191	191	0	0
15	अपराजिता	संज्ञान के आधार पर प्रवेशित।	0	0	0	0	25	4	21	0	0	0	0	0	21	3	0	18
16	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	ग्राम पंचायत एवं संबंधित निकाय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मोटराईज्ड ट्राईसायकल प्रदाय योजना	जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे।	1187	1174	13	0	1538	1513	25	0	1457	1257	200	0	1283	979	7	297
		योग	**43671**	**43331**	**340**	**0**	**59552**	**58991**	**561**	**0**	**45195**	**44796**	**399**	**0**	**38860**	**37537**	**672**	**799**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

प्रपत्र

राशि–लाख रू. में

क्र.	जिला	विकासखण्ड	रीपा का नाम	निर्मित संरचनाओं का नाम	मदवार	व्यय राशि	मुल्यांकन सत्यापन की राशि
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	बोर खनन कार्य	रीपा	1.488	1.488
2	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	तार फेंसिंग कार्य (रीपा) निर्माण	रीपा	5.315	5.316
3	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	पानी टंकी (ओवर हैड टेंक) निर्माण	रीपा	2.600	2.617
4	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	पाईपलाईन विस्तार कार्य	रीपा	1.252	1.253
5	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	आजीविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य 1 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	10.258
					मनरेगा	4.000	
6	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	आजीविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य 2 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	10.325
					मनरेगा	4.000	
7	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	आजीविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य 3 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	10.257
					मनरेगा	4.000	
8	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	आजीविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य 4 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	10.284
					मनरेगा	4.000	
9	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	आजीविका सह कियाकलाप भवन निर्माण कार्य (जी.एफ.)	रीपा	18.850	19.181
1(	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	फलाई एश निर्माण हेतु शेड निर्माण कार्य	रीपा	7.540	7.540
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	तराई के लिए टकी निर्माण कार्य	रीपा	4.450	4.460
1'	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	स्टोरेज प्लेटफार्म निर्माण कार्य	रीपा	1.910	1.910
1,	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	रीपा	7.210	9.461
					एस.बी.एम.	2.100	
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	आजीविका सह कियाकलाप भवन निर्माण कार्य (एफ.एफ.)	रीपा	11.670	11.754
1,	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	फलाई एश साईट में तार फेंसिंग कार्य	रीपा	4.875	4.875
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	आजीविका कियाकलाप सह प्रशिक्षण शेड निर्माण कार्य	रीपा	10.000	16.810
					मनरेगा	6.810	
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बघेरा	रीपा क्षेत्र में गार्डन विकास कार्य	रीपा	6.540	6.627
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	तार फेंसिंग कार्य (रीपा) निर्माण	रीपा	4.300	4.301
1'	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	पानी टंकी (ओवर हैड टेंक) निर्माण	रीपा	2.213	2.213
2(	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	बोर खनन कार्य	रीपा	1.509	1.509
21	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	पाईपलाईन विस्तार कार्य	रीपा	0.730	0.730

क्र.	जिला	विकासखण्ड	रीपा का नाम	निर्मित संरचनाओं का नाम	मदवार	व्यय राशि	मुल्यांकन सत्यापन की राशि
22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	स्व सहायता समूह के प्रशिक्षण सह आजीविका क्रियाकलाप हेतु भवन निर्माण कार्य (एफ एफ)	रीपा	36.472	50.788
					मनरेगा	14.316	
23	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	स्वयं सहायता समूह के आजीविका कियाकलाप हेतु गतिविधि भवन निर्माण कार्य	रीपा	19.979	19.979
24	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	आजीविका संवर्धन गतिविधि हेतु भवन निर्माण कार्य	रीपा	19.990	19.997
25	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	रीपा	5.390	7.503
					एस.बी.एम.	2.100	
26	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	समुदाय के लिये आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कमांक 01	रीपा	6.000	10.000
					मनरेगा	4.000	
27	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	समुदाय के लिये आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कमांक 02	रीपा	6.000	10.000
					मनरेगा	4.000	
28	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अंजोरा	स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण सह आजीविका कियाकलाप हेतु भवन निर्माण कार्य प्रथम तल	रीपा	5.189	19.515
					मनरेगा	14.316	
29	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	तार फेसिंग कार्य	रीपा	1.332	3.330
30	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	बोर एवं पंप स्थापना कार्य	रीपा	0.600	1.500
31	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	रीपा	4.312	7.490
					एस.बी.एम.	1.050	
32	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	पानी टंकी निर्माण	रीपा	2.376	2.376
33	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	रोपा क्षेत्र में गार्डन विकास कार्य	रीपा	6.480	6.480
34	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	रोपा क्षेत्र में आफिस शेड निर्माण कार्य	रीपा	0.840	2.100
35	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	पाईप लाईन विस्तार कार्य	रीपा	0.752	1.880
36	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	रोपा क्षेत्र में गार्डन विकास कार्य 2	रीपा	2.592	2.592
37	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 1 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.994	9.678
					मनरेगा	3.684	
38	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 2 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	9.667
					मनरेगा	3.667	
39	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 3 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	9.646
					मनरेगा	3.646	
40	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 4 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	9.561
					मनरेगा	3.561	

क्र.	जिला	विकासखण्ड	रीपा का नाम	निर्मित संरचनाओं का नाम	मदवार	व्यय राशि	मुल्यांकन सत्यापन की राशि
41	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 5 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	7.790
					मनरेगा	4.000	
42	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 6 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	9.875
					मनरेगा	3.875	
43	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 7 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	9.663
					मनरेगा	3.663	
44	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 8 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.940	9.727
					मनरेगा	3.788	
45	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह	आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 9 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	9.741
					मनरेगा	3.741	
46	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	तार फेसिंग कार्य	रीपा	3.032	6.907
47	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	फ्लाई एस ईट निर्माण शेड निर्माण	रीपा	6.909	6.910
48	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	स्टोरेज प्लेटफार्म निर्माण कार्य	रीपा	1.910	1.910
49	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	तराई के पानी टंकी निर्माण कार्य	रीपा	4.224	4.224
50	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	रीपा	5.390	7.496
					एस.बी.एम.	1.050	
51	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	पानी टंकी निर्माण	रीपा	2.970	2.970
52	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	रीपा क्षेत्र में गार्डन विकास कार्य	रीपा	5.184	6.480
53	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	पाईप लाईन विस्तार कार्य	रीपा	2.300	2.300
54	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 1 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.879	9.875
					मनरेगा	3.996	
55	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 2 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	9.977
					मनरेगा	3.977	
56	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 3 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.000	8.960
					मनरेगा	3.960	
57	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 4 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.937	9.926
					मनरेगा	3.989	
58	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 5 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.985	9.957
					मनरेगा	3.972	

क्र.	जिला	विकासखण्ड	रीपा का नाम	निर्मित संरचनाओं का नाम	मदवार	व्यय राशि	मुल्यांकन सत्यापन की राशि
59	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 6 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.887	9.877
					मनरेगा	3.989	
60	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 7 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.918	9.918
					मनरेगा	4.000	
61	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 8 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.896	9.888
					मनरेगा	3.992	
62	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजिविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 9 (रीपा स्थल में)	रीपा	5.990	9.985
					मनरेगा	3.995	
63	राजनांदगांव	डोंगरगांव	झीका(सुखरी)	आजीविका सह कियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 10 (रीपा स्थल में)	रीपा	6.000	9.996
					मनरेगा	3.996	
64	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	चैन लिंकिंग सह गेट निर्माण कार्य	रीपा	9.532	9.813
65	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	पानी टंकी निर्माण कार्य	रीपा	1.375	1.406
66	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	बोरखनन कार्य	रीपा	1.497	1.497
67	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	प्रशिक्षण सह आजीविका क्रियाकलाप भवन–2	रीपा	18.831	18.831
68	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	फ्लाई एस ईट निर्माण हेतु शेड निर्माण, स्टोरेज प्लेटफार्म निर्माण कार्य, तराई के लिए टंकी निर्माण कर्य	रीपा	13.080	13.080
69	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कां 1 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
70	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कां 2 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
71	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कां 3 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
72	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कां 4 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
73	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कां 5 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
74	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कां 6 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
75	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	पाइप लाईन विस्तार कर्य	रीपा	1.126	1.126

क्र.	जिला	विकासखण्ड	रीपा का नाम	निर्मित संरचनाओं का नाम	मदवार	व्यय राशि	मुल्यांकन सत्यापन की राशि
76	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	रीपा	5.296	7.490
					एस.बी.एम.	2.100	
77	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	प्रशिक्षण सह आजीविका क्रियाकलाप भवन (फर्स्ट फ्लेर) (रीपा स्थल मे)	रीपा	11.670	11.670
78	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	रीपा क्षेत्र मे गार्डन विकास कार्य	रीपा	6.325	6.440
79	राजनांदगांव	छुरिया	कल्लुबंजारी	सामुदाय के लिये ओपन ग्रे वॉटर ड्रेन निर्माण कार्य (रीपा स्थल मे)	रीपा	1.350	2.136
					मनरेगा	0.786	
80	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	चैन लिंकिंग सह गेट निर्माण कार्य (रीपा प्रोजेक्ट स्थल)	रीपा	9.851	9.851
81	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	प्रशिक्षण सह आजीविका क्रियाकलाप भवन–2	रीपा	18.850	18.850
82	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 1 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
83	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 2 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
84	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 3 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
85	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 4 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
86	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 5 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
87	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	आजीविका सह क्रियाकलाप वर्कशेड निर्माण कार्य 6 (रीपा स्थल मे)	रीपा	5.940	10.000
					मनरेगा	4.000	
88	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	पानी टंकी निर्माण कार्य	रीपा	2.885	2.885
89	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	बोरखनन कार्य	रीपा	1.444	1.487
90	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	रीपा	5.302	7.490
					एस.बी.एम.	2.100	
91	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	प्रशिक्षण सह आजीविका क्रियाकलाप भवन (फर्स्ट फ्लोर) (रीपा स्थल मे)	रीपा	11.670	11.670
92	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	फ्लाई एस ईट निर्माण हेतु शेड निर्माण, स्टोरेज प्लेटफार्म निर्माण कार्य, तराई के लिए टंकी निर्माण कार्य	रीपा	13.654	14.050
93	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	रीपा क्षेत्र मे गार्डन विकास कार्य	रीपा	6.425	6.425
94	राजनांदगांव	छुरिया	कलडबरी	पाइप लाईन विस्तार कार्य	रीपा	2.667	2.681
95	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	पाइप लाइन विस्तार कार्य	रीपा	1.100	1.100

क्र.	जिला	विकासखण्ड	रीपा का नाम	निर्मित संरचनाओं का नाम	मदवार	व्यय राशि	मुल्यांकन सत्यापन की राशि
96	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	बोर खनन कार्य	रीपा	1.730	1.730
97	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	चैन लिंक फेंसिंग कार्य	रीपा	2.450	2.450
98	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	प्रशिक्षण सह आजीविका कियाकलाप भवन निर्माण कार्य	रीपा	18.271	18.271
99	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	प्रशिक्षण सह आजीविका कियाकलाप भवन निर्माण कार्य प्रथम तल	रीपा	11.395	11.395
100	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 1	रीपा	6.000	7.660
					मनरेगा	1.660	
101	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 2	रीपा	6.000	7.680
					मनरेगा	1.680	
102	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 3	रीपा	6.000	7.660
					मनरेगा	1.660	
103	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 4	रीपा	6.000	7.692
					मनरेगा	1.692	
104	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	रीपा	5.390	7.490
					एस.बी.एम.	2.100	
105	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 5	रीपा	6.000	7.650
					मनरेगा	1.650	
106	राजनांदगांव	डोंगरगढ	कलकसा	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 6	रीपा	6.000	7.680
					मनरेगा	1.680	
107	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	पाइप लाइन विस्तार कार्य	रीपा	1.074	1.074
108	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	गेट निर्माण कार्य	रीपा	1.643	1.643
109	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	बोर खनन कार्य	रीपा	1.832	1.832
110	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	चैन लिंक फेंसिंग कार्य	रीपा	9.190	9.190
111	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 1	रीपा	6.000	7.680
					मनरेगा	1.680	
112	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 2	रीपा	6.000	7.690
					मनरेगा	1.690	
113	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 3	रीपा	6.000	7.670
					मनरेगा	1.670	
114	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 4	रीपा	6.000	7.680
					मनरेगा	1.680	

क्र.	जिला	विकासखण्ड	रीपा का नाम	निर्मित संरचनाओं का नाम	मदवार	व्यय राशि	मुल्यांकन सत्यापन की राशि
115	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 5	रीपा	6.000	7.690
					मनरेगा	1.690	
116	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	आजिविका सह क्रियाकलाप शेड निर्माण कार्य रीपा स्थल में क्र 6	रीपा	6.000	7.690
					मनरेगा	1.690	
117	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	प्रशिक्षण सह आजीविका कियाकलाप भवन निर्माण कार्य	रीपा	18.662	18.662
118	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	रीपा	5.245	7.455
					एस.बी.एम.	2.210	
119	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	प्रशिक्षण सह आजीविका कियाकलाप भवन निर्माण कार्य प्रथम तल	रीपा	11.553	11.553
120	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	फ्लाई एश ईट निर्माण हेतु शेड निर्माण सह स्टोरेज प्लेटफार्म सह तराई के ऐल टंकी निर्माण कार्य	रीपा	13.780	13.780
121	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	गार्डन निर्माण	रीपा	6.415	6.415
122	राजनांदगांव	डोंगरगढ	सहसपुर	नाली निर्माण कार्य	रीपा	3.899	3.899
योग (जिला राजनांदगांव) –					कुल –	995.488	1010.207

प्रपत्र–"अ"

केन्द्रांश/राज्यांश मद अंतर्गत प्रावधान एवं प्राप्त/व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख में)

स. क.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24								
		केन्द्रांश				राज्यांश				
		प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	कार्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41–2202–8979 एकीकृत अम्ब्रेला योजना	5400.00	5400.00	5400.00	0	1800.00	1800.00	1800.00	0	-
2	41–4225–7119 पीएम–जनमन	800.00	852.39	800.00	52.39	0	0	0	0	73 इकाईयां
3	41–4225–7844 शहीद वीरनारायण स्मारक एवं संग्रहालय	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4	41–4225–7844 शहीद वीरनारायण स्मारक एवं संग्रहालय–97 निर्माण कार्य	1400.00	9.88	9.88	1390.12	881.00	881.00	881.00	0.00	-
5	64–2202–8050 छात्रवृत्तियां	3600.00	38.00	38.00	3562.00	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	-
6	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –001	9.60	0.00	0.00	9.60	6.40	4.00	4.00	2.40	स्थापना मद
7	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –003	3.64	0.00	0.00	3.64	2.43	0.00	0.00	2.43	
8	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –014	1.70	0.00	0.00	1.70	1.10	0.00	0.00	1.10	
9	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –014–003	18.00	6.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	
10	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –014–011	775.00	679.50	679.50	95.50	775.00	775.00	775.00	0.00	-
11	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –014–012	1200.00	1163.00	1163.00	37.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	-
12	64–4225–7699 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	-
13	66–2202–8050 छात्रवृत्तियां	21734.00	0.00	0.00	21734.00	14490.00	0.00	0.00	14490.00	-
14	66–2225–7605 अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रिय विकास–25–002	37.50	0.00	0.00	37.50	12.50	0.00	0.00	12.50	-
15	66–4225–7605 अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रिय विकास–27–006	1004.25	0.00	0.00	1004.25	334.75	0.00	0.00	334.75	-
	योग :–	**31784.69**	**1896.38**	**1896.38**	**29888.31**	**22115.18**	**5272.00**	**5272.00**	**16843.18**	

(राशि लाख में)

स. क.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 दिनांक 31.01.2025 तक								
		केन्द्रांश				राज्यांश				
		प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	कार्यो की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41–2202–8979 एकीकृत अम्ब्रेला योजना	8250.00	8250.00	8250.00	0	2750.00	2750.00	2750.00	0	-
2	41–2225–7169–14–012 धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष योजना (राजस्व)	6.00	0	0	6.00	4.00	0	0	4.00	-
3	41–4225–7119 पीएम–जनमन	1200.00	0	52.39	1147.61	800.00	0	0	800.00	02 इकाईयां
4	41–4225–7169–45–001 धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष योजना	60.00	0	0	60.00	40.00	0	0	40.00	-
5	41–4225–7844–28–006 शहीद वीरनारायण स्मारक एवं संग्रहालय	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6	41–4225–7844 शहीद वीरनारायण स्मारक एंवं संग्रहालय–97 निर्माण कार्य	3514.82	850.00	850.00	2664.82	881.00	0.00	0.00	881.00	-
7	64–2202–8050 छात्रवृत्तियां	4800.00	0.00	0.00	4800.00	3200.00	3200.00	3200.00	0.00	
8	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –001	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	स्थापना
9	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –003	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	
10	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –014	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	
11	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –014–003	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	
12	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –014–011	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	
13	64–2225–7629 अनुसूचित जाति के प्रयो. –014–012	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	
14	64–4225–7699 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
15	66–2202–8050 छात्रवृत्तियां	60.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
16	66–2225–7605 अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रिय विकास–25–002	37.50	0.00	0.00	37.50	12.50	0.00	0.00	12.50	-
17	66–4225–7605 अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रिय विकास–27–006	1004.25	0.00	0.00	1004.25	334.75	55.10	55.10	279.65	-
	योग :–	**13437.57**	**2865.00**	**2865.00**	**10572.57**	**8488.25**	**5270.10**	**5270.10**	**3218.15**	

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–"ब"

विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत प्रावधान एवं प्राप्त/व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख में)

क.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24		वर्ष 2022–23 की राशि 2023–24 में प्राप्त	शेष राशि
		विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्रावधानित राशि	प्राप्त/व्यय राशि		
1	2	3	4	5	6
1	41–2202–5480–14–001 अुनच्छेद–275–1	10.00	0.00	0.00	10.00
2	41–2202–5480–14–002 अुनच्छेद–275–1	6060.00	3300.89	533.12	2759.11
3	41–2202–5480–14–006 अुनच्छेद–275–1	10.00	0.00	0.00	10.00
4	41–2202–5480–14–011 अुनच्छेद–275–1	20.00	0.00	0.00	20.00
5	41–4202–1400–97–001 निर्माण कार्य– विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना	1.00	0.00	0.00	1.00
6	41–4225–5480–26–006 अुनच्छेद–275–1	8000.00	8000.00	543.92	0.00
7	41–4225–5480–97–001 अुनच्छेद–275–1	8000.00	5452.92	0.00	2547.08
	योग :–	**22101.00**	**16753.81**	**1077.04**	**5347.19**

टीप :– वर्ष 2023–24 में प्राप्त राशि रू. 16753.81 लाख में वर्ष 2022–23 की शेष राशि रू. 1077.04 लाख शामिल है। इस प्रकार वर्ष 2023–24 हेतु 15676.77 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

(राशि लाख में)

क.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 दिनांक 31.01.2025 तक		शेष राशि
		विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्रावधानित राशि	प्राप्त/ व्यय राशि	
1	2	3	4	5
1	41–2202–5480–14–001 अुनच्छेद–275–1	10.00	0.00	10.00
2	41–2202–5480–14–002 अुनच्छेद–275–1	6060.00	0.00	6060.00
3	41–2202–5480–14–006 अुनच्छेद–275–1	10.00	0.00	10.00
4	41–2202–5480–14–011 अुनच्छेद–275–1	20.00	0.00	20.00
5	41–4202–1400–97–001 निर्माण कार्य– विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना	1.00	0.00	1.00
6	41–4225–5480–26–006 अुनच्छेद–275–1	8000.00	0.00	8000.00
7	41–4225–5480–97–001 अुनच्छेद–275–1	8000.00	0.00	8000.00
योग :–		**22101.00**	**0.00**	**22101.00**

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–"स"

संविधान के अनुच्छेद 275(1) की जानकारी (राशि लाख में)

क्र	वित्तीय वर्ष		कार्य नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रदत्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1	2		3	4	5	6	7
1	2023-24		**50 सीटर पो.मै अनु. जन. छात्रावास का भवन निर्माण**				
		1	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उसूर	उसूर	83.33	0.00	83.33
		2	पो.मै. बालक आदिवासी छात्रावास भैरमगढ़	भैरमगढ़	83.33	0.00	83.33
		3	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास भैरमगढ़	भैरमगढ़	83.33	0.00	83.33
				योग	**249.99**	**0.00**	**249.99**
			50 सीटर अनु.जन. आश्रम का भवन निर्माण				
		1	आदिवासी बालक आश्रम पदेड़ा	बीजापुर	35.71	0.00	35.71
		2	आदिवासी बालक आश्रम कड़ेनार	बीजापुर	35.71	0.00	35.71
		3	आदिवासी बालक आश्रम तामोडी	बीजापुर	35.71	0.00	35.71
		4	आदिवासी बालक आश्रम गोंगला	बीजापुर	35.71	0.00	35.71
		5	आदिवासी बालक आश्रम तोडका	बीजापुर	35.71	0.00	35.71
		6	आदिवासी बालक आश्रम पापनपाल	बीजापुर	35.71	0.00	35.71
		7	आदिवासी बालक आश्रम गंगालूर	बीजापुर	35.71	0.00	35.71
		8	आदिवासी कन्या आश्रम गंगालूर	बीजापुर	35.71	0.00	35.71
		9	आदिवासी बालक आश्रम फरसेगढ़	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		10	आदिवासी बालक आश्रम .बैल	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		11	आदिवासी बालक आश्रम गोमटेर	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		12	आदिवासी कन्या आश्रम पीड़िया	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		13	आदिवासी बालक आश्रम केतुलनार	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		14	आदिवासी बालक आश्रम मंगनार	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		15	आदिवासी बालक आश्रम दरभा	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		16	आदिवासी बालक आश्रम जारामरका	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		17	आदिवासी बालक आश्रम अंबेली	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		18	आदिवासी बालक आश्रम पेठा	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		19	आदिवासी कन्या आश्रम गुदमा	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		20	आदिवासी बालक आश्रम गुदमा	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		21	आदिवासी बालक आश्रम कोमपल्ली	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		22	आदिवासी बालक आश्रम मिरतुर	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		23	आदिवासी बालक आश्रम झांडीगुटटा	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		24	आदिवासी बालक आश्रम बेंगलूर	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		25	आदिवासी कन्या आश्रम कोशनलनार	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		26	आदिवासी कन्या आश्रम केशकुतुल	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		27	आदिवासी बालक आश्रम बेदरे	भैरमगढ़	35.71	0.00	35.71
		28	आदिवासी बालक आश्रम अन्नापुर	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71
		29	आदिवासी बालक आश्रम एड़ापल्ली	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71
		30	आदिवासी बालक आश्रम दुडेपल्ली	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71
		31	आदिवासी बालक आश्रम पोलेम	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71

क्र	वित्तीय वर्ष		कार्य नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रदत्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1	2		3	4	5	6	7
	2023-24	32	आदिवासी बालक आश्रम पीलूर	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71
		33	आदिवासी बालक आश्रम पामगल	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71
		34	आदिवासी बालक आश्रम बाडला	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71
		35	आदिवासी बालक आश्रम करकावाया	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71
		36	आदिवासी कन्या आश्रम सन्ड्रा	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71
		37	आदिवासी बालक आश्रम गुल्लापेन्टा	भोपालपटनम	35.71	0.00	35.71
		38	आदिवासी बालक आश्रम चेरामंगी	उसूर	35.71	0.00	35.71
		39	आदिवासी बालक आश्रम दारेली	उसूर	35.71	0.00	35.71
		40	आदिवासी कन्या आश्रम ईलमिड़ी	उसूर	35.71	0.00	35.71
		41	50 सीटर आदिवासी कन्या आश्रम पुसगुडी	उसूर	35.71	0.00	35.71
		42	50 सीटर आदिवासी कन्या आश्रम भटटीगुडा	उसूर	35.71	0.00	35.71
		43	50 सीटर आदिवासी कन्या आश्रम मुजांलकांकेर	उसूर	35.71	0.00	35.71
		44	आदिवासी बालक आश्रम कोंडापल्ली	उसूर	35.71	0.00	35.71
		45	आदिवासी बालक आश्रम मुरदण्डा	उसूर	35.71	0.00	35.71
		46	आदिवासी बालक आश्रम संकनपल्ली	उसूर	35.71	0.00	35.71
		47	आदिवासी बालक आश्रम गलगम	उसूर	35.71	0.00	35.71
		48	आदिवासी बालक आश्रम मारूड़बाका	उसूर	35.71	0.00	35.71
		49	आदिवासी बालक आश्रम घरमापुर	उसूर	35.71	0.00	35.71
		50	आदिवासी बालक आश्रम रासपल्ली	उसूर	35.71	0.00	35.71
		51	आदिवासी बालक आश्रम पुसबाका	उसूर	35.71	0.00	35.71
		52	आदिवासी बालक आश्रम पुजारीकांकेर	उसूर	35.71	0.00	35.71
				योग	**1856.92**	0	**1856.92**
			EMRS के अहाते में कंसरटिना वायर फिक्सिंग।				
		1	EMRS भैरमगढ़	भैरमगढ़	2.00	0.00	2.00
				योग	**2.00**	**0.00**	**2.00**
			छात्रावास /आश्रम भवनों के अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य।				
		1	बालक छात्रावास ईटपाल भवन का नवीनीकरण कार्य	बीजापुर	5.90	0.00	5.90
		2	कन्या आश्रम बरदली भवन का नवीनीकरण कार्य	भोपालपटनम	5.90	0.00	5.90
		3	बालक आश्रम नरोनालपल्ली भवन का नवीनीकरण कार्य	भोपालपटनम	5.90	0.00	5.90
		4	बालक आश्रम बेचापाल भवन का नवीनीकरण कार्य	भैरमगढ़	5.90	0.00	5.90
		5	बालक आश्रम सतवा भवन का नवीनीकरण कार्य	भैरमगढ़	5.90	0.00	5.90
		6	कन्या आश्रम ईतामपार भवन का नवीनीकरण कार्य	भैरमगढ़	5.90	0.00	5.90
		7	बालक आश्रम बेलचर भवन का नवीनीकरण कार्य	भैरमगढ़	5.90	0.00	5.90
		8	बालक आश्रम मिरतुर भवन का नवीनीकरण कार्य	भैरमगढ़	5.90	0.00	5.90
		9	बालक छात्रावास बीजापुर भवन का नवीनीकरण कार्य	बीजापुर	5.90	0.00	5.90
		10	बालक छात्रावास कोयाईटपाल भवन का नवीनीकरण कार्य	बीजापुर	5.90	0.00	5.90
				योग	**59.00**	**0.00**	**59.00**

क्र	वित्तीय वर्ष	कार्य नाम		विकास खण्ड का नाम	प्रदत्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3		4	5	6	7
	2023-24	**छात्रावास /आश्रमों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य**					
		1	आदिवासी बालक आश्रम करकावाया	भोपालपटनम	12.00	0.00	12.00
		2	आदिवासी कन्या आश्रम चिन्नाकावाली	बीजापुर	12.00	0.00	12.00
		3	आदिवासी बालक आश्रम मुरदण्डा	उसूर	12.00	0.00	12.00
		4	आदिवासी बालक आश्रम तोयनार	बीजापुर	12.00	0.00	12.00
				योग	**48.00**	**0.00**	**48.00**
		अधीक्षक आवास गृह का निर्माण।					
		1	कन्या आश्रम भट्टीगुडा	उसूर	8.00	0.00	8.00
		2	कन्या आश्रम इलमिड़ी	उसूर	8.00	0.00	8.00
		3	कन्या आश्रम मुरकीनार	उसूर	8.00	0.00	8.00
		4	कन्या छात्रावास गंगालूर	बीजापुर	8.00	0.00	8.00
		5	बालक आश्रम एरमनार	बीजापुर	8.00	0.00	8.00
		6	बालक आश्रम चिन्नाकोड़ेपाल	बीजापुर	8.00	0.00	8.00
		7	विशिष्ठ कन्या छात्रावास बीजापुर(नैमेड़)	बीजापुर	8.00	0.00	8.00
		8	बालक छात्रावास ईटपाल	बीजापुर	8.00	0.00	8.00
		9	बालक आश्रम पुसगुडी	उसूर	8.00	0.00	8.00
		10	कन्या छात्रावास भोपालपट्नम	भोपालपटनम	8.00	0.00	8.00
				योग	**80.00**	**0.00**	**80.00**
		आदिवासी हॉट बाजारों मे प्लेटफार्म का निर्माण।					
		1	ग्राम पदेडा	बीजापुर	6.57	0.00	6.57
				योग	**6.57**	**0**	**6.57**
		छात्रावास /आश्रमों में स्पॉट ड्रिकिंग वाटर की स्थापना					
		1	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उसूर	उसूर	3.02	0.00	3.02
		2	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावाास भैरमगढ	भैरमगढ	3.02	0.00	3.02
		3	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास भैरमगढ	भैरमगढ	3.02	0.00	3.02
		4	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास चेरामंगी	उसूर	3.02	0.00	3.02
		5	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उसूर	उसूर	3.02	0.00	3.02
		6	आदिवासी बालक आश्रम पीलूर	भोपालपटनम	3.02	0.00	3.02
		7	आदिवासी बालक आश्रम पामगल	भोपालपटनम	3.02	0.00	3.02
		8	आदिवासी बालक आश्रम पुजारीकांकेर	उसूर	3.02	0.00	3.02
				योग	**24.16**	**0**	**24.16**
		EMRS में बोर खनन एवं सम्पवेल निर्माण कार्य।					
		1	EMRS दुगईगुडा	उसूर	1.92	0.00	1.92
				योग	**1.92**	**0**	**1.92**
		छात्रावास /आश्रमों हेतु फूड ग्रेन स्टोरेज कंटेनर का प्रदाय					
		1	परियोजना क्षेत्र के 166 छात्रावास/आश्रमों हेतु	बीजापुर	**1.802**	1.802	0.00
		2		भैरमगढ	**2.822**	2.822	0.00
		3		भोपालपटनम	**1.258**	1.258	0.00
		4		उसूर	**1.938**	1.938	0.00
				योग	**7.82**	**7.82**	**0**
		वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन					
		1	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	बीजापुर	18.50	0.00	18.50
				योग	**18.50**	**0.00**	**18.50**
			महायोग		**2354.88**	**7.82**	**2347.06**
2	2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)	निरंक					

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर

दिसम्बर, 2023 से जनवरी, 2025 तक एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गये अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य लोगों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

स. क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य का नाम, पता	विभाग का नाम	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
1.	(1) श्री भागीरथ खाण्डे (बी0आर0खाण्डे), अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर, जिला–सरगुजा (2) श्री कविनाथ सिंह उईके, नगर सैनिक, होमगार्ड लाईन अम्बिकापुर (3) श्री अबीर राम, भृत्य, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर जिला–सरगुजा (मूल विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग) (4) श्री धरमपाल दास, सहायक रीडर, (मूल पद सहायक शिक्षक) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर जिला सरगुजा	(1) सामान्य प्रशासन विभाग (2) गृह विभाग (3) राजस्व विभाग (मूल विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग) (4) स्कूल शिक्षा विभाग	(1) दिनांक 02.08.2024 को निलंबित किया गया है। (2) वर्तमान में विभाग से निलंबित है। (3) दिनांक 22.06.2024 से निलंबित है। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। (4) दिनांक 25.06.2024 द्वारा निलंबित किया गया।
2.	(1) श्री टेकराम माहेश्वरी, एस.डी.एम., कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा, जिला बेमेतरा (2) श्री गौकरण सिंह बघेल, नगर सैनिक, निवासी ग्राम–गाड़ाभाठा, थाना साजा, जिला बेमेतरा	(1) सामान्य प्रशासन विभाग (2) गृह विभाग	(1) दिनांक 07.01.2025 को निलंबित किया गया। (2) वर्तमान में विभाग से निलंबित है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

स. क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य का नाम, पता	विभाग का नाम	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
3.	श्री देव कुमार सिंह, संयुक्त संचालक मछली पालन, कार्यालय मत्स्य पालन विभाग, कमरा नं. II/4/33, बी–ब्लॉक, चौथा फ्लोर, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर	मछली पालन विभाग	दिनांक 20.11.2024 से निलंबित किया गया।
4.	(1) श्री दिनेश कुमार, उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा कार्यालय पद्मनाभपुर, दुर्ग (2) श्री होमेन्द्र ठाकुर, सहायक संपरीक्षक, छ. ग. राज्य संपरीक्षा कार्यालय, पद्मनाभपुर, दुर्ग	वित्त विभाग	(1) वर्तमान में निलंबित है तथा उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है। (2) वर्तमान में निलंबित है तथा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किया गया है।
5.	(1) श्री संजय सिंह, अभियांत्रिकी सहायक (सिविल), कार्यालय महाप्रबंधक, एस.ई.सी. एल., चिरमिरी (2) श्री व्ही. श्रीनिवास, कार्यालय अधीक्षक (पी. ए.), कार्यालय महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., चिरमिरी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	एस०ई०सी०एल०	श्री संजय सिंह एवं श्री व्ही. श्रीनिवास को आरोप पत्र सह–निलंबन पत्र जारी किया गया तत्पश्चात कार्यालय आदेशानुसार जांच समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में जांच प्रकिया लंबित है।
6.	(1) श्री धर्मेन्द्र साहू, सचिव, ग्राम पंचायत डोमा अन्य – (2) श्री देव सिंग बघेल, सरपंच ग्राम पंचायत डोमा, थाना मुजगहन, तहसील व जिला रायपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निलंबित किया गया। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।
7.	श्री सौरभ ताम्रकार, प्रभारी एस.डी.ओ, जनपद पंचायत छुईखदान, जिला – खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निलंबित किया गया।
8.	श्री नरेन्द्र राउतकर, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत बोड़ला, जिला–कबीरधाम	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निलंबित किया गया।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

स. क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य का नाम, पता	विभाग का नाम	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
9.	श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, लोकपाल, जिला पंचायत गौरेला, जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संबंधित की सेवाएं दिनांक 24.10.2024 को समाप्त की दी गई।
10.	श्री सत्येन्द्र सिन्हा, सहा. ग्रेड–2 (लेखापाल), कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़, जिला–एम.सी.बी.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निलंबित किया गया।
11.	श्री संकट मोचन राय, कनिष्ठ पास्पोर्ट सहायक, पासपोर्ट सेवा केन्द्र, मुख्य डाक घर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	पासपोर्ट विभाग (गृह)	दिनांक 30.05.2024 से 07.01.2025 तक विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश द्वारा सेवा से निलंबित थे। वर्तमान में प्रकरण कं. 15/2024 जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला सरगुजा में लंबित है तथा श्री संकट मोचन राय, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक, पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद में पदस्थ है।
12.	श्री राम गोपाल साहू, पटवारी, प.ह.नं.–02, ग्राम गोविंदपुर, तहसील रामानुजनगर, जिला सूरजपुर	राजस्व विभाग	निलंबित किया था, वर्तमान में सेवा में है।
13.	श्री संतोष देवांगन, राजस्व निरीक्षक, जूना बिलासपुर	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है।
14.	(1) श्री रमेश कुमार देशलहरे, पटवारी, प0ह0न0–05, भेड़सर, तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0) (2) श्री राजेश्वर दास मानिकपुरी, कोटवार, ग्राम–भेड़सर, तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0)	राजस्व विभाग	(1) निलंबित किया गया है। (2) दिनांक 19.06.2024 को पकड़ा एवं निलंबित किया गया है।
15.	श्री विवेक कुमार परगनिहा, पटवारी, प0ह0न0–11, कार्यालय बढ़ईटोला रा0नि0म0 मुढ़ीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ0ग0)	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचारधीन है।
16.	श्री विजय कुमार, पटवारी, प0ह0न0–19, ग्राम–पनगॉव–भौवतरा, तहसील– पामगढ़, जिला–जांजगीर चांपा	राजस्व विभाग	दिनांक 02.07.2024 द्वारा निलंबित किया गया था। उक्त पटवारी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा द्वारा दिनांक 16.01.2025 के तहत सेवा में पुनः बहाल किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर

स. क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य का नाम, पता	विभाग का नाम	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
17.	श्री खीर सागर बघेल, नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय धमतरी छ0ग0	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है एवं दिनांक 26.07.2024 से जिला जेल धमतरी में परिरूद्ध है।
18.	श्री संकेर कुमेटी, सहायक ग्रेड–2, कार्यालय एस0डी0एम0, नारायणपुर छ0ग0	राजस्व विभाग	वर्तमान में प्रकरण माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टा. निवा. अधि.) कोण्डागांव के अधीन प्रक्रियाधीन है।
19.	श्री हरिशंकर राठिया, पटवारी, प.ह.नं. 49, ग्राम छाल, तहसील छाल, जिला–रायगढ़	राजस्व विभाग	दिनांक 07.08.2024 को गिरफतार कर जेल दाखिल किया गया एवं दिनांक 13.08.2024 द्वारा निलंबित किया गया।
20.	श्री बृजेश कुमार मिश्रा, पटवारी, ग्राम पंचायत कुदरू, तिल्दा–नेवरा	राजस्व विभाग	वर्तमान में निलंबित है एवं न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित है।
21.	श्री विरेन्द्र पाण्डेय, पटवारी, प0ह0नं0 31, भिट्ठीकला, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	राजस्व विभाग	दिनांक 23.09.2024 से निलंबित किया गया है।
22.	श्री पुरूषोत्तम सिंह गौतम उर्फ गौतम बाबू, सहायक ग्रेड–3, तहसील कार्यालय, आमाबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है।
23.	(1) श्री अश्वनी राठौर, आर.आई., तहसील दर्री, जिला कोरबा (2) श्री धीरेन्द्र लाटा, पटवारी, प.ह.नं. 22, जमनीपाली, जिला कोरबा	राजस्व विभाग	(1) वर्तमान में सेवा से निलंबित है। (2) वर्तमान में सेवा से निलंबित है।
24.	श्री पवन पाण्डेय, पटवारी, प.ह.नं. 17, ग्राम ओंकरा, पतरापारा, तहसील राजपुर, जिला वलरामपुर–रामानुजगंज	राजस्व विभाग	वर्तमान में सेवा से निलंबित है।
25.	श्री माईकल पीटर, सहायक ग्रेड–2, कानूनगो शाखा, तहसील कार्यालय पिथौरा, जिला–महासमुंद	राजस्व विभाग	दिनांक 20.12.2024 द्वारा निलंबित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-
मंत्रालय, पहानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

स. क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य का नाम, पता	विभाग का नाम	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
26.	(1) श्री चिन्मय अग्रवाल, पिता स्व. श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, पटवारी, प.ह.नं. 54, ग्राम सुरपा, रा.नि.मं. जामगांव (आर), तहसील पाटन, जिला दुर्ग (2) श्री भूषण लाल महार, कोटवार, ग्राम टेमरी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग	राजस्व विभाग	(1) दिनांक 24.12.2024 को पकड़ा एवं निलंबित किया गया है। (2) निलंबित किया गया है।
27.	श्री संतोष कुमार टोप्पो, राजस्व निरीक्षक, दुर्गूकोन्दल, जिला–उत्तर बस्तर, कांकेर	राजस्व विभाग	दिनांक 23.01.2025 द्वारा निलंबित किया गया है।
28.	श्री बद्रीनारायण जांगड़े, पिता स्व. श्री महेत्तर जांगड़े, राजस्व निरीक्षक, कोटराबोड, तहसील–हसौद, जिला–सक्ती	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है।
29.	(1) श्री सुशील जायसवाल, पटवारी, प.ह.नं. 23, मुंगेली अन्य – (2) श्री गुलाब दास मानिकपुरी, पिता दशरथ दास मानिकपुरी, पटवारी सहायक, निवासी बहरमुड़ा, थाना मुंगेली,	राजस्व विभाग	निलंबित किया गया है एवं कर्मचारी सेवा में है। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।
30.	श्री गौतम सिंह आयम, सहायक ग्रेड–2, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 21.08.2024 से निलंबित किया गया।
31.	श्री ओम प्रकाश नवरत्न, सहायक ग्रेड–02, शा. उ.मा. शाला, खम्हार, वि.खं. खरसिया, जिला–रायगढ़	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 13.09.2024 से निलंबित किया गया।
32.	श्री अरूण दुबे, सहायक शिक्षक वर्तमान आरटीई प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 29.10.2024 से निलंबित किया गया।
33.	श्री मालिकराम मेहर, प्राचार्य एवं श्री हनी शर्मा, सहायक ग्रेड–3, दोनो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पदमपुर, जिला मुंगेली	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 20.01.2024 से निलंबित किया गया।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

स. क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य का नाम, पता	विभाग का नाम	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
34.	(1) मिथिलेश सिंह सेंगर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सीतापुर, जिला सरगुजा (2) श्री राजकुमार प्रसाद, सहायक ग्रेड–02, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सीतापुर जिला सरगुजा एवं सहआरोपी (3) अनुराग बरई, सहा० शिक्षक एल.बी., प्रा०शा० धरमपुर, वि.खं. सीतापुर जिला सरगुजा	स्कूल शिक्षा विभाग	(1) दिनांक 20.01.2024 से निलंबित किया गया। (2) दिनांक 15.01.2024 से निलंबित किया गया। (3) दिनांक 16.01.2025 से निलंबित किया गया।
35.	श्री अरूण सेठिया, लेखापाल, कार्यालय जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, कोण्डागांव	स्कूल शिक्षा विभाग	दिनांक 04.02.2025 से निलंबित किया गया।
36.	(1) श्री आशुतोष तिवारी, कैशियर एवं (2) श्री अमित दुबे, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बिलासपुर शाखा पाली जिला कोरबा (छ०ग०)	सहकारिता विभाग	(1) दिनांक 22.04.2024 से निलंबित किया गया। (2) दिनांक 22.04.2024 से निलंबित किया गया।
37.	श्री सूरज कुमार नाग, सहायक अधीक्षक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग	निलंबन की कार्यवाही की गई है। प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध है।
38.	डॉ0 वेणुगोपाल राव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, दंतेवाड़ा (छ0ग0)	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग	निलंबन की कार्यवाही की गई है। प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध है।
39.	(1) श्रीमती लिलि पुष्पलता बेक, उप पंजीयक, सरायपाली, जिला–महासमुंद अन्य – (2) श्री शत्रुघन तांडी, पिता श्री फकीर तांडी, निवासी सलडीह, तहसील व थाना सरायपाली, जिला–महासमुंद	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	दिनांक 23.01.2025 द्वारा निलंबित किया गया। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, व
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

स. क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य का नाम, पता	विभाग का नाम	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
40.	श्री मिलन भगत, डिप्टी रेंजर, वन परिक्षेत्र–घरघोड़ा, वन मंडल– रायगढ़, जिला–रायगढ़	वन विभाग	दिनांक 20.05.2024 द्वारा निलंबित किया गया।
41.	श्री टी.आर. मेश्राम, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव	जल संसाधन विभाग	दिनांक 20.05.2024 द्वारा निलंबित किया गया, वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में पारित होने वाले निर्णय के आधार पर दण्ड संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
42.	श्री अरविंद गुप्ता, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पंचायत गौरेला, जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	दिनांक 29.05.2024 से निलंबित किया गया।
43.	(1) श्री डी0सी0 सोनकर, सहायक अभियंता, दर्री जोन, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0) (2) श्री देवेन्द्र स्वर्णकार, प्रभारी उप अभियंता, नगर पालिक निगम दर्री जोन कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0)	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	(1) दिनांक 19.05.2024 से निलंबित किया गया। (2) दिनांक 19.06.2024 से निलंबित किया गया।
44.	श्री रामायण प्रसाद पाण्डेय, पद–सेनेटरी इंस्पेक्टर, प्रभारी सीएमओ, नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर, जिला–रायगढ़	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	दिनांक 11.11.2024 से निलंबित किया गया।
45.	(1) श्री निलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (2) श्री बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	आवास एवं पर्यावरण विभाग	(1) निलंबित किया गया। (2) निलंबित किया गया।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, पहांनदी भवन,
रायपुर

स. क्र.	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता व अन्य का नाम, पता	विभाग का नाम	विभाग से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4
46.	(1) श्री माधव सिंह, ए0एस0आई0, थाना रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर ए अन्य – (2) श्री मोहियुद्दीन पिता स्व0 अब्दुल दैयान, निवासी ग्राम–अक्षयपुर दुगुपारा, तहसील व थाना रामानुजनगर, जिला–सूरजपूर (प्राइवेट)	गृह (पुलिस) विभाग	(1) दिनांक 26.06.2024 को गिरफतार कर निलंबित किया गया तथा प्रकरण वर्तमान मे माननीय विशेष न्यायालय सूरजपुर में विचाराधीन है। एवं अन्य को निलंबित किया गया ।
47.	श्रीमती वेदवती दरीयो, निरीक्षक, महिला थाना प्रभारी, रायपुर, जिला–रायपुर (छ0ग0)	गृह (पुलिस) विभाग	दिनांक 06.07.2024 को गिरफतार कर निलंबित किया गया तथा प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय रायपुर में विचाराधीन है। वर्तमान में जमानत पर है।
48.	श्री रामकृष्ण सिन्हा, प्रधान आरक्षक, चौकी, स्मृति नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग	गृह (पुलिस) विभाग	दिनांक 31.01.2025 को निलंबन से बहाल कर रक्षित केन्द्र दुर्ग पदस्थ किया गया।
49.	(1) आरक्षक क्रमांक 303 कमल किशोर महिलाने, पिता श्री भरत लाल महिलाने, थाना सरसींवा (2) प्रधान आरक्षक क्रमांक 56 सुमत राम डहरिया, थाना सरसींवा, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़	गृह (पुलिस) विभाग	आरक्षक क्रमांक 303 कमल किशोर महिलान एवं प्रधान आरक्षक क्रमांक 56 सुमत राम डहरिया को निलंबित किया गया।
50.	श्री हरे कृष्ण चौहान, वरिष्ठ निरीक्षक, कार्यालय सहायक संचालक, हथकरघा विभाग, जिला जांजगीर चांपा	ग्रामोद्योग विभाग	निलंबित किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
51.	श्री राजेश मड़ावे, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छुईख़दा.न, ज़िला–के.सी.जी.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	दिनांक 04.04.2024 से निलंबित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

परिशिष्ट–चौदह
प्रश्न संख्या–32 (क्र.–2033) की जानकारी

प्रपत्र

राजनांदगांव जिले में पिछले तीन वर्ष से दिनांक 31.01.2025 तक बिगड़े वनों के सुधार योजना के अंतर्गत रोपे गए पौधों की परिक्षेः
लागतवार, स्थलवार, पौधा संख्या तथा रोपित प्रजाति एवं रोपे गए पौधों में से सुरक्षित पौधों की वर्षवार, परिक्षेत्रवार जानकारी

वर्ष	जिले का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	रोपित पौधे		स्वीकृत राशि (रुपये में)	(लागत) व्यय राशि (रुपये में)	जीवित पौधों की संख्या
				प्रजाति	संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021–22	राजनांदगांव			———— निरंक ————				
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	चाबुकनाला 595	सागौन, अर्जुन, बांस, करंज शीशम, जामुन, आंवला, बहेड़ा, ईमली	17468	2238377	2148737	15721
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	भर्रीटोला 509	सागौन, अर्जुन, जामुन, काला सीरस, बांस, आंवला कटहल	22000	2819733	2727704	18260
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	घोघरे पी 653	सागौन, बांस, जामुन, बहेड़ा, करंज, अर्जुन, आंवला, काल सीरस, कोसिया सामिया, सफेद शामिया, कटहल, अमरुद, आम, शिशु, शहतूत	7500	1409867	1374276	6600
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	गेरूघाट आरेज 1103	सागौन, बांस, कटहल, अमरुद, जामुन, बहेड़ा	3894	499094	479114	3387
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	गेरूघाट आरेज 1109	सागौन, बांस, खम्हार, आंवला, शिशु, सिरस, करंज, अर्जुन, जामुन	14883	1907550	1831186	12650
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	गेरूघाट पी 633	सागौन, बांस, करंज, शिशम, जामुन, कटहल, आंवला, अमरुद, जाम, बहेड़ा, खम्हार, काला सीरस, कोसिया शामिया, अर्जुन, मिलिया डुबिया	72000	10353123	9978292	59040

वर्ष	जिले का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	रोपित पौधे		स्वीकृत राशि (रूपये में)	(लागत) व्यय राशि (रूपये में)	जीवित पौधों की संख्या
				प्रजाति	संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022–23	राजनांदगांव	खुज्जी	चारभाटा 528	सागौन, बांस, खम्हार, आंवला, आम, अर्जुन, नीम, शीशम, जामुन, बहेड़ा	33000	4229599	4215688	26400
2022–23	राजनांदगांव	पानाबरस (चौकी) (पूर्व में राजनांदगांव जिला अंतर्गत)	बिटेझर ओ.ए.1132	सागौन, बांस, अर्जुन, खम्हार, आंवला, शीशम, बहेड़ा	11000	1322021	1321924	7150
2022–23	राजनांदगांव	पानाबरस (चौकी) (पूर्व में राजनांदगांव जिला अंतर्गत)	बिटेझर ओ.ए.1135	सागौन, बांस, अर्जुन, खम्हार, आंवला, शीशम	11000	1322021	1321920	7040
				कुल योग – 2022–23	**192745**	**26101385**	**25398841**	**156248**
2023–24	राजनांदगांव	बाघनदी	घेरूघाट पी 633	सागौन, आंवला, शिशु, करंज, अर्जुन, जामुन, बहेड़ा, सफेद सीरस, अमरूद, केसिया शामिया	55200	8442885	7977402	53126
2023–24	राजनांदगांव	बाघनदी	मासुलजोब पी 649	बांस	12000	1968991	1958369	11640
2023–24	राजनांदगांव	चौकी (पूर्व में राजनांदगांव जिला अंतर्गत)	बिटेझर 1143	बांस	4000	560253	478228	2720
				कुल योग – 2023–24	**71200**	**10972129**	**10413999**	**67486**
2024–25	राजनांदगांव	———— निरंक ————						
				महायोग –	**263945**	**37073514**	**35812840**	**223734**
वन विकास निगम				निरंक				

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट–पन्द्रह

प्रश्न संख्या–33 (क्र.–2040) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

जिला रायगढ़ अंतर्गत मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लाक समन्वयक, स्वस्थ्य पंचायत समन्वयक, एरिया कार्डनेटर एवं हेल्पडेक्स फेसिलेटर का विकासखण्डवार कार्यरत की जानकारी

क्र0	विकासखण्ड का नाम	मितानिन की संख्या	मितानिन प्रशिक्षक की संख्या	ब्लाक समन्वयक की संख्या	स्वस्थ्य पंचायत समन्वयक की संख्या	एरिया कार्डनेटर की संख्या	हेल्पडेक्स फेसिलेटर की संख्या
1	पुसौर	443	20	2	1	0	1
2	लोईग (रायगढ़)	414	20	2	1	0	1
3	खरसिया	418	21	2	1	0	2
4	तमनार	391	20	2	1	0	2
5	घरघोड़ा	396	20	2	1	0	2
6	लैलुंगा	425	20	2	1	0	2
7	धरमजयगढ़	500	28	2	2	0	1
8	रायगढ़ (शहरी)	173	10	0	0	1	0
9	मेडिकल कॉलेज रायगढ़	0	0	0	0	0	1
10	मातृ एवं शिशु अस्पताल रायगढ़	0	0	0	0	0	1
11	जिला चिकित्सालय रायगढ़	0	0	0	0	0	1
कुल		3160	159	14	8	1	14

उप संचालक (वि.सभा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि
संचालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र 'ब'

मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लाक समन्वयक, स्वस्थ्य पंचायत समन्वयक, एरिया कार्डनेटर एवं हेल्पडेक्स फेसिलेटर को दिये जाने वाले प्रोत्साहन (मानदेय) राशि की जानकारी

क्र0	पदनाम	केन्द्रांश प्रोत्साहन राशि	राज्यांश प्रोत्साहन राशि
1	मितानिन	मितानिन प्रोत्साहन राशि का भुगतान कार्य आधारित भुगतान किया जाता है।	
2	मितानिन प्रशिक्षक	330/रू प्रति दिवस	200/– रू प्रति दिवस
3	ब्लाक समन्वयक	695/– रू प्रति दिवस	100/– रू प्रति दिवस
4	स्वस्थ्य पंचायत समन्वयक	695/– रू प्रति दिवस	100/– रू प्रति दिवस
5	एरिया कार्डनेटर	695/– रू प्रति दिवस	100/– रू प्रति दिवस
6	हेल्पडेक्स फेसिलेटर	300/–रू प्रति दिवस	140/– रू प्रति दिवस

उप संचालक (वि.सभा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट–सोलह

प्रश्न संख्या–34 (क्र.–2187) की जानकारी

प्रपत्र

विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी					
क्र.	विभाग का नाम	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	सही पाए गए प्रकरण/शिकायत की संख्या	कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
1	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1)	निरंक	निरंक	निरंक	-
2	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-2)	निरंक	निरंक	निरंक	-
3	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3)	निरंक	निरंक	निरंक	-
4	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-4)	7	3 अधिकारियों का मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगता सही पाया गया है। 2 अधिकारियों द्वारा कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। 1 अधिकारी का जांच रिपोर्ट अप्राप्त है। 1 अभ्यर्थी को नियुक्ति नही दी गई है।	वर्तमान में राप्रसे से कोई अधिकारी दोषी नही पाया गया है।	-
5	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-5)	निरंक	निरंक	निरंक	-
6	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6)	निरंक	निरंक	निरंक	-
7	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-7)	निरंक	निरंक	निरंक	छ.ग. मानव अधिकार आयोग
		2	1. स्कूल शिक्षा विभाग के प्रकरण में अवचार के तथ्य नही पाया गया। 2. पशुपालन विभाग का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	निरंक	कार्यालय छ.ग. लोक आयोग
		निरंक	निरंक	निरंक	कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)
		निरंक	निरंक	निरंक	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/ एन्टी करप्शन ब्यूरो
		निरंक	निरंक	निरंक	छ.ग. विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय।

क्र.	विभाग का नाम	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	सही पाए गए प्रकरण/शिकायत की संख्या	कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
8	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8)	निरंक	निरंक	निरंक	-
9	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-9)	निरंक	निरंक	निरंक	-
10	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-13)	निरंक	निरंक	निरंक	-
11	जेल विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
12	वित्त विभाग	7	1	संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक एस.ए.एस./स्था./व्य./न.-474/2024/2876, दिनांक 09.09.2024 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी याचिका क्रमांक WPS No. 5115 of 2024 एवं WPS No. 8360 of 2024 प्रक्रियाधीन है।	-
13	वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
14	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
15	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	राहत/पुनर्वास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त।
16	परिवहन विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
17	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
18	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1	0	प्रश्न उपस्थित नही होता।	-
19	वाणिज्य और उद्योग विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं से प्राप्त।
20	ऊर्जा विभाग	3	0	निरंक	-

क्र.	विभाग का नाम	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	सही पाए गए प्रकरण/शिकायत की संख्या	कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
21	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	72	3	1. श्रीमती ऋचा शर्मा, सहायक संचालक, कृषि को विभागीय आदेश दिनांक 09.10.2024 द्वारा शासकीय सेवा से सेवामुक्त किया गया। 2. श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी को संचालनालय कृषि के आदेश दिनांक 17.01.2020 द्वारा पदच्युत किया गया। 3. श्री कमलेश कुमार सेन, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी को संचालनालय कृषि के आदेश दिनांक 17.01.2020 द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया, किन्तु मान. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.09.2024 के परिपालन में संचालनालय कृषि के आदेश दिनांक 08.11.2024 द्वारा सेवा में बहाल किया गया।	-
22	सहकारिता विभाग	5	2 शिकायत गलत पाई गई है, 03 शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है।	जांच उपरान्त स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।	-
23	श्रम विभाग	1	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक WP(S) No. 4889/2024 प्रस्तुत की गई है, जिसमें मान. न्याया. के आदेश दिनांक 16.08.2024 द्वारा स्थगन प्राप्त है।	प्रश्न उपस्थित नही होता।	कार्यालय श्रमायुक्त छ.ग. से प्राप्त
24	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4	जांच प्रक्रियाधीन है।	जांच उपरान्त शिकायत सही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	-
25	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-

क्र.	विभाग का नाम	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	सही पाए गए प्रकरण/शिकायत की संख्या	कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
26	लोक निर्माण विभाग	1	0	प्रश्न उपस्थित नही होता।	-
27	विधि और विधायी कार्य विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
28	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1	जांच प्रक्रियाधीन है।	प्रश्न उद्भूत नही होता।	-
29	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	2	प्रकरण मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है।	निरंक	-
30	जनसंपर्क विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
31	आदिम जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास, अनुसूचित जाति विकास विभाग	2	1 निराधार, 1 में जांच प्रक्रियाधीन है।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।	-
32	पुनर्वास विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	राहत/पुनर्वास की जानकारी संयुक्त रूप से है।
33	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
34	संस्कृति विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
35	जल संसाधन विभाग	निरंक	निरंक	प्रश्न उद्भूत नही होता।	-
36	आवास एवं पर्यावरण विभाग	1	1	कारण बताओ नोटिश जारी किया गया है।	-
37	पर्यटन विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
38	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	1	0	प्रश्न उपस्थित नही होता।	-
39	पशुधन विकास विभाग	5	1 प्रकरण सही नही पाया गया। 1 प्रकरण मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्थगन प्राप्त है। शेष 3 प्रकरण में परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।	निरंक	-
40	मछली पालन विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-

क्र.	विभाग का नाम	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	सही पाए गए प्रकरण/शिकायत की संख्या	कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
41	उच्च शिक्षा विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
42	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
43	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
44	20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
46	विमानन विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
47	संसदीय कार्य विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
48	महिला एवं बाल विकास विभाग	3	1	01 प्रकरण मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन है। 01 प्रकरण में शिकायत सही नही पाया गया। 01 प्रकरण में पद से त्यागपत्र दिया गया है।	-
49	ग्रामोद्योग विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
50	जनशिकायत निवारण विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
51	चिकित्सा शिक्षा विभाग	निरंक	प्रश्न उद्भूत नही होता।	प्रश्न उद्भूत नही होता।	-
52	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-
53	वाणिज्यिक कर विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	-

अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

108

परिशिष्ट–सत्रह

प्रश्न संख्या–35 (क्र.–2271) की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	संस्था का नाम/ पता	मृत विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	उम्र	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण	प्रकरण की जाँच रिर्पोट	दोषी पाये जाने वाले अधीक्षक/ कर्मचारी पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 2022–23									
1	कांकेर	कन्या आश्रम बेलोण्ड़ो	कु.संतोषी गावड़े	श्री सुकचंद गावड़े	6 वर्ष	22/09/2023	दस्त	दस्त संबंधी स्वास्थ्यगत कारणों से मृत्यु होने के कारण जांच में दोष सिद्ध नही पाया गया।	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
2	बीजापुर	पोस्ट मैट्रिक अजजा. बालक छात्रावास बोजापुर	श्री चंदन ककेम	–	19 वर्ष	26/11/2023	तालाब में ढुबने से	जॉच में छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही दर्शित किया गया है	प्रभारी अधीक्षक को अधीक्षकीय कार्य से पृथक किया गया ।
3		बालक आश्रम तामोड़ी	श्री दिनेश तेलम	श्री आयुत तेलम	9 वर्ष	30/07/2022	मलेरिया	जॉच मे स्वास्थ्यगत कारण दर्शाया गया है।	प्रकरण मे लापरवाही के लिए प्रभारी अधीक्षक को निलंबित किया गया।
4	सुकमा	कन्या आश्रम पुष्पाल	कु. मंगलदई	सुक्का	10 वर्ष	31/08/2022	मलेरिया	दस्त संबंधी स्वास्थ्यगत कारणों से मृत्यु होने के कारण जांच में दोष सिद्ध नही पाया गया।	इस प्रकरण में अधीक्षक के लापरवाही सिद्ध न होने के कारण कार्यवाही नही की गई।
5	नारायणपुर	निरंक							
6	दन्तेवाड़ा	निरंक							
7	जगदलपुर	निरंक							
8	कोण्डागांव	निरंक							
वर्ष 2023–24									

मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति, अनुसूचित जाति,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास
कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग

क्रं.	जिला का नाम	संस्था का नाम/ पता	मृत विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	उम्र	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण	प्रकरण की जाँच रिर्पोट	दोषी पाये जाने वाले अधीक्षक/ कर्मचारी पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कांकेर	विशिष्ट बालक छात्रावास गोविन्दपुर कांकेर	ललित हुर्रा	श्री सामसाय हुर्रा	14 वर्ष	11/9/2023	आत्महत्या	अस्पातल के स्वतः संज्ञान पर मर्ग कायम किया गया थाना द्वारा जांच किया गया।	प्रभारी अधीक्षक को निलंबित किया गया था।
2	बीजापुर	प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास चेरामंगी	श्री जेवियर कुजूर	श्री ललित कुजूर	13 वर्ष	27/02/2024	फांसी लगाकर आत्महत्या	प्रकारण की जॉच स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया है	प्रकरण में प्रभारी अधीक्षक को निलंबित किया गया।
3	जगदलपुर	पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास दरभा	बैसु पोयाम	श्री सोनडू पोयाम	17 वर्ष	5/10/2023	फांसी लगाकर आत्महत्या	प्रकारण की जॉच स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया है	प्रकरण में प्रभारी अधीक्षक को निलंबित किया गया।
4	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम मर्दापाल	अक्षय कुमार बघेल	श्री गंगाधर बघेल	9 वर्ष	8/2/2023	हाईपर सोमनिया	हाईपर सोमनिया (मस्तिष्क में पानी भरने के कारण)	जांच मे दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/ कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
5	नारायणपुर	निरंक							
6	दन्तेवाड़ा	निरंक							
7	सुकमा	निरंक							
वर्ष 2024–25									
1	नारायणपुर	प्री.मै.बालक छात्रावास सोनपुर	सूरजू राम कुमेटी	श्री संतुराम कुमेटी	14 वर्ष	4/8/2024	मलेरिया से	निरंक	जिला अस्पताल में मलेरिया की इलाज के दौरान छात्र की मृत्यु हुई।
2	बीजापुर	कन्या आश्रम बेदरे	कु. अनिता कुरसम	श्री वेंजा कुरस्म	7 वर्ष	7/8/2024	उल्टी–दस्त	जॉच मे स्वास्थ्य खराब होना बताया गया है।	छात्रावास अधीक्षक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
3	बीजापुर	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास फरसेगढ़	कुमारी मंजू पोयाम	सोनधन पोयाम	13 वर्ष	29/11/2024	बॉउण्ड्रीवाल से गिर जाने से	जॉच में मलेरिया पॉजिटीव पाया गया था।	प्रकरण में प्रभारी अधीक्षक को अधीक्षकीय कार्य से पृथक किया गया।

क्रं.	जिला का नाम	संस्था का नाम/ पता	मृत विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	उम्र	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण	प्रकरण की जाँच रिर्पोट	दोषी पाये जाने वाले अधीक्षक/ कर्मचारी पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	बीजापुर	बालक आश्रम एडापल्ली	श्री करनदास कुरसम	श्री रमेश कुरसम	7 वर्ष	16/01/2025	सीने में दर्द सांस लेने में तकलीफ	–	प्रकरण में प्रभारी अधीक्षक को निलंबित किया गया।
5	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम भण्डारसिवनी	गौरव कुमार	श्री तुलसी मण्डावी	7 वर्ष	12/8/2024	सड़क दुर्घटना	एफ.आई.आर. अप.क्र.85/2024 धारा–281, 125 (ए)106(1) बीएनएस कायम कर प्रकरण वेवेचना में है।	उक्त प्रकरण में छात्रावास अधीक्षक की भी मृत्यु हो गई।
6	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम खड़पड़ी	तामेश्वर कोर्राम	श्री रामचंद कोर्राम	07 वर्ष	3/10/2024	मलेरिया होने के कारण	जांच रिर्पोट में मलेरिया पाया गया।	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/ कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
7	कोण्डागांव	प्री–मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास गोलावंड	सागर बघेल	श्री दयमन बघेल	17 वर्ष	19/12/2024	उल्टी दस्त होने के कारण	उल्टी दस्त होने के कारण जांच नही कराया गया।	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
8	कोण्डागांव	प्री–मैट्रिक कन्या बालक छात्रावास उरंदाबेड़ा	कु0 ममता	श्री लक्ष्मीनाथ	13 वर्ष	26/12/2024	गृह स्थल में (चक्कर आने के कारण)	ईलाज के दौरान कु. ममता का निधन होने से जांच नहीं कराया गया।	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
9	कोण्डागांव	कन्या आश्रम हंगवा	कु0 जयंती नाग	श्री बारमासी नाग	9 वर्ष	11/2/2025	फुड पायजनिंग	जॉच में फुड पायजनिंग होने के कारण निधन पाया गया।	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/ कर्मचारो पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।

क्रं.	जिला का नाम	संस्था का नाम/ पता	मृत विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	उम्र	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण	प्रकरण की जाँच रिर्पोट	दोषी पाये जाने वाले अधीक्षक/ कर्मचारी पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	कोण्डागांव	कन्या आश्रम मोहलई	कु0 लक्ष्मी कश्यप	श्री सीताराम कश्यप	9 वर्ष	21/02/2025	बुखार/निमोनिया	जॉच में बुखार/निमोनिया के कारण पाया गया।	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/ कर्मचारो पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
11	सुकमा	बालक आश्रम किस्टाराम	सोड़ी जोगा	श्री सोड़ी चिंगा	9 वर्ष	31/07/2024	मलेरिया	जॉच में मलेरिया पॉजिटीव पाया गया था।	छात्रावास अधीक्षक को भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो के संबंध में चेतावनी दी गई है।
12	सुकमा	कन्या आश्रम कोर्रा	कु.सोड़ी संध्या	श्री उमेश सोड़ी	8 वर्ष	14/11/2024	मलेरिया	जॉच में मलेरिया पॉजिटीव पाया गया था।	कन्या आश्रम कोर्रा की अधीक्षिका को पद से पृथक किया गया है।
13	सुकमा	बालक आश्रम कोयाबेकूर	माड़वी दुला	श्री नंदा	7 वर्ष	4/12/2024	सिर दर्द के कारण	जांच उपरांत डॉक्टर द्वारा बच्चें को सांस लेने में परेशानी होने का कारण बताया गया	संबंधित अधीक्षक को भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो के संबंध में चेतावनी दी गई है।
14	सुकमा	बालक आश्रम मानकापाल	कुड़ामी नन्दा	श्री देवा	8 वर्ष	27/01/2025	मलेरिया	प्रकरण की जाँच की कार्यवाही प्रकियाधीन है	बालक आश्रम नानकापाल के प्रकरण में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
15	बस्तर	कन्या आश्रम कोलावल	कु0 अंजना कश्यप	श्री मंगलराम	10 वर्ष	1/9/2024	स्वास्थ्य खराब होने के कारण	जॉच में स्वास्थ्य खराब होना पाया गया।	अधीक्षिका, कन्या आश्रम कोलावल को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।

क्रं.	जिला का नाम	संस्था का नाम/ पता	मृत विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	उम्र	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण	प्रकरण की जाँच रिर्पोट	दोषी पाये जाने वाले अधीक्षक / कर्मचारी पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	बस्तर	पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास बकावण्ड	त्रिनाथ कश्यप	श्री जग्गुराम कश्यप	17 वर्ष	12/12/2024	स्वास्थ्य खराब होने के कारण	जॉच में स्वास्थ्य खराब होना पाया गया।	छात्रावास अधीक्षक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
17	बस्तर	प्री मैट्रिक कमला नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर	कु0 रविना बघेल	श्री पतिराम बघेल	15 वर्ष	6/1/2025	शीतकालीन अवकाश के दौरान घर में अज्ञात कारण से की गई आत्महत्या	मण्डल संयोजक जगदलपुर का जांच प्रतिवेदन संलग्न है	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
18	दन्तेवाड़ा	निरंक							

112

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

फरवरी–मार्च, 2025 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्र.	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन
1	27/02/2025	ता.प्र.सं.–12 (क्र–429)	श्रम विभाग	संशोधन
2	दिनांक 27/02/2025 का शुद्धि पत्र			
3	28/02/2025	ता.प्र.सं.–03 (क्र.–368)	चिकित्सा शिक्षा	संशोधन
4	28/02/2025	ता.प्र.सं.–06 (क्र.–559)	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	संशोधन
5	दिनांक 28/02/2025 का शुद्धि पत्र			
6	दिनांक 03/03/2025 का शुद्धि पत्र			
7	04/03/2025	ता.प्र.सं.–7 (क्र.–1080)	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	संशोधन
8	04/03/2025	ता.प्र.सं.–17 (क्र.–966)	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	संशोधन
9	दिनांक 04/03/2025 का शुद्धि पत्र			
10	दिनांक 05/03/2025 का शुद्धि पत्र			
11	07/3/2025	ता.प्र.सं.–05 (क्र.–1473)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
12	दिनांक 07/03/2025 का शुद्धि पत्र			
13	दिनांक 10/03/2025 का शुद्धि पत्र			
14	11/03/2025	ता.प्र.सं.–15 (क्र.–1793)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
15	17/03/2025	ता.प्र.सं.–07 (क्र.–2105)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संशोधन
16	17/03/2025	ता.प्र.सं.–20 (क्र.–2242)	वाणिज्य एवं उद्योग	संशोधन
17	दिनांक 18/03/2025 का शुद्धि पत्र			
18	दिनांक 19/03/2025 का शुद्धि पत्र			
19	21/03/2025	ता.प्र.सं.–11 (क्र.–2367)	जल संसाधन	संशोधन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

सदन में उत्तर देने हेतु नियत दिनांक **27.02.2025** की शलाका प्रश्नोत्तर सूची के सरल क्रमांक..12..में उल्लेखित तारांकित प्रश्न ~~क्रमांक~~ ..429..में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

तारांकित प्रश्न संख्या–429 के उत्तर के भाग (ग) में, कंडिका ''क'' की दुर्घटना में 04 श्रमिक दुर्घटना के शिकार हुए है, जिनमें से सभी चार श्रमिकों की जान चली गई एवं कोई भी श्रमिक घायल नही हुए। उक्त दुर्घटना के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानानुसार कारखाने के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक जिम्मेदार हैं।

कारखाना के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के तहत कारखाने में स्थापित समस्त साइलो को विनिर्माण प्रक्रिया में लाने के लिए तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा, बिलासपुर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कारखाने के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक के विरुद्ध कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दिनांक 07.02.2025 को माननीय श्रम न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) में अभियोजन प्रकरण दायर किया गया है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :–

कंडिका ''क'' की दुर्घटना में 04 श्रमिक दुर्घटना के शिकार हुए है, जिनमें से सभी चार श्रमिकों की जान चली गई एवं कोई भी श्रमिक घायल नही हुए। उक्त दुर्घटना के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानानुसार कारखाने के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक जिम्मेदार हैं।

कारखाना के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के तहत कारखाने में स्थापित समस्त साइलो को विनिर्माण प्रक्रिया में लाने के लिए तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा, बिलासपुर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कारखाने के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक के विरुद्ध कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दिनांक 07.02.2025 को माननीय श्रम न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) में अभियोजन प्रकरण दायर किया गया है।

उक्त कारखाने के विरूद्ध पुलिस थाना, सरगांव, जिला मुंगेली द्वारा कारखाना कुसुम स्मेल्टर्स प्रा.लि. के आरोपी (01) श्री अनिल प्रसाद, ऑपरेशन मैनेजर (02) श्री अमित केडिया, प्लांट इंचार्ज एवं (03) कुसुम प्लांट का प्रबंधन एवं अन्य के विरूद्ध दिनांक 10.01.2025 को अपराध क्रमांक 02/2025 धारा 106 (1), 289, 3(5) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना की जा रही है।

(लखन लाल देवांगन)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

गुरूवार, दिनांक 27 फरवरी, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 27 फरवरी, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–03 (क्र.–479), तारांकित प्रश्न संख्या–04 (क्र.–432) एवं तारांकित प्रश्न संख्या–05 (क्र.–271) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 26 फरवरी, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 28.2.25 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 02 पर मुद्रित विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 03 (कमांक–368) में से निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) में :–

(ख) मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में विगत दो वर्षो में क्या–क्या मशीन/कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण कितनी–कितनी राशि के क्रय किए गए ?

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :–

(ख) स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, डिमरापाल जगदलपुर के द्वारा विगत दो वर्षो में मशीन/कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण हेतु राशि 3,89,58,025=20 (रूपये तीन करोड़ नवासी लाख अठावन हजार पच्चीस रूपये बीस पैसे मात्र) की खरीदी की गई है।

(श्याम बिहारी जायसवाल)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
जो.स्वा.प.क.चि.शि. एवं बी.सू.का. विभाग

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 28.02.2025 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ...03... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-06 (क्र.-559) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ...क,ख,ग... में संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स,

के स्थान पर ,

संशोधित प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, एवं प्रपत्र-स पढ़ा जावे।

(विजय शर्मा)
उप मुख्यमंत्री,
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

संशोधित प्रपत्र-अ

पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	जिला / पंजीकृत	
		रायपुर	बलौदाबाजार-भाटापारा
1	2022-23 (31.03.2023 की स्थिति में)	43038	56354
2	2023-24 (31.03.2024 की स्थिति में)	81340	70222
3	2024-25 (31.01.2025 की स्थिति में)	89668	70211

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलौदाबाजार-भाटापारा
पंजीकृत बेरोजगार युवकों संबंधी प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से रोजगार की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	बलौदाबाजार-भाटापारा	
		प्लेसमेंट कैंप की संख्या	नियुक्ति
1	2022-23 (31.03.2023 की स्थिति में)	19	101
2	2023-24 (31.03.2024 की स्थिति में)	7	28
3	2024-25 (31.01.2025 की स्थिति में)	6	27

संशोधित प्रपत्र-ब

शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	रायपुर		बलौदाबाजार-भाटापारा	
		शासकीय/ अर्द्धशासकीय	निजी	शासकीय/ अर्द्धशासकीय	निजी
1	2022-23	6	1157	156	101
2	2023-24	30	25	313	28
3	2024-25	4	1757	172	27

संशोधित प्रपत्र-स

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलौदाबाजार-भाटापारा

पंजीकृत बेरोजगारों के मार्गदर्शन एवं स्वरोजगार की जानकारी

क्र.	वर्ष	व्यक्तिगत मार्गदर्शन	पंजीयन मार्गदर्शन	शासकीय संस्थाओं में आयोजित कैरियर मार्गदर्शन की संख्या	उपस्थित हुए छात्र/छात्राओं की संख्या	वायुसेना भर्ती के लिए आयोजित मार्गदर्शन की संख्या	उपस्थित हुए छात्र/छात्राओं की संख्या	थल सेना भर्ती के लिए आयोजित मार्गदर्शन की संख्या	उपस्थित हुए छात्र/छात्राओं की संख्या
1	2022-23	179	4951	20	1657	-	-	-	-
2	2023-24	177	6703	23	2300	6	293	3	118
3	2024-25	2502	5617	-	-	19	1331	-	-

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 28 फरवरी, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–01(क्र.–715), तारांकित प्रश्न संख्या–04 (क्र.–507), तारांकित प्रश्न संख्या–05(क्र.–677) एवं तारांकित प्रश्न संख्या–13 (क्र.–695) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 27 फरवरी, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 03 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–01 (क्र.–595), तारांकित प्रश्न संख्या–02 (क्र.–827) का पुनरीक्षित उत्तर एवं तारांकित प्रश्न संख्या–17 (क्र.–886) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 02 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 04.03.2025 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक .04....में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या .07.. (*क्रमांक 1080) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ: -

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ''ख'' के पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" में उल्लेखित सरल क्रमांक 743 तक सही है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें: -

743 के पश्चात् 744 क्रमशः 1434 तक पढ़ा जावे।

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम
मंत्री
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक **04.03.2025** की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ...०8.... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या ..15... (*क्रमांक **966**) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ: -

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ख" के प्रश्नांकित अवधि में उचित मूल्य दुकान संचालन एवं अनियमितता की **31** शिकायतें प्राप्त हुई है, इनमें से जांच में **12** शिकायत सही पायी गयी। **19** शिकायत सही नहीं पायी गयी। शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र- "ब" अनुसार है। वर्तमान में शिकायत लंबित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें: -

जांच में 10 शिकायत सही पायी गयी। 21 शिकायत सही नहीं पायी गयी।

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम
(दयालदास बघेल)
(मा. मंत्री)
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 04 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या–61 (क्र.–1126), का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 03 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 05 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या–3 (क्र.–226), का पृथक वितरित उत्तर तथा तारांकित प्रश्न संख्या–07(क्र.–1188) पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 04 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

संशोधित उत्तर

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

मान. अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 07.03.2025 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 03 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्रमांक 1473) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ''क''(प्रपत्र सहित) एवं ''ख'' में.....

(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
(ख) रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वित्त निर्देश 18/2023 एवं 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 12 नियमित चिकित्सकों की परीविक्षा अवधि अपूर्ण है, चूंकि उनके 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुई है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे:-

(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
(ख) 1079 चिकित्सक/चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों की पूर्ति हेतु वित्त निर्देश 18/2023 एवं 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं स्टॉफ नर्स के 225 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में प्रक्रियाधीन है।

कंडिका 'क' अनुसार कुल 03 नियमित चिकित्सकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात् नियमितिकरण लंबित है, जिनकी नियमितिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

SHYAM BIHARI JAISWAL
Digitally signed by SHYAM BIHARI JAISWAL
Date: 2025.03.06 18:57:08 +05'30'

श्याम बिहारी जायसवाल
मंत्री
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रपत्र

क्र.	संस्था का नाम	चिकित्साकीय स्टॉफ जैसे, चिकित्सा विशेषज्ञ, स्टॉफ नर्स व अन्य स्टॉफ	स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त		अन्य व्यवस्था के तहत्	रिमार्क
			नियमित	संविदा	नियमित	संविदा	नियमित	संविदा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल बालोद										
1		मेडिकल विशेषज्ञ	2	0	1	0	1	0	0	
2		सर्जिकल विशेषज्ञ	2	0	2	0	0	0	0	
3		शिशुरोग विशेषज्ञ	2	0	1	0	1	0	0	
4		स्त्रीरोग विशेषज्ञ	2	1	1	1	1	0	0	
5		निश्चेतना विशेषज्ञ	2	0	0	0	2	0	0	
6		नेत्र रोग विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
7		रेडियोलाजिस्ट	1	0	0	0	1	0	1	
8		पैथालाजिस्ट	2	0	0	0	2	0	0	
9		नाक,कान,गला रोग विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
10		अस्थिरोग विशेषज्ञ	1	1	1	1	0	0	0	
11		मनोरोग विशेषज्ञ	2	0	0	0	2	0	0	
12		टीबी रोग विशेषज्ञ	0	1	0	1	0	0	0	
13		डेंटल सर्जन	0	1	0	0	0	1	0	
14		विशेषज्ञ चिकित्सक	0	4	0	0	0	4	0	
15		चिकित्सा अधिकारी	16	4	11	4	5	0	5	
16		दन्त चिकित्सक	1	0	1	0	0	0	0	
17		डायटिशियन	1	0	0	0	1	0	0	
18		मेट्रन	1	0	0	0	1	0	0	
19		स्टॉफ नर्स	65	15	42	12	23	3	1	
20		स्टोर किपर	1	0	1	0	0	0	0	
21		मानसिक सोशल वर्कर	1	0	0	0	1	0	0	
22		नर्सिंग सिस्टर	2	0	2	0	0	0	0	
23		लैब टेक्निशियन	9	9	7	8	2	1	0	
24		रेडियोग्राफर	2	0	1	0	1	0	0	
25		फार्मासिस्ट ग्रेड – 02	6	0	3	0	3	0	0	
26		डेंटल टेक्निशियन	1	0	0	0	1	0	0	
27		इसीजी टेक्निशियन	1	0	0	0	1	0	0	
28	जिला चिकित्सालय बालोद	डार्करूम असिस्टेंट	1	0	0	0	1	0	0	
29		आफ्थेलमिक असिस्टेंट	1	0	1	0	0	0	0	
30		लैब असिस्टेंट	2	0	1	0	1	0	0	
31		ओपीडी अटेण्डेंट	2	0	0	0	2	0	0	
32		ओटी अटेण्डेंट	6	0	0	0	6	0	0	
33		ओटी टेक्निशियन	4	1	0	1	4	0	0	
34		ड्रेसर ग्रेड–01	3	0	0	0	3	0	0	
35		आया	9	6	3	6	6	0	0	
36		वार्ड ब्वाय	13	0	8	0	5	0	0	
37		ए.एन.एम	4	0	1	0	3	0	0	
38		फिडिंग डिमांस्ट्रेटर	0	1	0	1	0	0	0	
39		साइकोलॉजिस्ट–एनएमएचपी	0	2	0	1	0	1	0	
40		सिनियर नर्सिंग ऑफिसर–एनएमएचपी	0	1	0	1	0	0	0	
41		नर्सिंग ऑफिसर–एनएमएचपी	0	1	0	1	0	0	0	
42		टेक्नीकल असिस्टेंट–ऑप्टेमेट्रिस	0	1	0	0	0	1		
43		टेक्नीकल असिस्टेंट–स्पेशल एजुकेटर	0	2	0	0	0	2	0	
44		सोशल वर्कर	0	2	0	1	0	1	0	
45		नर्सिंग ऑफिसर–एनएचएम	0	4	0	3	0	1	0	
46		एनआरसी अटेनडेंट	0	1	0	1	0	0	0	
47		डेंटल असिस्टेंट	0	1	0	1	0	0	0	
48		आरएमएनसीएच काउंसलर	0	1	0	1	0	0	0	
49		फिजियोथेरेपिस्ट	0	3	0	2	0	1	0	
50		ऑडियोलॉजिस्ट	0	2	0	0	0	2	0	
51		ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट	0	1	0	1	0	0	0	
52		ब्लड बैंक काउंसलर	0	1	0	1	0	0	0	
53		सपोर्ट स्टॉफ	0	12	0	11	0	1	0	
54		एस.टी.एस.	0	1	0	1	0	0	0	
55		एस.टी.एल.एस	0	1	0	1	0	0	0	
56		निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
57		शिशु रोग विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
58		स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	0	1	0	0	0	0	

क्र.	संस्था का नाम	चिकित्सकीय स्टॉफ जैसे, चिकित्सा विशेषज्ञ, स्टॉफ नर्स व अन्य स्टॉफ	स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त		अन्य व्यवस्था के तहत्	रिमार्क
			नियमित	संविदा	नियमित	संविदा	नियमित	संविदा		
59	100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल बालोद	निश्चेतना पीजीएमओ	2	0	0	0	2	0	0	
60		शिशुरोग पीजीएमओ	1	0	0	0	1	0	0	
61		स्त्रीरोग पीजीएमओ	3	0	0	0	3	0	0	
62		पीजीओमो पैथोलॉजी	2	0	0	0	2	0	0	
63		चिकित्सा अधिकारी	5	0	3	0	2	0	0	
64		स्टाफ नर्स	36	0	16	0	20	0	0	
65		लेब टेक्नीशियन	3	0	2	0	1	0	0	
66		फार्मासिस्ट गेड–2	2	0	0	0	2	0	0	
67		एमपी डबलू महिला	4	0	1	0	3	0	0	
68		वार्डब्वाय	4	0	0	0	4	0	0	
69		आया	6	0	0	0	6	0	0	
70		ओटी अटेण्डेट	2	0	0	0	2	0	0	
71	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाटाबोड (वर्तमान में सामु.स्वा. केन्द्र लाटाबोड में शासन द्वारा पद स्वीकृत किया गया है किन्तु भवन स्वीकृत नहीं है वर्तमान में प्राथ. स्वा. केन्द्र लाटाबोड भवन में संचालित है)	मेडिकल विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
72		सर्जिकल विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
73		शिशुरोग विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
74		स्त्रीरोग विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
75		निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
76		चिकित्सा अधिकारी	2	0	1	0	1	0	1	
77		दंत चिकित्सक	1	0	0	0	1	0	0	
78		ग्रामीण चिकित्सा सहायक	0	0	0	0	0	0	0	
79		नर्सिंग सिस्टर	1	0	1	0	0	0	0	
80		स्टॉफ नर्स	10	0	10	0	0	0	0	
81		मेडिको लैब टेक्नोलॉजिस्ट	2	0	2	0	0	0	0	
82		एलएचव्ही/ सुपरवाईजर	2	0	2	0	0	0	0	
83		ग्रामीण स्वास्थ्य सयोजक(पुरूष)	1	0	0	0	1	0	0	
84		ग्रामीण स्वास्थ्य सयोजक(महिला)	1	0	1	0	0	0	0	
85		सुपरवाईजर मेल	1	0	2	0	0	0	0	01 अतिशेष
86		फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कम स्टोर कीपर	2	0	2	0	0	0	1	
87		रेडियोग्राफर	1	0	1	0	0	0	0	
88		नर्सिंग ऑफिसर	0	2	0	2	0	0	0	
89		एस.टी.एस.	0	1	0	1	0	0	0	
90		आर.एम.ए.	0	1	0	1	0	0	0	
91		आरएनएनसीएच काउंसलर	0	1	0	0	0	1	0	
92		लैब टेक्निशियन	0	1	0	1	0	0	0	
93		ड्रेसर ग्रेड 1	1	0	0	0	1	0	0	
94		ड्रेसर ग्रेड 2	1	0	0	0	1	0	0	
95		वार्ड व्वाय	2	0	1	0	1	0	0	
96		ओटी अटेण्डेट	1	0	0	0	1	0	0	
97		आया	1	0	0	0	1	0	0	
98	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ज. सांकरा	चिकित्सा अधिकारी	1	0	1	0	0	0	0	
99		ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	1	1	1	0	0	0	
100		नर्सिंग ऑफिसर	0	1	0	1	0	0	0	
101		पर्यवेक्षक (पुरूष)	1	0	1	0	0	0	0	
102		पर्यवेक्षक (महिला)	1	0	1	0	0	0	0	
103		स्टाफ नर्स	2	0	2	0	0	0	0	
104		एन.एम.ए.	1	0	0	0	1	0	0	
105		फार्मासिस्ट ग्रेड–2	1	0	0	0	1	0	0	
106		लैब टेक्नीशियन	1	0	1	0	0	0	0	
107		ड्रेसर ग्रेड–01	1	0	0	0	1	0	0	
108		नेत्र सहायक अधिकारी	1	0	1	0	0	0	0	
109		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	0	0	0	1	0	0	
110		आया	2	0	2	0	0	0	0	
111		मृत्य/वार्डब्याय	1	0	1	0	0	0	0	
112	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपरछेडी	चिकित्सा अधिकारी	1	0	0	0	1	0	0	
113		ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	1	0	1	1	0	0	
114		पर्यवेक्षक (पुरूष)	1	0	1	0	0	0	0	
115		पर्यवेक्षक (महिला)	1	0	1	0	0	0	0	
116		नर्सिंग ऑफिसर	0	2	0	2	0	0	0	
117		स्टाफ नर्स	2	0	1	0	1	0	0	
118		फार्मासिस्ट ग्रेड–02	1	0	0	0	1	0	0	
119		लैब टेक्नीशियन	1	0	1	0	0	0	0	
120		ड्रेसर ग्रेड–01	1	0	0	0	1	0	0	

क्र.	संस्था का नाम	चिकित्साकीय स्टॉफ जैसे, चिकित्सा विशेषज्ञ, स्टॉफ नर्स व अन्य स्टॉफ	स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त		अन्य व्यवस्था के तहत्	रिमार्क
			नियमित	संविदा	नियमित	संविदा	नियमित	संविदा		
121		नेत्र सहायक अधिकारी	1	0	1	0	0	0	0	
122		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	0	1	0	0	0	0	
123		आया	2	0	1	0	1	0	0	
124		भृत्य/वार्डब्वाय	1	0	0	0	1	0	0	
125		चिकित्सा अधिकारी	1	0	1	0	0	0	0	
126		ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	1	1	1	0	0	0	
127		पर्यवेक्षक (पुरूष)	1	0	1	0	0	0	0	
128		पर्यवेक्षक (महिला)	1	0	1	0	0	0	0	
129		नर्सिंग ऑफिसर	0	1	0	1	0	0	0	
130	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करहीभदर	स्टाफ नर्स	2	0	2	0	0	0	0	
131		नेत्र सहायक अधिकारी	1	0	1	0	0	0	0	
132		फार्मासिस्ट ग्रेड-02	1	0	1	0	0	0	0	
133		ड्रेसर ग्रेड-01	1	0	0	0	1	0	0	
134		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	0	1	0	0	0	0	
135		आया/वार्ड ब्याय	1	0	0	0	1	0	0	
136		मेडिकल विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
137		सर्जिकल विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
138		शिशुरोग विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
139		स्त्रीरोग विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
140		निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0	0	0	1	0	0	
141		चिकित्सा अधिकारी	2	1	3	1	0	0	0	01 अतिशेष
142		चिकित्सा अधिकारी (RBSK)	0	4	0	4	0	0	0	
143		दंत चिकित्सक	1	0	1	0	0	0	0	
144		फिजियोथेरेपिस्ट	0	1	0	1	0	0	0	
145		डेंटल असिस्टेंट	0	1	0	1	0	0	0	
146		ग्रामीण चिकित्सा सहायक	0	1	0	1	0	0	0	
147		नर्सिंग सिस्टर	1	0	1	0	0	0	0	
148		आरएमएनसीएच काउंसलर	0	1	0	1	0	0	0	
149		स्टॉफ नर्स	10	0	10	0	0	0	0	
150		स्टॉफ नर्स (NBSU)	0	3	0	3	0	0	0	
151		मेडिको लैब टेक्नोलॉजिस्ट	2	0	2	0	0	0	0	
152	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरूर	एलएचव्ही/ सुपरवाईजर	2	0	2	0	0	0	0	
153		ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक(पुरूष)	1	0	0	0	1	0	0	
154		ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक(महिला)	1	0	1	0	0	0	0	
155		ए.एन.एम. (RBSK)	0	2	0	2	0	0	0	
156		सुपरवाईजर मेल	1	0	2	0	0	0	0	01 अतिशेष
157		फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कम स्टोर कीपर	2	0	2	0	0	0	0	
158		फार्मासिस्ट (RBSK)	0	2	0	1	0	1	0	
159		एस.टी.एस.	0	1	0	1	0	0	0	
160		रेडियोग्राफर	1	0	1	0	0	0	0	
161		ड्रेसर ग्रेड 1	1	0	0	0	1	0	0	
162		ड्रेसर ग्रेड 2	1	0	0	0	1	0	0	
163		वार्ड व्याय	2	0	1	0	1	0	0	
164		ओटी अटेण्डेंट	1	0	0	0	1	0	0	
165		आया	1	0	0	0	1	0	0	
166		चिकित्सा अधिकारी	1	0	1	0	0	0	0	
167		नर्सिंग ऑफिसर	0	1	0	1	0	0	0	
168		ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	0	1	0	0	0	0	
169		फार्मासिस्ट ग्रेड- 2	1	0	1	0	0	0	0	
170		मेडिको लैब टेक्नोलॉजिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	
171	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पलारी	ड्रेसर ग्रेड 1	1	0	1	0	0	0	0	
172		नेत्र सहायक	1	0	1	0	0	0	0	
173		स्टॉफ नर्स	1	0	1	0	0	0	0	
174		ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक(महिला)	1	0	1	0	0	0	0	
175		आया	1	0	1	0	0	0	0	
176		भृत्य/ वार्ड व्याय	1	0	0	0	1	0	0	

क्र.	संस्था का नाम	चिकित्साकीय स्टॉफ जैसे, चिकित्सा विशेषज्ञ, स्टॉफ नर्स व अन्य स्टॉफ	स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त		अन्य व्यवस्था के तहत्	रिमार्क
			नियमित	संविदा	नियमित	संविदा	नियमित	संविदा		
177	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़रा	चिकित्सा अधिकारी	1	0	0	0	1	0	0	
178		नर्सिंग ऑफिसर	0	2	0	2	0	0	0	
179		ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	1	1	1	0	0	0	
180		एनएमए	1	0	1	0	0	0	0	
181		स्टाफ नर्स	1	0	1	0	0	0	0	
182		फार्मासिस्ट ग्रेड 2	1	0	1	0	0	0	0	
183		ड्रेसर ग्रेड 1	1	0	0	0	1	0	0	
184		नेत्र सहायक	1	0	1	0	0	0	0	
185		ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)	1	0	1	0	0	0	0	
186		आया/ वार्ड ब्वाय	1	0	1	0	0	0	0	
187	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरूर	चिकित्सा अधिकारी	1	0	1	0	0	0	0	
188		नर्सिंग ऑफिसर	0	2	0	2	0	0	0	
189		ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	1	1	1	0	0	0	
190		स्टाफ नर्स	2	0	2	0	0	0	0	
191		फार्मासिस्ट ग्रेड 2	1	0	1	0	0	0	0	
192		ड्रेसर ग्रेड 1	1	0	1	0	0	0	0	
193		नेत्र सहायक	1	0	1	0	0	0	0	
194		ग्रामीण स्वा.संयोजक(महिला)	1	0	1	0	0	0	0	
195		आया/वार्ड ब्वाय	1	0	1	0	0	0	0	
196		आया	1	0	0	0	1	0	0	
197	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरमरीकला	चिकित्सा अधिकारी	1	0	0	0	1	0	0	
198		नर्सिंग आफिसर	0	1	0	1	0	0	0	
199		ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	0	1	0	0	0	0	
200		स्टाफ नर्स	1	0	1	0	0	0	0	
201		फार्मासिस्ट ग्रेड 2	1	0	1	0	0	0	0	
202		ड्रेसर ग्रेड 1	1	0	0	0	1	0	0	
203		नेत्र सहायक	1	0	1	0	0	0	0	
204		ग्रानीण. स्वा.संयोजक(महिला)	1	0	1	0	0	0	0	
205		आया/ वार्ड ब्वाय	1	0	1	0	0	0	0	

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 07 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–08 (क्र.–615), तारांकित प्रश्न संख्या–15 (क्र.–1530),** का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 06 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 10 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–16 (क्र.–1590), तारांकित प्रश्न संख्या–23 (क्र.–1671), का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 09 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 11.03.2025 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ....08..... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या .....15.. (* क्रमांक 1793) के उत्तर में, निम्नानुसार आंशिक संशोधन करना चाहती हूं :–

(क) महतारी वंदन योजना हेतु वर्ष 2023–24 के मुख्य बजट एवं प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग में राशि का प्रावधान नहीं किया गया था, द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांग में कुल राशि रू. 1200.42 करोड़ का प्रावधान किया गया था। आंवटित बजट में से वर्ष 2023–24 में रू. 1,98,45,614/– प्रचार–प्रसार के माध्यम होर्डिंग्स, ब्रांडिंग, कटआउट, एलईडी स्क्रीन एवं प्रिंट मीडिया, विडियो स्पॉट, आदि पर व्यय की गयी है। विवरण प्रपत्र–अ पर संलग्न है।

(घ) योजना में पात्र हितग्राहियों को मासिक किश्तों के भुगतान हेतु अन्य विभागों, कैम्पा मद, डी.एम.एफ. मद की राशि का उपयोग नहीं किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग को मांग संख्या 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधत व्यय, 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 64 अनुसूचित जाति उपयोजना में किए गए बजट प्रावधान से राशि व्यय की जा रही है। वित्त वर्ष 2024–25 में मांग संख्या 55 योजना शीर्ष 7048 अंतर्गत अन्य अनुदान मद से रू. 3591.00 करोड़, मांग संख्या 41 योजना शीर्ष 7048 अंतर्गत अन्य अनुदान मद से रू. 2728.96 करोड़ तथा मांग संख्या 64 योजना शीर्ष 7048 अंतर्गत अन्य अनुदान मद से रू. 862.04 करोड़ कुल रू. 7182.00 करोड़ की निकासी कर महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को भुगतान किए जाने हेतु बजट से व्यय किया गया है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें –

(क) महतारी वंदन योजना हेतु वर्ष 2023–24 के मुख्य बजट एवं प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग में राशि का प्रावधान नहीं किया गया था, द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांग में कुल राशि रू. 1200.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथा विभागीय बजट के बचत से रू. 120.34 करोड़ पुनर्विनियोजन से प्रावधान किया गया है। आंवटित बजट में से वर्ष 2023–24 में रू. 1,98,45,614/– प्रचार–प्रसार के माध्यम होर्डिंग्स, ब्रांडिंग, कटआउट, एलईडी स्क्रीन एवं प्रिंट मीडिया, विडियो स्पॉट, आदि पर व्यय की गयी है। विवरण प्रपत्र–अ पर संलग्न है।

(घ) योजना में पात्र हितग्राहियों को मासिक किश्तों के भुगतान हेतु अन्य विभागों, कैम्पा मद, डी.एम.एफ. मद की राशि का उपयोग नहीं किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग को मांग संख्या 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधत व्यय, 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 64 अनुसूचित जाति उपयोजना में किए गए बजट प्रावधान से राशि व्यय की जा रही है। वित्त वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में हितग्राहियों को भुगतान हेतु आहरित की गयी राशि का माहवार, मदवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	वित्त वर्ष	आहरित माह	बजट शीर्ष	आहरित राशि
1	2023–24	फरवरी 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	337.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	266.00
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	84.00
2		मार्च 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	313.44
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	243.42
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	67.06
		कुल निकास की गयी राशि		**1310.92**

क्रं.	वित्त वर्ष	आहरित माह	बजट शीर्ष	आहरित राशि
3	2024–25	अप्रैल 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	335.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	254.60
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	80.40
4		मई 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	330.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	250.60
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	79.40
5		जून 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	325.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	247.00
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	78.00
6		जुलाई 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	325.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	247.00
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	78.00
7		अगस्त 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	325.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	247.00
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	78.00
8		सितंबर 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	325.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	247.00
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	78.00
9		अक्टूबर 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	325.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	247.00
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	78.00
10		नवंबर 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	325.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	247.00
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	78.00
11		दिसंबर 2024	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	325.00
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	247.00
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	78.00
12		जनवरी 2025	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	325.50
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	247.38
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	78.12
13		फरवरी 2025	55–2235–02–103–0101–7048–#14–012	325.50
			41–2235–02–103–0102–7048–#14–012	247.38
			64–2235–02–103–0103–7048–#14–012	78.12
		कुल निकास की गयी राशि		**7182.00**

(लक्ष्मी राजवाड़े)
मंत्री
महिला एवं बाल विकास विभाग

संशोधन उत्तर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

(1) प्रश्न क्रमांक - 2105
(2) विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 10/03/2025
(3) सदन में उत्तर देने की तिथि - 17/03/2025
(4) वर्ग जिसके लिये वह तिथि नियत है - वर्ग – 2

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

विषयः- प्रदेश में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये जा रहे कार्य

डॉ. चरण दास महंत **तारांकित प्रश्न**

क्या **उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण)** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य बजट, प्रथम अनुपूरक द्वितीय, अनुपूरक सम्मिलित कर जल जीवन मिशन हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? फरवरी, 2025 तक कितनी राशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हुई? कितनी राज्यांश की राशी थी? कितनी व्यय हुई? कितनी शेष है? कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ? राशि कितने प्रतिशत व्यय हुई? जानकारी देवें?

(ख) प्रदेश के किस-किस जिले में जल जीवन मिशन के कार्य चल रहे हैं? इसमें से कितने कार्य पूर्ण कर लिए गए? कितने अपूर्ण हैं? विवरण देवें?

(ग) किन-किन जिलों में कितनी जगह पानी टंकी का निर्माण का प्रावधान था? कितनी पानी टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर पेयजल सप्लाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? और कितनी जगह कार्य अपूर्ण है? क्यों है?

(घ) केन्द्र प्रवर्तित इस योजना में कितना केन्द्रांश एवं कितना राज्यांश था? योजना आरंभ से अब-तक कितनी राशि केन्द्र से प्राप्त हुई? कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई? पूर्ण विवरण देवें?

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव)

उत्तर

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य बजट में जल जीवन मिशन हेतु राशि रू. 4500.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रथम अनुपूरक एवं द्वितीय अनुपूरक में राशि प्रावधानित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक केन्द्रांश राशि रू. 191.59 करोड़ प्राप्त हुई एवं समतुल्य राज्यांश राशि रू. 187.12 करोड़ प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त राज्यांश राशि रू. 1250.00 करोड़ अग्रिम के रूप में राज्य शासन से प्राप्त हुई। कुल प्राप्त राशि रू. 1628.71 करोड़ का व्यय किया गया है, व्यय हेतु राशि शेष नहीं है।

घरेलू नल कनेक्शन 80.3 प्रतिशत पूर्ण हुआ।

राशि 51.67 प्रतिशत व्यय हुई।

(ख) प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत कार्य चल रहे है।

इसमें से 11009 कार्य पूर्ण कर लिए गए है।

18117 कार्य अपूर्ण है।

जिलेवार विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

(ग) प्रदेश के समस्त 33 जिलों में 41283 जगह पानी टंकी का निर्माण का प्रावधान है।

19599 पानी टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर पेयजल सप्लाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

15776 जगह कार्य अपूर्ण है।

कार्य अपूर्णता का कारण - कार्य प्रगतिरत होना, स्त्रोत की समस्या, स्थल विवाद, एजेंसी द्वारा धीमी गति से कार्य करना, एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्ता के अनुरूप कार्य न करने के कारण निविदा निरस्त कर पुन: निविदा, टंकी निर्माण हेतु कुशल मानव संसाधन की कमी एवं सोलर पंप स्थापना।

(घ) केंद्र प्रवर्तित इस योजना में रू. 12424.57 करोड़ केन्द्रांश एवं रू. 14041.17 करोड राज्यांश है।

योजना आरंभ से अब तक रू. 6185.26 करोड़ राशि केंद्र से प्राप्त हुई है।

रू. 7299.18 करोड़ राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई।

(अरुण साव)
उप मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण, लोक स्वा.यां., विधि और
विधायी कार्य, नगरीय प्रशा. एवं वि. विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 17.03.2025 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 10 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्रमांक 2242) में, मैं निम्नानुसार करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (घ)

(घ) मेसर्स बायोटेक फ्यूल्स प्रा0लि0 (ऐथेनाल प्लांट) के संबंध में 01 शिकायत आवेदन छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग को प्रदूषण फैलाये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला-बेमेतरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा को जांच प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया गया. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, दुर्ग को शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन हेतु ज्ञापन दिनांक 08.03.2025 को प्रेषित किया गया है.

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

(घ) मेसर्स बायोटेक फ्यूल्स प्रा0लि0 (ऐथेनाल प्लांट) के संबंध में 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत एवं की गयी कार्यवाही इस प्रकार है -

(1) सुश्री रौशनी पाण्डे के द्वारा छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग को इकाई द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में शिकायत दिनांक 20.01.2025 को की गयी है। कार्यालय कलेक्टर, बेमतरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा को जांच हेतु ज्ञापन दिनांक 20.02.2025 को दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, दुर्ग को ज्ञापन दिनांक 08.03.2025 द्वारा शिकायत की जांच हेतु निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, दुर्ग तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बेमेतरा के संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2025 अनुसार इकाई में प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.टी.पी. तथा ई.एस.पी स्थापित एवं कार्यरत पाया गया एवं उत्सर्जन सामान्य पाया गया। ई.एस.पी. क्षेत्र में कुछ मात्रा में राखड़ खुले में भण्डारित पाये जाने के कारण फ्यूजिटीव उत्सर्जन अवलोकित हुआ एवं हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी। व्यवस्था में आवश्यक सुधार करा लिया जायेगा।

(2) सरपंच एवं ग्रामवासी पर्थरा द्वारा कलेक्टर, बेमेतरा को बायोटेक फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड को कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जारी डायवर्सन को निरस्त करने के संबंध में शिकायत दिनांक 30.10.2024 को की गयी है। कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा से प्राप्त

जानकारी अनुसार जांच प्रक्रिया विचाराधीन है।

(3) श्री रामेश्वर संघारे तथा क्षेत्र के निवासियों द्वारा कलेक्टर, बेमेतरा को दिनांक 14.10.2024 को एथेनॉल प्लांट के पर्यावरणीय अनापत्ति की पुनः जांच करने की मांग की गयी है। कलेक्टर, बेमेतरा से प्राप्त जानकारी अनुसार जांच प्रक्रिया विचाराधीन है।

(लखनलाल देवांगन)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

तारांकित प्रश्नोत्तर		
प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
ता.प्र.सं.–09 (क्र.–2060) प्रश्न	क्या जनवरी, 2024 से 15.02.20205 की	क्या जनवरी, 2024 से 15.02. 2025 की
दिनांक 18 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–02 (क्र.–981) एवं तारांकित प्रश्न संख्या–18 (क्र.–2040) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।		

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 17 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–2 (क्र.–2271)** का **पुनरीक्षित उत्तर** एवं **तारांकित प्रश्न संख्या–16 (क्र.–2290)** का **पृथक वितरित उत्तर** पढ़ा जावे।

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय सदस्य श्री संदीप साहू के क्रमशः परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–04 (क्र 790) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–05 (क्र 791) समान विषय वस्तु के होने के कारण **परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–05 (क्र 791)** को विलोपित माना जाये।

रायपुर,
दिनांक : 18 मार्च 2024

सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

(1) प्रश्न क्रमांक - 2367
(2) विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 13/03/2025
(3) सदन में उत्तर देने की तिथि - 21/03/2025
(4) वर्ग जिसके लिए वह तिथि नियत है - वर्ग -1
जल संसाधन विभाग

विषय : जल संसाधन विभाग में पदोन्नति के संबंध में।

श्री विक्रम मंडावी

तारांकित प्रश्न

क्या **वन मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) वर्ष 2021-22 से 15.02.2025 तक कितने तथा किन-किन ऐसे सहायक अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता को पदोन्नति दी गई है, जिनके विरूद्ध अपराधिक आरोप के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई है और बहां प्रकरण विचाराधीन है ?
(ख) क्या इन प्रकरणों में पदोन्नति समिति के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत किये गये थे और इनकी संनिष्ठा किसके द्वारा प्रमाणित की गई थी ? क्या यह पदोन्नति नियमानूकुल है ?
(ग) क्या इसी प्रकार के अन्य लोक सेवकों के प्रकरणों में उन्हे पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया था अथवा बंद लिफाफा की पद्धति अपनाई गई थी ? यदि हां तो भेदभाव करने के कारण क्या हैं ?

संशोधित उत्तर

श्री केदार कश्यप (मंत्री, जल संसाधन विभाग)

(क) वर्ष 2021-22 से 15.02.2025 तक ऐसे 03 सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं सर्वश्री बृजराज दास वैष्णव, शीलकांत पाठक, भागीरथी लाडिया एवं 01 वर्तमान कार्यरत् श्री आलोक कुमार अग्रवाल (दिव्यांगजन) को सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई है, जिनके विरूद्ध आपराधिक आरोप के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर प्रकरण विचाराधीन है।

(ख) जी हां, प्रकरण में पदोन्नति समिति के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत किये गये थे और इनकी सन्निष्ठा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तत्समय पदस्थ अवर सचिव द्वारा प्रमाणित की गयी थी। जी हां, यह पदोन्नति नियमानुकूल है।

(ग) जी हां, इस प्रकार के अन्य लोक सेवकों के प्रकरणों में उन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये जाने पर बंद लिफाफा की पद्धति अपनाई गई थी। चूंकि इन प्रकरणों में पदोन्नति हेतु रिक्त पद की पात्रता दिनांक को आपराधिक प्रकरण विचाराधीन था, अत: कार्यवाही नियमानुकूल होने के कारण भेदभाव करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(केदार कश्यप)
मंत्री
जल संसाधन विभाग